MINISTRY OF CULTURE • GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

संस्कृति मंत्रालय • भारत सरकार

समर्थन

संस्कृति मंत्रालय

समर्थन

सत्यमेव जयते

संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

जनवरी, 2012

संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, 2216 हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 द्वारा मुद्रित।
दूरभाषः 28755275.

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
और संस्कृति मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली.110108

सत्यमेव जयते

कुमारी सैलजा
KUMARI SELJA

MINISTER OF
HOUSING AND URBAN POVERTY
ALLEVIATION AND MINISTER OF CULTURE
GOVERNMENT OF INDIA
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

संदेश

मुझे ''समर्थन'' नामक सार संग्रह के नवीनतम पाठ का विमोचन करने में प्रसन्नता हो रही है। इस सार–संग्रह में संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय को देश की कला, संस्कृति व समृद्ध विरासत के विभिन्न रूपों को सुरक्षित रखने व उन्हें आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। मंत्रालय का निरन्तर प्रयास संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों व गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहित करना रहा है। इस उद्देश्य से मंत्रालय ने इन व्यक्तियों/समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। इन स्कीमों में समय–समय पर संशोधन किया जाता है ताकि लगातार अधिक संख्या में कलाकार/समूह लाभान्वित हों और सहायता की राशि बढ़ाई जा सके।

''समर्थन'' के इस नए सार–संग्रह में एक साथ सभी मौजूदा स्कीमों का अद्यतन पाठ दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सार–संग्रह सरकार की पहलों का लाभ उठाने वाले इच्छुक व्यक्तियों/समूहों के लिए उपयोगी होगा। इन स्कीमों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.indiaculture.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

भविष्य में इन स्कीमों में किए जाने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, के संबंध में वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नई दिल्ली,
11 जनवरी, 2012

(कुमारी सैलजा)

प्रस्तावना

संस्कृति मंत्रालय ने कई वर्ष पूर्व 'समर्थन' का अंतिम संस्करण प्रकाशित किया था जो संस्कृतिकर्मियों को उपलब्ध सभी सहायता स्कीमों का सार संग्रह है। पुस्तक की प्रतियां समाप्त हो गई थीं किंतु इसका तत्काल पुनर्मुद्रण करना विवेकपूर्ण नहीं समझा गया, क्योंकि अनेक स्कीमों का पुनर्मूल्यांकन होना था, उनपर पुनर्विचार और उनमें सुधार करना था। इस प्रक्रिया में तीन वर्ष से अधिक लग गए और मेरा संपूर्ण कार्यकाल, वास्तव में प्रत्येक चालू स्कीम पर विचार करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी पुनर्जांच करने में लग गया।

यह देखकर प्रसन्नता हुई कि यह प्रक्रिया कम–से–कम फिलहाल पूरी हो गई है और 18 स्कीमों में से 11 स्कीमों को, जिन्हें अब सूचीबद्ध किया गया है यथासंभव मूल रूप से संशोधित कर सुधार दिया गया है। उदाहरणार्थ, 'क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम' के अंतर्गत दी जानेवाली सहायता, जो संग्रहालय की दो विभिन्न श्रेणियों के लिए केवल 60 लाख रूपए और 170 लाख रूपए तक सीमित थी, अब बढ़ाकर 3 करोड़ रू. और 6 करोड़ रूपए कर दी गई है।

इसी प्रकार, 'भवन अनुदान' की स्कीम के अंतर्गत सहायता, जो 15 लाख रू. तक सीमित थी, अपने 'स्टूडियो थिएटर' रूप में महानगरों में 50 लाख रूपए तक बढ़ा दी गई है।

यह और भी प्रसन्नता की बात है कि हाल में 7 नई स्कीमें आरंभ की गई हैं। जून 2009 से जनवरी 2011 तक इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह और उनके बाद, माननीया संस्कृति मंत्री कुमारी सैलजा से प्राप्त मार्गदर्शन और सहायता के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। उनके प्रोत्साहन के बिना संस्कृति मंत्रालय के सहायता कार्यक्रमों का यह संपूर्ण कायापलट कभी भी संभव नहीं होता।

नवंबर 2009 में प्रारंभ सांस्कृतिक कार्य अनुदान स्कीम संस्कृति मंत्रालय के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय स्कीमों में से एक साबित हुआ है और केवल दो वर्षों में 800 से अधिक सांस्कृतिक निकायों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

'टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृति स्कीम' की ओर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं और सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए उपलब्ध वरिष्ठतम विद्वान आकर्षित हुए हैं।

हमें आशा है कि 'सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम' की नई स्कीमें और 'पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन' तथा 'पुस्तक मेले और पुस्तक प्रदर्शनियां' में सहायता प्रदान करनेवाली स्कीमों को सांस्कृतिक क्षेत्र में हार्दिक स्वीकृति मिलेगी क्योंकि संस्कृतिकर्मियों से कई दशकों से सरकार द्वारा ऐसे उपाय करने के अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

अंततः, टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम में राज्यों और अन्य पात्र निकायों को अपने पूर्ववर्ती टैगोर प्रेक्षागृह, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों, का जीर्णोद्वार करने के लिए केंद्र सरकार से भरपूर सहायता शामिल है। इसकी अभिकल्पना नए आधुनिक सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करने के लिए भी की गई है। रवीन्द्रनाथ टैगोर को अनके जन्म की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह राष्ट्र की सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।

तथापि इन 18 स्कीमों की सफलता तीव्र नम्य प्रस्तुति और इस बात का लगातार अनुवीक्षण सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा कि इनमें कोई विरूपण और विलंब इस दृष्टिकोण को धूमिल न करे जिसके साथ इसका मसौदा तैयार किया गया है और इसे अभिव्यक्त तथा लक्षित किया गया है।

11/1/12

नई दिल्ली
11 जनवरी, 2012

(जवाहर सरकार)
सचिव
संस्कृति मंत्रालय

संस्कृति मंत्रालय की स्कीम

क्र.सं.	स्कीम का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	विनिर्दिष्ट मंचकला परियोजनाओं के लिए कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	1
2.	सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सीएफजीएस)	13
3	स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शताब्दी/जयंती मनाने के लिए सहायता अनुदान	21
4	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता	23
5	हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के विकास के लिए वित्तीय सहायता	32
6	सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम	38
7	भारतीय संस्कृति व विरासत को समर्पित पत्रिकाओं व जर्नलों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	49
8	पुस्तक मेले, पुस्तक प्रदर्शनियां और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले/प्रकाशन समारोहों, आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता	59
9.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्तियां प्रदान करना	64
10.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना	70
11.	टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति	73
12	साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता	90
13.	स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदान	96
14.	टैगोर सांस्कृतिक परिसर	112
15	क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता	125
16.	नए विज्ञान शहर और विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए संशोधित मानदंड/दिशा निर्देश	142
17.	राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान	159
18.	टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस)	162

क.सं.	स्कीम का नाम	पेज नं.
19.	अनुबंध–I (ऋणपत्र)	173
20.	अनुबंध–II (संकल्प)	176
21.	अनुबंध–III (बैंक प्राधिकार पत्र)	177
22.	अनुबंध–IV (एनजीओ भागीदारी पर सलाहकारी टिप्पणी)	178

1

विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

क. प्रस्तावना

स्कीम का नाम ''विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता'' होगा। इस स्कीम के अंतर्गत, नाट्यकला समूहों, रंग मंच समूहों, संगीत मण्डलियों, बाल रंगशाला, एकल कलाकारों और मंच कला कार्यकलापों के सभी स्वरूपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

स्कीम के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :–

1. वेतन अनुदान
2. निर्माण अनुदान

ख. अनुदान के लिए पात्रता और मापदण्ड

(क) निर्माण अनुदान

1. इस स्कीम के अंतर्गत निर्माण के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता, परियोजना या कार्यक्रमों के अनुमोदन के आधार पर दी जाएगी तथा यह तदर्थ प्रकार की होगी। स्कीम के अंतर्गत चुनी गई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी। अनुदान की राशि विशेष वर्ष में सहायता के लिए चुने अनुमोदित प्रस्तावों/कार्यक्रमों में सभी मदों में व्यय के लिए पर्याप्त होगी। अनुदान के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित मदों के रूप में मानी गई मदों में प्रचलित दरों पर अनियत कलाकारों सहित कलाकारों को वेतन भुगतान, निर्माण/अभिनय की लागत रिहर्सल के लिए हाल का किराया, पोशाकों की लागत, परिवहन फुटकर खर्च, शोध व्यय आदि शामिल होंगे।

2. निर्माण अनुदान मांगने के लिए आवेदन में सही औचित्य के साथ विस्तृत अनुमानित लागत शामिल की जानी चाहिए जिससे कि विशेषज्ञ समिति वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर अनुदान की सिफारिश पर विचार कर सके।

3. सहायता के लिए व्यक्तिगत प्रस्तावों का चयन करने में यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि दुर्लभ और परम्परागत रूपों को वरीयता देते हुए देश के सभी भागों से सभी कला रूपों और शैलियों का प्रतिनिधित्व हो।

4. मौलिक लेखन, मौलिक निर्देशन, रंगशाला शोध, रंगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा दर्शकों के प्रशिक्षण तथा ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं, जिनका उद्देश्य प्रयोगात्मक

और नवाचार तरीकों को प्रोत्साहिन करना है, के प्रस्तावों को विशेष महत्व दिया जाएगा।

5. जिन अनुदानग्राहियों को निर्माण अनुदान स्वीकृत हुआ है वे अपने कार्यक्रम के विस्तृत विवरण, संस्कृति मंत्रालय को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि इन्हें संस्कृति मंत्रालय की वेब–साइट पर अपलोड किया जा सकेगा।

6. निर्माण अनुदान मांगने वाले संगठन/व्यक्ति एक वर्ष में केवल एक ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ख) वेतन अनुदान

1. वेतन अनुदान सहायता के लिए समूह टोलियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में और गुणवत्ता परक रंगपटल हो और वे अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन कर रही हों।

2. वे अनुदानग्राही जो वेतन अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनके वेतन अनुदान के नवीकरण की सिफारिश तभी की जाएगी जब वे वित्त वर्ष के दौरान कम से कम दो निर्माण का मंचन करें। इनमें से एक निर्माण नया अर्थात जो पहले मंचित न किया गया हो, होना चाहिए।

3. इस उद्देश्य के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा वेतन अनुदान का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाएगा।

ग. स्कीम के अंतर्गत आवेदन आंमत्रित करने के लिए विज्ञापन

1. यद्यपि, विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट और समाचार–पत्रों आदि, दोनों के माध्यम से वार्षिक आधार पर दिया जाएगा, तथापि, आवेदन (विज्ञापन में विहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) वित्त वर्ष के दौरान कभी भी किया जा सकता है जिनका मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा आवधिक आधार पर किया जाएगा। आवेदन–पत्र, विधिवत रूप से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन या किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय अकादमी सहित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र फाउंडेशन, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) और इसी प्रकार के निकायों से संस्तुत होना चाहिए।

2. नीचे पैरा च में यथा निर्धारित दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं। इन दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

घ. चयन का तरीका

1. निर्माण अनुदान/वेतन अनुदान इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। विशेषज्ञ समिति का गठन दो वर्षों के लिए होगा तथा यह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगी।

2. निधि और अनुदान के लिए आवेदनों की संख्या की उपलब्धता के आधार पर विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदनों की जांच आवधिक रूप से की जाएगी।

3. निर्माण अनुदान, 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दो किस्तों के रूप में वितरित किया जाएगा जबकि संगठनों/संस्थानों को वेतन अनुदान वार्षिक रूप से जारी किया जाएगा।

ड. अनुदान की राशि

1- **वेतन अनुदान :** 1/4/2009 से लागू, विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम 25 कलाकारों और एक गुरू को वेतन अनुदान दिया जाएगा। 1/4/2009 से प्रभावी, प्रत्येक कलाकार/गुरू को सहायता नीचे दिए अनुसार दी जाएगीः–

(i)	कलाकार	रु0 6000/–	प्रत्येक माह
(ii)	एक गुरू/निर्देशक	रु0 10,000/–	प्रत्येक माह

2. **निर्माण अनुदान :** 1/4/2009 से प्रभावी, परियोजना के आधार पर संगठन/व्यक्तियों को अधिकतम 5 लाख रु0 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तथापि, वृहत निर्माणों के मामले में, स्कीम के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, माननीय मंत्री के अनुमोदन से अनुदान की ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

च. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

(i) संस्था के ज्ञापन व पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।

(ii) आयकर मूल्यांकन आदेश।

(iii) पिछले तीन वर्षों के प्राप्ति और भुगतान लेखे और लेखा परीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित तुलन–पत्र।

(iv) पिछले वर्ष प्राप्त अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।

(v) कलाकारों के नाम, गुरू/निर्देशकों के नाम, रिहर्सल लागत, पोशाकों की लागत, परिवहन लागत, शोध लागत, लेखन की लागत, मंचन की लागत आदि का सम्पूर्ण ब्यौरा।

(vi) पिछले वर्षों के निर्माण की प्रेस समीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकट आदि की स्मारिका प्रतिलिपि।

(vii) आवेदन पत्र, सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय अकादमी जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र फाउंडेशन, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) और सदृश स्तर के निकाय शामिल हैं, से संस्तुत होने चाहिएं।

छ. स्कीम का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग

आवधिक आधार पर, विशेषतः वेतन अनुदान ग्राहियों के लिए, संस्कृति मंत्रालय आवधिक निरीक्षणों, फील्ड दौरों आदि, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, के माध्यम से अनुदानग्राहियों का मूल्यांकन करेगा।

वेतन अनुदान के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक संगठन का नाम :

2. आवेदक संगठन का पता :

   टेलीफोन ________________________________

   फैक्स ________________________________

   ईमेल ________________________________

3. संगठन की स्थापना की तिथि और पंजीकरण संख्या :
   (पंजीकरण प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन की प्रति संलग्न की जाए)

4. एनजीओ भागीदारी राष्ट्रीय पोर्टल से प्राप्त विशिष्ट पहचान (आई.डी. नं.) :

5. स्थाई खाता संख्या :
   (आयकर)

6. आवेदक संगठन का बैंक खाता :

   i) बैंक का नाम :

   ii) खाता संख्या :

   iii) एमआईसीआर कोड :

   iv) आईएफएससी कोड :

7. क्षेत्रः नृत्य/संगीत/रंगमंच/दुर्लभ कला रूप/अन्य
   (कृपया विशेष उल्लेख करें) :
   (जो लागू न हो उसे काट दें)

8. गुरू/निर्देशक का नाम :
   (जीवनवृत्त संलग्न किया जाए)

9. संगठन में पंजीकृत कलाकारों का नाम :
   (प्रत्येक कलाकार का जीवनवृत्त संलग्न किया जाए)

10. कृपया गुरू/निर्देशक और कलाकारों की संख्या और
    नाम का उल्लेख करें जिनके लिए वेतन अनुदान मांगा गया है :

11. निर्माण का वार्षिक कार्यक्रम, नई निर्माण परियोजनाओं का
    भी उल्लेख करें : (ब्यौरा संलग्न किया जाए)

12. निर्माण के वार्षिक कार्यक्रम की अनुमानित लागत :
(अर्थात् पूर्वाभ्यास, पोशाक, परिवहन, अनुसंधान, आलेख लेखन,
मंचन आदि का मदवार ब्यौरा संलग्न किया जाए)

13. परियोजना के लिए वित्त का अन्य स्रोत :

14. पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित से प्राप्त सहायता की मात्रा :

(क) संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली

(ख) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली

(ग) राज्य सरकार/राज्य अकादमी

(घ) अन्य स्रोत

15. क्या मंत्रालय द्वारा पहले जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का
लेखापरीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
यदि हां, तो उपयोग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए।

16. लेखा परीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति और
भुगतान लेखा और तुलन–पत्र (संलग्न किया जाए)

17. पिछले वर्ष के निर्माण की प्रेस पुनरीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकटों की स्मारिका
प्रति आदि (संलग्न किया जाए)

18. विधिवत भरी हुई जांच सूची और उसमें दर्शाए गए सभी दस्तावेज भी इस
आवेदन के साथ संलग्न किए जाएं

19. मैं प्रमाणित करता हूं किः

(क) ऊपर दिया गया विवरण का ब्यौरा सत्य है

(ख) संस्थान/संगठन संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा

हस्ताक्षर —-——————————

नाम -—-——————————

पदनाम —-——————————

कार्यालय की मोहर ——————

तिथि :
स्थान :

वेतन अनुदान के लिए जांच सूची

(आवेदन के साथ संलग्न किए जाने हेतु)

क्र.सं.	प्रस्तुत की जाने वाली सूचना/संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	क्या सूचना दी गई है/ दस्तावेज संलग्न किया गया है (कृपया हां/नहीं या लागू नहीं लिखें)
1.	क्या स्कीम के पैरा च (vii) के अंतर्गत यथा अपेक्षित सिफारिश (प्रपत्र के अनुसार) मांगी गयी है और संलग्न की गयी है।	
2.	क्या विधिवत भरा हुआ संकल्प (प्रपत्र के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
3.	क्या विधिवत भरा गया क्षतिपूर्ति बंधपत्र (प्रपत्र के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
4.	क्या विधिवत भरा गया बैंक प्राधिकार पत्र (प्रपत्र के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
5.	क्या एनजीओ भागीदारी का विशिष्ट पहचान आईडी नं. प्राप्त किया गया है और आवेदन में दर्शाया गया है।	
6.	पंजीकरण प्रमाण–पत्र और संगम ज्ञापन संलग्न किया जाए।	
7.	जीवनवृत्त सहित गुरू और कलाकारों का ब्यौरा	
8.	निर्माण के वार्षिक कार्यक्रम का ब्यौरा	
9.	पूर्वाभ्यास की लागत, पोशाक की लागत, परिवहन की लागत, अनुसंधान की लागत, आलेख लेखन की लागत, मंचन की लागत आदि के पूर्ण ब्यौरे सहित निर्माण के वार्षिक कार्यक्रम की अनुमानित लागत :	
10.	लेखा परीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति और भुगतान लेखा और तुलन–पत्र	
11.	विगत वर्ष के अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र	
12.	संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहले जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण–पत्र	
13.	नवीनतम आयकर मूल्यांकन आदेश	
14.	पिछले वर्ष के निर्माण की प्रेस पुनरीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकटों की स्मारिका प्रति आदि	

*आवेदक का हस्ताक्षर : ____________________

नाम : ____________________

पदनाम : ____________________

कार्यालय मोहर : ____________________

*जिस व्यक्ति ने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया है, यहां पर उसी व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए।

दिनांक :
स्थान :

नोट : क्षतिपूर्ति बंध–पत्र, संकल्प, बैंक प्राधिकार पत्र के फार्मेट तथा एन जी ओ भागीदारी पर सलाहकारी टिप्पणी क्रमशः अनुबंध–I, II, III तथा IV में दी गई है।

निर्माण अनुदान के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक संगठन/व्यक्ति का नाम :

2. पता :

   टेलीफोन ____________________

   फैक्स ____________________

   ईमेल ____________________

3. संगठन की स्थापना की तिथि और पंजीकरण संख्या :
   (पंजीकरण प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन की प्रति संलग्न की जाए)
   (यदि आवेदक व्यक्ति है तो यह लागू नहीं होगा)

4. एनजीओ भागीदारी राष्ट्रीय पोर्टल से प्राप्त विशिष्ट पहचान आई.डी. नं. :
   (यदि आवेदक व्यक्ति है तो यह लागू नहीं होगा)

5. स्थाई खाता संख्या (पैन) : (आयकर)

6. आवेदक संगठन/व्यक्ति का बैंक खाता :
   i) बैंक का नाम :
   ii) खाता संख्या :
   iii) एमआईसीआर कोड :
   iv) आईएफएससी कोड :

7. आवेदक का जीवनवृत्त, यदि आवेदक व्यक्ति है : (संलग्न किया जाए)

8. क्षेत्रः नृत्य/संगीत/रंगमंच/दुर्लभ कला रूप/अन्य :
   (कृपया विशेष उल्लेख करें) : (जो लागू न हो उसे काट दें)

9. परियोजना का शीर्षक :

10. अधिकतम 150 टाइप अंकित शब्दों में परियोजना का सार :
    (संलग्न किया जाए)

11. परियोजना के शुरू होने की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) :

12. परियोजना के पूरा होने की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) :

13. परियोजना की अनुमानित लागत :
    (मदवार ब्योरा अर्थात् पूर्वाभ्यास, पोशाक, परिवहन, अनुसंधान, आलेख लेखन, मंचन आदि संलग्न किया जाए)

14. संस्कृति मंत्रालय से मांगी गई सहायता की राशि :

15. परियोजना के वित्त पोषण का अन्य स्रोत :

16. पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित से प्राप्त सहायता की मात्राः
    (क) संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
    (ख) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
    (ग) राज्य सरकार/राज्य अकादमी
    (घ) अन्य स्रोत

17. क्या मंत्रालय द्वारा पहले जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि हां, तो उपयोग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए

18. लेखा परीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति और भुगतान लेखा और तुलन–पत्र (संलग्न किया जाए)

19. पिछले वर्ष के निर्माण की प्रेस पुनरीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकटों की स्मारिका प्रति आदि (संलग्न की जाए)

20. क्या आवेदक द्वारा वेतन अनुदान भी प्राप्त किया गया हैः हां/नहीं (यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए)

गुरू की संख्या	
कलाकारों की संख्या	
प्राप्त किए जाने वाले वेतन अनुदान की कुल राशिः	

21. विधिवत भरी हुई जांच सूची और उसमें दर्शाए गए सभी दस्तावेज भी इस आवेदन के साथ संलग्न किए जाएं

22. मैं प्रमाणित करता हूं कि :
    (क) ऊपर दिए गए विवरण का ब्यौरा सत्य है
    (ख) संस्थान/संगठन संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ——————————

नाम ——————————

पदनाम ——————————

कार्यालय की मोहर ——————————

तिथि :

स्थान :

निर्माण अनुदान के लिए जांच सूची

(आवेदन के साथ संलग्न किए जाने हेतु)

क्र.सं.	प्रस्तुत की जाने वाली सूचना/संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	क्या सूचना दी गई है/दस्तावेज संलग्न किया गया है (कृपया हां/नहीं या लागू नहीं (एन ए) लिखें)
1.	क्या स्कीम के पैरा च (vii) के अंतर्गत यथा अपेक्षित सिफारिश (प्रपत्र के अनुसार) मांगी गयी है और संलग्न की गयी है।	
2.	क्या विधिवत भरा हुआ संकल्प (प्रपत्र के अनुसार) संलग्न किया गया है।*	
3.	क्या विधिवत भरा गया क्षतिपूर्ति बंधपत्र (प्रपत्र के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
4.	क्या विधिवत भरा गया बैंक प्राधिकार पत्र (प्रपत्र के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
5.	क्या एनजीओ भागीदारी का विशिष्ट पहचान आईडी नं. प्राप्त किया गया है और आवेदन में दर्शाया गया है।*	
6.	पंजीकरण प्रमाण–पत्र और संगम ज्ञापन संलग्न किया जाए।*	
7.	टाइप लिखित अधिकतम 150 शब्दों में परियोजना का सार	
8.	परियोजना की अनुमानित लागत और पूर्वाभ्यास की लागत, पोशाक की लागत, परिवहन की लागत, अनुसंधान की लागत, आलेख लेखन की लागत, मंचन की लागत आदि के पूर्ण ब्यौरे सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
9.	लेखा परीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति और भुगतान लेखा और तुलन–पत्र	
10.	विगत वर्ष के अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र	
11.	संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहले जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र	
12.	नवीनतम आयकर मूल्यांकन आदेश	
13.	पिछले वर्ष के निर्माण की प्रेस पुनरीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकटों की स्मारिका प्रति आदि	

*यदि आवेदक व्यक्ति है तो प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

** आवेदक का हस्ताक्षर : ______________________

नाम : ______________________

पदनाम : ______________________

कार्यालय मोहर : -----------------______________

*जिस व्यक्ति ने आवेदन पर हस्ताक्षर किया है, यहाँ पर उसी व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए।

दिनांक :

स्थान :

नोट : क्षतिपूर्ति बंध–पत्र, संकल्प, बैंक प्राधिकार पत्र के फार्मेट तथा एनजीओ भागीदारी पर सलाहकारी टिप्पणी क्रमशः अनुबंध– I, II, III तथा IV में दी गई है।

स्कीम के पैरा च (vii) के अंतर्गत यथा अपेक्षित संस्तुति

1. **(आवेदक का नाम)** ____________________ ने विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजना में कार्यरत व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन/निर्माण अनुदान का आवेदन किया है।

2. आवेदक (संगठन) पंजीकृत है तथा इसकी प्रभावी सांस्कृतिक प्रोफाइल है। संगठन सांस्कृतिक रूप से सक्रिय होने के साथ–साथ आवेदन में दी गई परियोजना हेतु सहायता का पात्र है।

या

आवेदक (व्यक्ति) सक्रिय है और उसकी संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिष्ठा है तथा आवेदन में उल्लिखित परियोजना के लिए सहायता का पात्र है।

हस्ताक्षर ______________________

नाम __________________________

पदनाम ________________________

कार्यालय मोहर __________________

दिनांकः __________________

स्थान : __________________

नोट 1: यह अनुशंसा, किसी भी राज्य अकादमी अथवा राष्ट्रीय अकादमी, जिनमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक स्त्रोत तथा प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी), समान स्तर के निकाय या संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन का संस्कृति विभाग शामिल है, द्वारा की जा सकती है।

नोट 2: उपर्युक्त में से किसी भी संगठन द्वारा अनुशंसित नहीं किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2

गैर लाभार्थी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता

संक्षिप्त नाम : सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सी एफ जी एस)

1. शीर्षक

इस स्कीम को ''गैर –लाभकारी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम'' कहा जाएगा।

2. विषय–क्षेत्र

इस स्कीम में सोसाइटियों, न्यासों तथा विश्वविद्यालयों, जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार, अनुसंधान, कार्यशालाएं, उत्सव तथा प्रदर्शनियां आदि आयोजित करते हैं, सहित सभी गैर लाभकारी संगठनों को सहायता देना शामिल है। ये संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21), न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिएं और कम से कम तीन वर्ष से कार्यरत होने चाहिएं।

तथापि, यह स्कीम ऐसे संगठनों या संस्थाओं के लिए नहीं होगी जो धार्मिक संस्थाओं या स्कूलों/कॉलेजों के रूप में कार्य कर रहे हों।

अनुदान, सांस्कृतिक विरासत, कलाओं, साहित्य और अन्य सृजनात्मक कार्यों के परिरक्षण या संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों जैसे सभी प्रकार के अंतर क्रियात्मक मंचों के लिए दिया जाएगा।

3. पात्रता

क) अनुदान का पात्र होने के लिए आवेदक संगठन का समुचित रूप से गठित ऐसा प्रबंधन निकाय या शासी परिषद होनी चाहिए जिसकी शक्तियां, कार्य व जिम्मेदारियां लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित व निर्धारित हों।

ख) संगठन द्वारा परियोजना लागत के कम से कम 25 प्रतिशत तक मैचिंग संसाधनों का करार किया होना चाहिए या इसकी योजना बनाई जानी चाहिए।

ग) संगठन के पास उस समारोह/परियोजना को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक तथा अनुभव होना चाहिए जिसके लिए अनुदान की मांग की गई हो।

घ) यथा आवेदित ऐसे समारोह के आयोजनों के विगत अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

4. कार्यकलाप जिनके लिए सहायता दी जानी है और सहायता की सीमा

वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जा सकती है :

क) किसी भी कला रूप/महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, उत्सव, प्रदर्शनियां आयोजित करना और लघु अनुसंधान परियोजनाएं आदि शुरू करना।

ख) सांस्कृतिक विषयों व उनके प्रकाशनों सहित उनके संबंध में सर्वेक्षण, प्रायोगिक परियोजनाएं आदि संचालित करने जैसे विकास किस्म के कार्यकलापों पर व्यय की पूर्ति करना।

5. सहायता की मात्रा :

उक्त पैरा 4 के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान, विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा संस्तुत व्यय का 75 प्रतिशत तक परन्तु प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 लाख रू. तक दिया जाएगा।

मंत्रालय अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में समुचित अनुमोदन के तहत उत्कृष्ट योग्यता व प्रासंगिकता की किसी भी परियोजना के लिए सहायता की राशि बढ़ा सकता है।

6. लेखाकरण पद्धतियां

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में अलग लेखे रखे जाएंगे।

क) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के लेखाओं की समीक्षा, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके विवेक पर उसके नामिती द्वारा की जा सकेगी।

ख) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, भारत सरकार को अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय का उल्लेख करते हुए और पूर्व वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का ब्यौरा देते हुए किसी सनदी लेखाकार से संपरीक्षित लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदान प्राप्तकर्ता को प्राप्त अनुदान की समग्र राशि और उस पर भारत सरकार की वर्तमान दर पर ब्याज तत्काल वापिस करना होगा बशर्तें कि सरकार द्वारा विशेष रूप से ब्याज माफ न किया गया हो।

ग) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन की, सरकार द्वारा कभी भी आवश्यक समझे जाने पर कोई समिति नियुक्त करके या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा सकेगी।

घ) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, विदेश मंत्रालय से अनुमति लिए बिना विदेशी प्रतिनिधिमण्डल को आमंत्रित नहीं करेगा, जिसके लिए आवेदन अनिवार्यतः संस्कृति मंत्रालय के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा।

ड.) यह ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की जाएं।

7. आवेदन प्रस्तुत करने की पद्धति

हालांकि वार्षिक रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर और समाचार–पत्र आदि में, दोनों तरह से विज्ञापन दिया जाएगा, आवेदन वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय (विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित पद्धति के अनुसार) प्रस्तुत किए

जा सकते हैं। आवेदन, किसी भी राष्ट्रीय अकादमी या भारत सरकार के तहत संस्कृति से सम्बद्ध किसी अन्य संगठन या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन, राज्य अकादमी द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

8. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(क) संगठन का संविधान

(ख) प्रबंधन बोर्ड या शासी निकाय का संविधान और प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा

(ग) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि

(घ) निम्नलिखित सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :

(i) परियोजना की अवधि सहित उस परियोजना का विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा परियोजना के लिए सेवा में लगाए जाने वाले स्टाफ की अर्हताओं तथा अनुभव का ब्यौरा;

(ii) आवर्ती व गैर–आवर्ती व्यय का अलग से मदवार ब्यौरा देते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण।

(iii) स्रोत जिनसे सहयोगी निधियां प्राप्त की जाएंगी।

(ड.) आवेदक संगठन के गत तीन वर्षों के आय व व्यय का विवरण तथा किसी सनदी लेखाकार या सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रतिलिपि

(च) समुचित मूल्यवर्ग के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में क्षतिपूर्ति बाण्ड

(छ) संस्वीकृत निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का ब्यौरा

9. किस्त

अनुदान, 75 प्रतिशत (प्रथम किस्त) और 25 प्रतिशत (दूसरी किस्त) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

10. भुगतान का तरीका

भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों से किया जाएगा।

11. स्कीम का परिणाम

समारोह की जिल्दबंद रिपोर्ट तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी; प्रथम प्रतिलिपि मंत्रालय को, दूसरी प्रतिलिपि आईजीएनसीए को तथा तीसरी प्रतिलिपि उस संगठन को जिसने अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के आवेदन की सिफारिश की थी।

12. मामलों में कार्रवाई करने में लिया गया समय

ऐसे अधूरे आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और लौटा दिया जाएगा जिनके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं लगाए गए होंगे।

(आवेदन आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस की प्रतिलिपि भी देखी जा सकती है)

सांस्कृतिक कार्य अनुदान स्कीम

गैर लाभार्थी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता

उपर्युक्त स्कीम के तहत भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर सोसायटियों, न्यासों, कम्पनियों तथा विश्वविद्यालयों सहित गैर लाभकारी संगठनों द्वारा आयोजित सेमिनारों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, उत्सवों व प्रदर्शनियों आदि में सहायता करने के लिए उक्त संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदक संगठन, संलग्न प्रोफार्मा में किसी भी राष्ट्रीय अकादमी, भारत सरकार के तहत किसी भी संस्कृति सम्बद्ध संगठन या राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/राज्य अकादमी की सिफारिश के साथ तथा पूरे दस्तावेज संलग्न किए आवेदन, अनुभाग अधिकारी, एस एण्ड एफ अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगा। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया अनुभाग अधिकारी (एस एण्ड एफ) से टेलीफोन नम्बर–011–23389608 पर सम्पर्क करें। यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(क) संगठन का संविधान अथवा उचित विवरण

(ख) प्रबंधन बोर्ड या शासी निकाय का संविधान अथवा और प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा (एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों के मामले में)

(ग) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि अथवा सदृश कागजात

(घ) निम्नलिखित सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :

(i) परियोजना की अवधि सहित उस परियोजना का विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा परियोजना के लिए सेवा में लगाए जाने वाले स्टाफ की अर्हताओं तथा अनुभव का ब्यौरा;

(ii) आवर्ती व गैर–आवर्ती व्यय का अलग से मदवार ब्यौरा, तथा

(iii) स्रोत जिनसे सहयोगी निधियां प्राप्त की जाएंगी।

(ड.) आवेदक संगठन के गत तीन वर्षों के आय व व्यय का विवरण तथा किसी सनदी लेखाकार या सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रतिलिपि

(च) समुचित मूल्यवर्ग के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में क्षतिपूर्ति बाण्ड

(छ) संस्वीकृत निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का ब्यौरा

(ऐसे अधूरे आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और लौटा दिया जाएगा जिनके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं लगे होंगे)

सांस्कृतिक कार्य अनुदान स्कीम हेतु आवेदन पत्र

1. संगठन का नाम :
2. डाक पता (टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल पते सहित) :
3. संगठन की स्थापना व पंजीकरण की तिथि :
4. संगठन का पंजीकरण नम्बर, यदि लागू हो :
5. एनजीओ भागीदारी प्रणाली द्वारा जारी विशिष्ट पहचान (आईडी) :
6. स्थायी खाता नम्बर (पैन) (आयकर) :
7. बैंकर का नाम व खाता नम्बर :
8. संस्थान/संगठन का सक्षिप्त विवरण, इसका उद्देश्य व कार्यकलाप :
9. परियोजना का शीर्षक जिसके लिए सहायता मांगी गई है तथा इसके निष्पादन की तिथि व अवधि : (आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)
10. प्रस्तावित परियोजनाओं का शीर्षक
11 निष्पादन की तिथि व अवधि
12. परियोजना की रूपरेखा (संलग्न की जाए) :
13. परियोजना की कुल अनुमानित लागत (मदवार ब्यौरा संलग्न किया जाए) :
14. संस्कृति मंत्रालय से प्रार्थित सहायता की राशि :
15. परियोजना हेतु वित्त के अन्य स्रोतों का ब्यौरा (बराबरी का हिस्सा) :
16. संस्कृति मंत्रालय से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की मात्रा :
17. क्या विगत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। यदि हां, तो उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं।
18. मैं यह प्रमाणित और घोषित करता हूँ कि :
    क) उपर्युक्त प्रस्तुत विवरणों का ब्यौरा सत्य है
    ख) संस्थान/संगठन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन करेगा।

हस्ताक्षर : ______________________

नाम : ____________---____________

पदनाम : ______________________

कार्यालय मोहर :

नोट : कृपया संलग्न जांच सूची में यथा उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न करें और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें।

समुचित एजेंसी की सिफारिश

(यह विश्वविद्यालय विभागों /केन्द्रों पर लागू नहीं है)

आवेदन के साथ निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए किसी भी राष्ट्रीय अकादमी, भारत सरकार के तहत किसी भी संस्कृति सम्बद्ध संगठन या राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/राज्य अकादमियों की सिफारिश अग्रेषित की जाए :

1. यह कि उक्त संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21), न्यास अधिनियम, कम्पनी अधिनियम या अन्य किसी केन्द्र या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
2. यह कि उक्त संगठन सक्रिय व कल्याणकारी है और आवेदन में उल्लिखित परियोजना के लिए सहायता किए जाने का पात्र है।

नोट : उपर्युक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी मामले की सिफारिश करने वाली अकादमी/सरकार के सांस्कृतिक संगठन का प्रमुख या राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के अवर सचिव या उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए।

जांच सूची

(आवेदन के साथ संलग्न किए जाने हेतु)

क्रम संख्या	दी गई सूचना/संलग्न दस्तावेज	क्या सूचना दी गई है/दस्तावेज संलग्न किए गए हैं (कृपया हां/ना या लागू नहीं (एन ए) लिखें)
1.*	पंजीकरण संख्या	
2.*	संलग्न किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र व संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि (विश्वविद्यालय विभागों/केन्द्रों को छोड़कर)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि लागू हो)	
4.	परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा जो टाइप–लिखित में 150 शब्दों से अधिक न हो	
5.	परियोजना की रूप–रेखा	
6.	प्रस्तावित परियोजना की लागत का पूर्ण विवरण	
7.	क्या विगत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं	
8.	गत तीन वर्षों की प्राप्ति व भुगतान लेखे तथा लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र तुलन पत्र सहित	
9.	क्या आवेदन पत्र में यथा अपेक्षित सिफारिशें मांगी गई हैं और उन्हें संलग्न किया गया है।	
10.	क्या विधिवत भरा गया क्षतिपूर्ति बंध–पत्र (फार्मेट के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
11.	क्या विधिवत भरा गया बैंक प्राधिकार पत्र (फार्मेट के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
12.	क्या विधिवत भरा गया संकल्प (फार्मेट के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
13.	क्या एनजीओ भागीदारी प्रणाली द्वारा जारी विशिष्ट पहचान (आई डी) संलग्न की गई है।	

हस्ताक्षर : ——————————

नाम : ----————————————

पदनाम : -——-———————————

कार्यालय मोहर : ————————

हस्ताक्षर, आवेदन में किए गए हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।

***स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु। विश्वविद्यालय विभाग/केन्द्र सदृश लागू ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

नोट : क्षतिपूति बंध–पत्र, संकल्प, बैंक प्राधिकार पत्र तथा एन जी ओ भागीदारी पर सलाहकारी टिप्पणी के फार्मेट क्रमशः अनुबंध– I, II, III तथा IV में दिए गए हैं।

3

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शताब्दी/जयंती मनाने के लिए सहायता अनुदान

1. नाम

यह स्कीम 'शताब्दियाँ/जयंतियाँ आयोजित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जानी जाएगी।

2. उद्‌देश्य

स्कीम का उद्‌देश्य महान विभूतियों के जीवन और उनके काल से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना है ताकि जनता को, विशेषकर युवकों को इन महान विभूतियों की चेतना से अनुप्राणित किया जा सके।

3. क्षेत्र

स्कीम के उद्‌देश्य को प्राप्त करने हेतु पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य और राष्ट्रीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4. सहायता की प्रकृति

(i) स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त कार्यक्रमों के लिए किसी भी स्वैच्छिक संगठन को एक लाख रूपए तक की राशि का अनुदान।

(ii) जयंती वर्ष अर्थात् 125 वीं, 150वाँ, 175वाँ, और ऐसे ही वर्षगांठ समारोहों के मामले में अधिकतम 40,000/— रूपये (चालीस हजार रूपये मात्र) तक का अनुदान।

(iii) अनुदान की राशि उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। व्यय का शेष 25 प्रतिशत संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपनी इच्छा की किसी एजेंसी के जरिए या सीधे ही इस विषय पर कोई परियोजना शुरू कर सकता है और परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त राशि से स्कीम के तहत परियोजना को वित्तपोषित कर सकता है।

5. पात्रता मानदंड

i) अनुदान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/न्यास के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाएगा।

ii) सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्‌भाव के प्रचार तथा प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए अनुदान।

iii) उन सुविख्यात विभूतियों की शताब्दियों/जयंतियों के आयोजन हेतु ऐसे अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है तथा कलाओं, ललित कलाओं और आधुनिक भारतीय वास्तुकलाओं इत्यादि सहित सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सुधारों, आध्यात्मिक मूल्यों, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है।

iv) प्रत्येक आवेदन की उसके गुणावगुणों के आधार पर जाँच की जाएगी।

v) यह मंत्रालय, इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए अनुरोध करने वाले संगठन के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं के संबंध में जहाँ–कहीं आवश्यक हुआ, राज्य सरकार से सलाह लेगा।

vi) किसी एक सुविख्यात व्यक्ति विशेष की शताब्दी/जयंती मनाने के लिए पाँच से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। सामान्यतः किसी एक स्थान (कस्बा/नगर) के लिए एक से अधिक संगठन को अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए।

vii) समारोह के भाग के रूप में स्मारकों के निर्माण के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा।

viii) जी.एफ.आर. में यथा निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए अन्य वित्तीय अनुदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा।

ix) उक्त अनुदान, संयुक्त सचिव (संस्कृति) के अनुमोदन से संस्वीकृत किया जाएगा।

x) केन्द्र सरकार द्वारा मनाई जाने वाली शताब्दी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सामान्यतः वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसे किसी संगठन को इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय समिति द्वारा न चुना गया हो।

6. आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रकिया

अनुदानों के लिए आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजा जाना चाहिए :

i) प्रस्तावित शताब्दी/जयंती समारोह, जिसके लिए वित्तीय सहायता संबंधी अनुरोध किया गया है, के संबंध में, समयावधि सहित विस्तृत विवरण।

ii) एक वित्तीय विवरण, जिसमें व्यय का मद–वार ब्यौरा दिया गया हो।

iii) संगठन का पिछले तीन वर्षों का आय–व्यय का संपरीक्षित विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट।

iv) संगठन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति।

v) संगठन का संविधान/संगम ज्ञापन/लक्ष्य और उद्देश्य।

vi) नाम एवं पता सहित विशेषज्ञों का ब्यौरा।

vii) उस व्यक्ति का प्रकाशित जीवन वृत्त, जिसकी जन्म शताब्दी/वर्षगांठ आयोजित की जानी है और उस पुस्तक का नाम जहां से यह लिया गया है। जीवनवृत्त में जन्म तिथि और उनके द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख होना चाहिए (अंग्रेजी या हिन्दी में)।

4

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता

1. उद्देश्य :

स्कीम का उद्देश्य बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परम्परा के प्रचार–प्रसार एवं वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में कार्यरत मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. अनुदान के लिए मानदंड :

i) स्वैच्छिक संस्था/संगठन और सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) अथवा सदृश अधिनियमों के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

ii) केवल वही संगठन अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जो मुख्यतः बौद्ध/तिब्बती अध्ययन कार्यों में लगे हैं तथा कम से कम गत तीन वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

iii) संगठन क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए।

iv) अनुदान तदर्थ आधार पर दिया जाएगा तथा इसका स्वरूप अनावर्ती प्रकृति का होगा।

v) इस स्कीम के अंतर्गत केवल उन्हीं संगठनों को अनुदान दिया जाएगा, जिन्हें ऐसे ही प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

vi) हॉस्टल भवन, कक्षा, विद्यालय भवन और प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

vii) ऐसे संगठनों को वरीयता दी जाएगी, जिनका संबंधित क्षेत्र में किया जा रहा कार्य अच्छा है तथा जिनके पास समनुरूपी निधियों को पूरा करने के संसाधन हैं।

3. सहायता का प्रयोजन और मात्रा :

3.1 किसी एक संगठन को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 30.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता नीचे दी गई सभी मदों अथवा किसी एक मद के लिए दी जा सकती है। ऐसे संगठनों के मामले .में जो अखिल भारतीय प्रकृति के हैं और मठ विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वित्तीय सहायता की राशि अधिकतम सीमा से ज्यादा हो सकती है, जो विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश पर और वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

क्र.सं.	मदें	अधिकतम राशि (प्रतिवर्ष)
i.	अनुरक्षण (कार्मिकों को वेतन, कार्यालय व्यय/विविध व्यय)	5,00,000/– रु.
ii.	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन संबंधी अनुसंधान परियोजना	2,00,000/– रु.
iii.	बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की खरीद, प्रलेखन, सूचीकरण	5,00,000/– रु.
iv.	मठवासी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	5,00,000/– रु.
v.	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाना	2,00,000/– रु.
vi.	बौद्ध कला और संस्कृति के परिरक्षण और प्रसार के लिए पारंपरिक सामग्रियों की ऑडियो–वीडियो रिकार्डिंग/प्रलेखन/अभिलेख तैयार करना	5,00,000/– रु.
vii.	मठीय स्कूलों के लिए आई टी उन्नयन और आई टी समर्थित शिक्षण/प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना	5,00,000/– रु.
viii.	दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मठीय स्कूलों और मठों के लिए परिवहन सुविधा	5,00,000/– रु.
ix.	अध्यापकों का वेतन, जहां संगठन, मठ–विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल का संचालन कर रहा है	5,00,000/– रु.
x.	बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन मठों एवं विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण	30,00,000/– रु.
xi	कक्षाओं के लिए शौचालय तथा पीने के पानी सहित विद्यालय भवन, छात्रावास और प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण/मरम्मत/विस्तार, जो बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति तथा मठीय विद्यालयों के लिए पारंपरिक शिल्प के कौशल विकास पर केन्द्रित हैं।	30,00,000/– रु.

3.2 किसी संगठन को अनुमत्य अधिकतम अनुदान की मात्रा विनिश्चित अधिकतम सीमा के अध्यधीन किसी मद पर होने वाले कुल व्यय का 75 प्रतिशत होगी। शेष 25 प्रतिशत अथवा अधिक खर्च राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर अनुदानग्राही संगठन अपने स्वयं के संसाधनों से उक्त राशि का योगदान कर सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में निधि की भागीदारी होगी, ऐसा न होने पर अनुदानग्राही संगठन अपने स्वयं के संसाधन से उक्त राशि का योगदान करेगा।

4. आवेदन की प्रकिया

4.1 संगठन, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से संगठन की पात्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिले में स्थित संगठन को अपने आवेदन केवल संबंधित जिलाधीश/उपायुक्त की सिफारिश के बाद सीधे संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है।

क्र.सं.	दस्तावेज/सूचना
i.	वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जिसमें पंजीकरण की वैधता स्पष्ट रूप से दर्शायी गई है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए।
ii.	संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि।
iii.	पिछले तीन वर्षों की संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां
iv.	पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां
v.	शुरू किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप संबंधी मदवार विवरण, साथ ही मांगी गई निधियों का विस्तृत ब्यौरा, वांछित लाभार्थियों की संख्या, परियोजना की समय सूची आदि।
vi.	खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची और उनका मूल्य, यदि लागू हो।
vii.	सिविल निर्माण के मामले में भूमि/भवन का मालिकाना साबित करने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, यदि लागू हो।
viii.	सिविल कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें सूचना के साथ–साथ कुल भूमि उपलब्धता, अनुमानित लागत–मदवार, व्यय की स्थिति, पूर्णता अनुसूची, प्रत्येक मद के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित प्राक्कलन, वास्तुविद के ब्यौरे, अध्ययन कक्षों के ब्यौरे – क्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक है, अध्ययन कक्षों की संख्या, प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों की संख्या, कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और किस कक्षा तक आदि शामिल हैं, यदि लागू हों।
ix.	शिक्षकों का ब्यौरा– नाम, आयु, योग्यता एवं उनको भुगतान किया गया वेतन। शिक्षकों के वेतन से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित के अध्यधीन होंगे :– i) यदि सोसायटी अपने भवन में मठीय विद्यालय चला रही है अथवा यह इसके मठ में विद्यालय चला रही है। ii) ऐसे विद्यालय में प्रशिक्षण लेने वाले मठवासी/ननों की संख्या। iii) शिक्षकों की संख्या, उनकी आयु और योग्यता तथा उनको भुगतान किया गया वेतन। iv) क्या मठीय विद्यालय, राज्य में किसी स्थानीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है अथवा किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से ? v) क्या छात्र, दैनिक शिक्षार्थी हैं अथवा विद्यालय में आवासीय?
x.	विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः– i) छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए व्यक्तियों के चयन का मानदंड, ii) क्या संगठन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने के बारे में वित्तीय अथवा शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में अधिसूचित करता है? यदि हॉ, तो ऐसी अधिसूचना का तरीका और प्रमाण देना होगा।

4.2 सिफारिश : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, जिलाधीश/उपायुक्त प्रस्ताव की सिफारिश करते समय निम्नलिखित की जांच करेंगे :–

i) संगठन की पंजीकरण स्थिति।

ii) क्या संगठन के इसके संगम ज्ञापन के अनुसार उद्देश्य और कार्यकलाप, बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन से संबंधित हैं।

iii) सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिवहन सुविधाएं, सिविल निर्माण/शिक्षकों के वेतन के लिए मांगी गई निधियों के मामले में, क्या मठ, मठीय विद्यालय विद्यमान हैं/संगठन के स्वामित्व में हैं।

iv) क्या संगठन ऐसी परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम है?

v) कार्यकलाप/कार्यकलापों और संबंधित राशि की सिफारिश की जाती है।

4.3 केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, जम्मू और कश्मीर के लेह और कारगिल जिले में स्थित संगठनों के लिए ''सहायता केन्द्र'' के रूप में कार्य करेगा।

5. अनुदान जारी करने का तरीका तथा शर्तें :

क. आवेदन पत्रों के मूल्यांकन तथा विशेषज्ञ सलाहकार समिति और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय में प्रशासनिक प्राधिकारी की सिफारिश पर अनुदान दिया जाएगा।

ख. अनुदान की अदायगी दो समान किस्तों में की जाएगी, पहली किस्त सामान्यतः परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जाती है। दूसरी किस्त संपूर्ण अनुदान राशि तथा अनुदानग्राही/संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के हिस्सों के इस्तेमाल को दर्शाने वाले विधिवत संपरीक्षित लेखा–विवरण तथा सनदी लेखाकार की ओर से अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। शेष अनुदान के जारी किए जाने का निर्णय परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि यह अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

ग. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

घ. परियोजना का लेखा अलग से और समुचित ढंग से रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अथवा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा स्व–निर्णयानुसार उसकी जांच की जा सकती है।

ड. संगठन, लेखाओं के भाग के रूप में अलग संलग्नक में ''अनुरक्षण'' शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा।

च. अनुदानग्राही ही निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :–

i. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के पूरक लेखे।

ii. विधिवत मशीन–मुद्रित संख्याओं वाली जिल्दयुक्त पुस्तकों में हस्तलिखित रोकड़ बही रजिस्टर।

iii. सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों के लिए सहायता अनुदान रजिस्टर।

iv. खर्च की प्रत्येक मद जैसे– छात्रावास भवन आदि के निर्माण के लिए अलग खाता।

छ. संगठन ऐसी सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा, जो सम्पूर्णतः अथवा अधिकांशतः केन्द्र सरकार के अनुदान से अधिगृहीत की गई हों। इन परिसम्पत्तियों को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उन उद्देश्यों के अलावा, जिनके लिए अनुदान दिया गया है, न तो इस्तेमाल किया जाएगा अथवा बेचा जाएगा अथवा गिरवी रखा जाएगा!

ज. यदि किसी समय भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो जाता है कि मंजूर किए गए धन का इस्तेमाल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान की अदायगी रोक दी जाएगी तथा पहले दिए गए अनुदानों की वसूली की जाएगी।

झ. संगठन को अनुमोदित परियोजना के संचालन में समुचित मितव्ययिता बरतनी चाहिए।

ञ. अनुदानग्राही संगठन, संस्कृति मंत्रालय को परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक अनुमोदित मदों की वास्तविक उपलब्धियों और उस पर होने वाले व्यय को विस्तारपूर्वक अलग–अलग दर्शाया गया हो।

ण. सिविल कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन, अगले 10 वर्षों के लिए समतुल्य उद्देश्य के लिए अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

ट. अनुदानग्राही, पीडब्ल्यूडी से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र तथा सिविल कार्य का फोटो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

ठ. अनुदानग्राही, अनुसंधान परियोजना की 5 प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

ड. बौद्ध धर्म से संबंधित विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण के लिए अनुदान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमाण–पत्र के अध्यधीन होगा। इस कार्य के लिए एएसआई कार्यालय/संबंधित मंडल से यथोचित स्तर का एक अधिकारी संगठन से सम्बद्ध होगा।

ढ. ऐसे आवेदनों, जिनके पिछले अनुदान/उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा!

6. भुगतान का तरीका :

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से किए जाएंगे।

7. स्कीम का परिणाम :

शुरू किए गए कार्यकलाप संबंधी 'निष्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट' निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार दूसरी और अंतिम किस्त के अनुरोध के समय, संस्कृति मंत्रालय को विधिवत जिल्दसाजी की हुई 3 प्रतियों में तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/उपायुक्त को एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी :

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता

कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट

<table>
<tr><td>i.</td><td>संगठन का नाम, पता, टेलीफोन/फैक्स नं.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>संस्वीकृति संख्या एवं तारीख</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">iii.</td><td rowspan="2">कुल स्वीकृत अनुदान/व्यय</td><td>मद सं0</td><td>स्वीकृत अनुदान</td><td>किया गया खर्च</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>परियोजना का स्थान</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>v.</td><td>लाभार्भियों की संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>vi.</td><td>फोटो सहित मदवार कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>vii.</td><td>इसने बौद्ध कला और संस्कृति के परिरक्षण और विकास हेतु कैसे सहायता की/सहायता करेगा</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>viii.</td><td>कोई अन्य बिन्दु</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर ——————————

संगठन के अध्यक्ष/सचिव

8. अपूर्ण आवेदन :

अपूर्ण आवेदन जिनके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा बिना सिफारिश के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

9. विशेष प्रावधान :

यदि कोई प्रस्ताव उत्कृष्ट विशेषताओं वाली है और ईएसी को यह महसूस होता है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकतम सीमा पर्याप्त नहीं होगी, तो वह इस परियोजना के लिए संस्कृति मंत्री के अनुमोदन तथा अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय की सहमति से इस स्कीम से अधिकतम सीमा से अधिक किंतु 1.00 करोड़ रू. से अनधिक राशि तक वित्तपोषण करने की सिफारिश कर सकता है। स्कीम संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समिति को, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्रशासन की सिफारिश अथवा बिना सिफारिश से प्राप्त प्रस्ताव की सिफारिश करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार है।

10. निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग :

मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कम से कम 5 प्रतिशत मामलों का निरीक्षण किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/जिलाधीश/उपायुक्त भी परियोजना को मॉनीटर करेंगे।

11. अनुदानों के दुरूपयोग के मामले में दंड :

संगठन के कार्यकारी निकाय के सदस्य दुरूपयोग किए गए अनुदानों की वसूली के लिए जिम्मेदार होंगे। उक्त संगठन को निधियों के दुरूपयोग, गलत पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि के लिए प्रतिबंधित भी किया जाएगा। सरकारी अनुदानों से बनाई गई सभी अचल सम्पत्तियों, मंत्रालयों द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाएंगी। जाएगा। सरकारी अनुदानों से बनाई गई सभी अचल सम्पत्तियां, मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाएंगी।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता

आवेदन–पत्र

1	राज्य				
2	संगठन का नाम और पताः (टेलीफोन/फैक्स/ ई–मेल सहित)				
3	संगठन किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है तथा स्थापना का वर्ष :				
4	विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण, जिसमें अनुदान प्राप्त करने का प्रयोजन दर्शाया गया हो।	निधियन एजेंसी का नाम	निधियन एजेंसी का प्रयोजन	प्राप्त राशि	वर्ष
		यदि आवश्यक हो, इसके साथ इसी प्रारूप में अलग शीट पर विवरण संलग्न किए जाएं।			
5	मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा				
	मद	अनुमानित राशि		मांगी गई राशि	
(i)	अनुरक्षण(स्टाफ का वेतन, कार्यालय व्यय, विविध व्यय)				
(ii)	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए अनुसंधान परियोजनाएं				
(iii)	बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की खरीद, प्रकाशन और सूचीकरण, अनुवाद आदि				
(iv)	मठीय/भिक्षुणी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना				
(v)	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन पर विशेष पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन				
(vi)	बौद्ध कला और संस्कृति के परिरक्षण और प्रसार के लिए पारंपरिक सामग्रियों की ऑडियो–वीडियो रिकार्डिंग/प्रलेखन/अभिलेख तैयार करना				
(vii)	मोनास्टिक/मठीय (ननरी) स्कूलों के लिए आई टी उन्नयन और आई टी समर्थित शिक्षण/प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना				
(viii)	दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मोनास्टिक/मठीय स्कूलों और मठों के लिए परिवहन सुविधा				

(ix)	मोनास्टिक/ननरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन,		
(x)	बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन मठों एवं विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण		
(xi)	शौचालय तथा पीने के पानी सहित कक्षाओं, विद्यालय भवन, छात्रावास और प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण/मरम्मत/विस्तार जो बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति तथा पारंपरिक शिल्प के कौशल विकास पर केन्द्रित हैं।		

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

टिप्पणी :–

I प्रत्येक मद के साथ, आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में क्र.सं. 4 के तहत आवश्यक विवरण के साथ–साथ अपेक्षित सूचना संलग्न होनी चाहिए।

II आवेदन–पत्र की, विधिवत स्पायरल बाइंडिंग और क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए तथा आवेदन–पत्र के साथ, संलग्नकों सहित जांच सूची संलग्न होनी चाहिए।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ————————————————

पदनाम ————————————————

कार्यालय की मोहर ————————————————

दिनांक :

स्थान :

संलग्नकों की जांच सूची (आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाए)

क्र.सं.	मद	संलग्न किया गया (हां/नहीं/ लागू नहीं)	पृष्ठ सं.
1.	वैध पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि		
2.	संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि		
3.	गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां		
4.	गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां		
5.	शुरू किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप संबंधी मदवार विवरण		
6.	खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची और उनका मूल्य		
7.	सिविल निर्माण के मामले में भूमि/भवन के स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में पंजीकरण एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां		
8.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट		
9.	पैरा 4.1 (ix) के अनुसार, शिक्षकों का ब्यौरा – नाम, आयु, योग्यता और भुगतान किया गया वेतन आदि		
10.	पैरा 4.1 (x) के अनुसार, छात्रवृत्ति का विवरण		

5

हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1. उद्देश्य :

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसंधान, प्रलेखन, प्रसार आदि माध्यमों से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, संरक्षण और अनुरक्षण करना है।

2. अनुदान का मापदंड :

(i) स्वैच्छिक संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या पब्लिक न्यास के रूप में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उसको विगत तीन वर्षों से अपने कार्यकलाप में संलग्न होना चाहिए।

(ii) कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आवेदन के पात्र हैं।

(iii) संस्थान में, अनुसंधान परियोजनाओं को आरम्भ करने और संवर्धन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें स्कीम, जिसके लिए अनुदान वांछित है, को लागू करने के लिए सुविधाएं, स्रोत और कर्मचारी वृन्द भी होने चाहिएं।

(iv) कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम की विवरणी में या अनुसंधान पाठ्यक्रम में, हिमालय की कला और संस्कृति के परिरक्षण से संबंधित अध्ययन के पहलुओं को प्रारंभ करना चाहिए, यदि इन्हें पहले शामिल नहीं किया गया हो।

(v) आवेदन करने वाले कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए।

(vi) अनुदान, तदर्थ और गैर–आवर्ती प्रकृति का होगा।

(vii) इस स्कीम से अनुदान केवल उन संस्थानों को दिए जाएंगे जो किसी अन्य स्रोत से, ऐसे ही उद्देश्य के लिए प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

(viii) ऐसे संस्थानों को वरीयता दी जाएगी जो अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं और सदृश निधियां जुटाने के स्रोतों से सम्पन्न हैं।

3. सहायता का लक्ष्य और मात्रा : वित्तीय सहायता, अधोलिखित किसी भी मद के लिए, किसी एक संस्थान को अधिकतम 10.00 लाख रू. तक दी जाती है :

क्र.सं.	मद	प्रतिवर्ष अधिकतम राशि
i.	सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन और अनुसंधान	10.00 लाख रू.
ii.	प्राचीन पांडुलिपियों, साहित्य, कला और शिल्प का अनुरक्षण और सांस्कृतिक कार्यकलापों/संगीत नृत्य जैसी घटनाओं का प्रलेखन आदि।	10.00 लाख रू.
iii.	कला और संस्कृति के कार्यक्रमों का श्रव्य–दृश्य माध्यमों से प्रसार करना।	10.00 लाख रू.
iv.	पारम्परिक और लोक कलाओं में प्रशिक्षण	10.00 लाख रू.

3.1 किसी संस्थान के लिए अधिकतम स्वीकार्य अनुदान राशि, किसी मद पर खर्च की जाने वाली राशि की 75% होगी, जिसमें अधिकतम सीमा निश्चित की गई होनी चाहिए। शेष 25% या उससे अधिक व्यय राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र वहन करेगा जिसके न होने की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान अपने स्रोतों से यह राशि अंशदान करेगा। तथापि, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम के मामलों में भारत सरकार और उस संस्थान के मध्य निधि का बंटवारा, क्रमशः 90:10 के अनुपात में किया जाएगा।

4. आवदेन की प्रकिया :

4.1 संस्थान/व्यक्ति, अपना पूर्ण आवेदन, अधोलिखित दस्तावेजों/सूचना सहित, संस्कृति मंत्रालय में प्रस्तुत करने के पूर्व, उस संस्थान की पात्रता के आकलन के लिए, उस राज्य सरकार के माध्यम से भेजेगा, जहॉ पर परियोजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। फिर भी, ऐसे संस्थान जो सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा लेह और जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिलों में स्थित हैं, केवल उस जिले के कलेक्टर/उपायुक्त की सिफारिश से, उन्हें अपने आवेदन, सीधे, संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है। कॉलेज और विश्वविद्यालय, अपने आवेदन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे।

क्र.सं.	**दस्तावेज/सूचना**
i.	पंजीकरण प्रमाण–पत्र की वैध प्रतिलिपि, जिससे यह पता चल सके कि पंजीकरण कानूनी रूप से ठीक है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि को विधिवत राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
ii.	संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि।
iii.	संपरीक्षित लेखाओं की तीन वर्षों की प्रतियां।
iv.	वार्षिक रिपोर्ट की विगत तीन वर्षों की प्रतियाँ, जिनमें उपलब्धि से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण, पुष्टि हेतु संलग्न हों।
v.	प्रारंभ की जाने वाली योजना के कार्यकलापों का विवरण जिसमें लागत अनुमानों का ब्यौरा, सरकार से निधि प्राप्त करने की आवश्यकता, निधि के अन्य स्रोत, परियोजना की पूर्णता विषयक सारिणी आदि।
vi.	अनुसंधान से संबंधित कार्मिकों के मामले में, संक्षिप्त रूप रेखा।

4.2 संस्तुति : राज्य सरकार/जिला कलेक्टर/उपायुक्त/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रस्ताव की संस्तुति के समय :

i. संस्थान की पंजीकरण स्थिति की जाँच करेगा/करेगी।
ii. यह सत्यापित करेगा कि यह स्वयंसेवी संस्थान ऐसी परियोजना को चलाने में समर्थ है।
iii. यह सत्यापित करेगा कि इस विषय पर परियोजना/चलाई जाने वाली परियोजना का प्रस्तावित विषय पहले कभी प्रारंभ नहीं किया गया है और यह नई परियोजना है।
iv. कार्यवाही/कार्यकलापों और उसमें दी गई राशि की संस्तुति करेगा/करेगी।

5. अनुदान जारी होने की शर्तें और तरीका :

(क) आवेदन पत्रों के मूल्यांकन और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय सहमति के आधार पर अनुदान दिए जाएंगे।

(ख) अनुदान की राशि दो समान किस्तों में भुगतान की जाएगी, सामान्य रूप से, पहली– परियोजना के अनुमोदन

के साथ ही जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त, परियोजना के पूर्ण होने और विधिवत संपरीक्षित लेखाओं के विवरण, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया हो कि अनुदान की समस्त राशि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता/संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार के अंशदान का सदुपयोग कर लिया गया है, और अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी। अनुदान की शेष राशि को जारी करने का निर्णय, परियोजना के लिए अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

(ग) इस स्कीम के तहत जो संस्थान आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, उनका निरीक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

(घ) परियोजना के लेखाओं का रख–रखाव, उचित रूप से और अलग–अलग किया जाएगा और भारत सरकार को, आवश्यकतानुसार, प्रस्तुत किए जायेंगे। इनकी जांच, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेक के अनुसार की जाएगी।

(ङ.) अनुदान प्राप्तकर्ता अधोलिखित का रख–रखाव करेगा ;

i. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए सहायक खाते।

ii. कैश बुक रजिस्टर – हाथ से लिखी बाइंडिंग की गई बहियां, जिनमें मशीन से संख्यांकन किया गया हो।

iii. सरकार और अन्य अभिकरणों से प्राप्त अनुदान के लिए सहायता अनुदान रजिस्टर।

iv. प्रत्येक मद के व्यय जैसे सिविल कार्य का निर्माण आदि के लिए अलग–अलग लेजर।

(ट.) संस्थान, ऐसी सभी परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखेगा, जो सम्पूर्णतः अथवा अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के अनुदान से अधिगृहीत की गई हों। इन परिसम्पत्तियों को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उन उद्‌देश्यों के अलावा, जिनके लिए अनुदान किया गया है न बेचेगा, न अवरूद्ध करेगा और न प्रयुक्त करेगा।

(ठ) यदि किसी समय, भारत सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्वीकृत धन का उपयोग अनुमोदित प्रस्तावों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो, अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पूर्व अनुदानों की वसूली की जा सकती है।

(ड) अनुमोदित परियोजना की कार्य व्यवस्था में, संस्थान को, तर्कयुक्त मितव्ययिता का अनुसरण करना चाहिए।

(ढ) अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान, संस्कृति मंत्रालय को, परियोजना की एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें वास्तविक उपलब्धियों और प्रस्तावित प्रत्येक मद पर व्यय, दोनों के विवरणों को, अलग से दिखाया गया हो।

(ण) अनुदान प्राप्तकर्ता, परियोजना रिपोर्ट की तीन प्रतियां, विधिवत बाइंडिंग/श्रव्य–दृश्य सीडी/फोटोग्राफ सहित, संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा और एक प्रति, उस राज्य सरकार को भेजेगा, जहां पर परियोजना का प्रारंभ किया गया है।

(च) उन संस्थानों के आवेदनों पर, जिनके विरूद्ध पूर्व अनुदान/उपयोग प्रमाण–पत्र विलंबित है, विचार नहीं किया जाएगा।

6. भुगतान का तरीका :

सभी भुगतान, इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा किए जाएंगे।

7. स्कीम का परिणाम :

अंतिम किस्त के लिए अनुरोध करते समय परियोजना के कार्यकलाप के संबंध में निष्पादन और उपलब्धि रिपोर्ट तीन प्रतियों में, विधिवत बाइंडिंग की गई, संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, परियोजना रिपोर्ट का निष्पादन सारांश लाभार्थियों की संख्या, परियोजना का स्थान आदि, अधोलिखित प्रारूप में दिए जाने चाहिएं :

निष्पादन और उपलब्धि रिपोर्ट

परियोजना नाम : ——————————————————————

i.	संस्थान का नाम, पता, टेली./फैक्स			
ii.	संस्वीकृति सं. और तारीख			
iii.	संपूर्ण संस्वीकृत अनुदान/किया गया संपूर्ण व्यय	मद	संस्वीकृत अनुदान	किया गया संपूर्ण व्यय
iv.	परियोजना का स्थान			
v.	लाभार्थियों की संख्या			
vi.	कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धि			
vii.	यह किस प्रकार से, हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, संरक्षण और अनुरक्षण करने में सहायक होगा			
viii.	अन्य कोई विन्दु			

हस्ताक्षर ——————————

संगठन का अध्यक्ष/सचिव

8. अधूरे आवेदन :

ऐसे आवेदन जो उचित रूप में नहीं भरे गए हैं और जिनके साथ में आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाए गए है तथा वे आवेदन जो निर्धारित प्राधिकारी की संस्तुति के बिना ही प्राप्त होंगे, उन पर विचार नहीं होगा और वे सरसरी दौर में निरस्त कर दिए जाएंगे।

9. विशेष प्रावधान :

यदि कोई प्रस्ताव उत्कृष्ट विशेषताओं वाली है और ईएसी को यह महसूस होता है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकतम सीमा पर्याप्त नहीं होगी, तो वह इस परियोजना के लिए संस्कृति मंत्री के अनुमोदन तथा अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय की सहमति से इस स्कीम से अधिकतम सीमा से अधिक किंतु 30 लाख रू. से अनधिक राशि तक वित्तपोषण करने की सिफारिश कर सकता है। स्कीम संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समिति को, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्रशासन की सिफारिश अथवा बिना सिफारिश से प्राप्त प्रस्ताव की सिफारिश करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार है।

10. निरीक्षण और निगरानी :

कम से कम 5 प्रतिशत मामलों में निरीक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार, जिला कलेक्टर/उपायुक्त भी निगरानी करेंगे।

11. अनुदान के दुरूपयोग के मामलों में दंड :

संस्थान के कार्यकारी निकाय के सदस्य, दुरूपयोग किए गए अनुदानों की वसूली के लिए जिम्मेदार होंगे। संस्थान को निधि के दुरूपयोग, फर्जी प्रमाण–पत्र आदि के लिए काली सूची में भी दर्ज़ किया जाएगा। सरकारी अनुदान की सहायता से सृजित सभी अचल परिसंपत्तियां संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत कर ली जाएंगी।

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के अनुरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

आवेदन–प्रपत्र

1.	राज्य (जहां पर परियोजना कार्यान्वित की जानी है)				
2.	संस्थान का नाम और पता : (टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल सहित)				
3.	किस अधिनियम के तहत संस्थान का पंजी–करण किया गया है और स्थापना का वर्ष				
4.	पिछले तीन वर्षों में, केंद्र/राज्य/संघ शासित सरकार से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे और यह भी उल्लेख किया जाए कि किस उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त किये गए थे।	वित्त पोषक अभिकरण का नाम	उद्देश्य	प्राप्त की गई धनराशि	वर्ष
		ब्यौरों को संलग्न करें			
5.	परियोजना और माँगी जाने वाली वित्तीय सहायता के ब्यौरे	परियोजना	अनुमानित लागत	माँगी गई राशि	

टिप्पणी : आवेदन को क्रमशः पृष्ठांकित किया जाना चाहिए/स्पाइरल बाइंडिंग की जानी चाहिए और संलग्नकों के साथ जांच सूची को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम --____________________

पदनाम ⊠____________________

कार्यालय की मुहर ______________

तारीखः __________

स्थान : __________

अनुलग्नकों की जांच सूची

(आवेदन–प्रपत्र के साथ में संलग्न करने के लिए)

क्र.सं.	मद	संलग्न किया (हां/नहीं/लागू नहीं)	पृष्ठ सं.
i.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित वैध पंजीकरण की प्रतिलिपि।		
ii.	संगम–ज्ञापन की प्रतिलिपि		
iii.	पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियाँ।		
iv.	उपलब्धि के दस्तावेजी साक्ष्यों सहित, पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियॉ।		
v.	प्रारंभ की जाने वाली परियोजना के कार्यकलापों का विवरण, जिसके साथ में, लागत, परियोजना की की समय–सूची आदि का विस्तृत ब्यौरा दिया गया हो।		
vi.	अनुसंधान कार्यकलापों के मामले में अनुसंधान–कार्मिकों के संक्षिप्त वृतांत।		

6

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम

1. उद्देश्य :

इस स्कीम का उद्देश्य, युवाओं में उचित नेतृत्व गुण विकसित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक जागरूकता का संवर्धन करने, परस्पर समझ व आदर बढ़ाने तथा साथ ही भारत की समृद्ध विरासत के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए युवाओं में संस्कृति की जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का केंद्र, पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अपेक्षाकृत कम साधनहीन बच्चों पर होगा। ये कार्यकलाप करने के लिए संभव सीमा तक प्रचार हेतु स्थानिक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा।

2. क्षेत्र :

2.1 निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता, सीधे युवाओं के साथ काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों (पंजीकृत सोसायटी, न्यास आदि) सहित स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य सांस्कृतिक संगठनों को दी जाएगी :–

(i) संस्कृति व विरासत में संस्थानों की रूचि पैदा करने के लिए पात्र संस्थानों के बीच संस्कृति से संबद्ध मौजूदा दृश्य–श्रव्य (एवी) सामग्रियों का वितरण।

(ii) संस्कृति से संबद्ध प्रकाशनों सहित नई दृश्य–श्रव्य सामग्री का निर्माण।

(iii) साधनहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा स्मारकों, संग्रहालयों व अन्य विनिर्दिष्ट स्थलों/समारोहों के दौरों में सहायता करना।

2.2 पात्र संस्थानों को वितरण हेतु संस्कृति से संबंद्ध मौजूदा दृश्य–श्रव्य सामग्री की पहचान, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा की जाएगी। समिति, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत सहित सुप्रसिद्ध संस्थानों/निर्माताओं द्वारा तैयार मौजूदा दृश्य–श्रव्य सामग्री पर विचार कर सकती है और इस संबंध में आवेदन आमंत्रित कर सकती है। सामग्री का वितरण, 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' द्वारा किया जाएगा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्य सरकारों के परामर्श से वितरण कार्य करेगी। समय–समय पर यथा संशोधित 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' की सूची संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी।

2.3 इस स्कीम के तहत ''भारत एक खोज'' (जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक ''भारत की खोज'' पर आधारित श्याम बेनेगल द्वारा दूरदर्शन के लिए निर्मित 53 कड़ियों वाले धारावाहिक) जैसे सांस्कृतिक और विरासत अभिरूचियों के विषयों पर दूरदर्शन आदि द्वारा निर्मित सीडी/डीवीडी को स्कूलों, कालेजों व अन्य पात्र संस्थानों को वितरित किया जा सकता है।)

2.4 सामान्यतया, दृश्य–श्रव्य सामग्री का वितरण ऐसे 'पात्र संस्थानों' को किया जाएगा जिनके पास सीडी/

डीवीडी प्लेयर सहित प्रोजेक्शन उपस्कर हैं। अपवाद स्वरूप मामलों में, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, अधिकतम निर्धारित सीमा के अनुसार उपस्कर की खरीद हेतु 'पात्र संस्थानों' को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर सकती है।

2.5 विशेषतः बच्चों के लिए भारत की विरासत संबंधी उत्तम प्रकाशनों व दृश्य–श्रव्य सामग्री की उपलब्धता में अंतराल को भरने के लिए, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी दृश्य–श्रव्य सामग्री और/या प्रकाशनों के निर्माण के लिए 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' को वित्तीय सहायता दी जा सकती है।)

2.6 समाज, विशेषतः पिछड़े/मोफस्सिल/स्लम क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम साधनसंपन्न बच्चों को संग्रहालयों/कला वीथियों/स्मारकों (या इनके संयुक्त रूप) में ले जाने और उन्हें रंगमंच/नृत्य/संगीत प्रस्तुतियां दिखाने/उनमें भागीदारी के उद्देश्य से, 'पात्र संस्थानों' द्वारा सीधे या 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' के तत्वावधान में दिन भर का दौरा आयोजित किया जा सकता है। इस कार्यकलाप के लिए निम्नलिखित घटकों/अवयवों की अनुमति होगी।

- (i) बच्चों को लाने–ले जाने हेतु बसों को भाड़े पर लेना। यदि आवश्यक हो तो 25–50 किलो मीटर के अपेक्षित दायरे में रेलगाड़ी से भी यात्रा आयोजित की जा सकती है।
- (ii) बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षकों के साथ स्वयंसेवी जाएंगे।
- (iii) बच्चों को स्मारक/संग्रहालय/नाटक दिखाने के लिए ले जाया जाएगा तथा प्रारंभ में उन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस बारे में बताया जाएगा कि वे क्या देखने वाले हैं। उन्हें टिप्पणियां दर्ज करने के लिए एक स्मारिका और एक लेखन पुस्तिका दी जाएगी।
- (iv) बच्चों को रूचिकर व पोषक भोजन दिया जाएगा। परंतु, इसकी कीमत प्रति बच्चा 100/– से अधिक नहीं होगी।
- (v) स्मारक/संग्रहालय/नाटक देखने के बाद, सक्रिय अंतर क्रियात्मक सत्र होगा। इस सत्र में बच्चों को उसके बारे में सामग्री दी जाएगी जो कुछ उन्होंने देखा है अर्थात बच्चों के लिए पुस्तकें/डीवीडी/वीसीडी/म्यूजिक कैसेट।
- (vi) बच्चों के वापिस अपने गांव/स्कूल आने पर नियमित अनुवर्ती सत्र होंगे अर्थात जो बच्चों ने देखा उस पर लघु नाटक का मंचन/लेख रचना/विचार विमर्श।

3. पात्रता

3.1 अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियां : संस्कृति मंत्रालय के तहत कोई भी सांस्कृतिक संस्थान या स्वैच्छिक संगठन (जैसे पंजीकृत सोसायटी, न्यास आदि), 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' की सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। सूची में इस प्रकार का समावेशन, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा यथा अनुमोदित दीर्घकालिक आधार पर या विशिष्ट अवधि/कार्यकलाप के लिए हो सकता है। समय–समय पर यथा संशोधित 'अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसी' की सूची संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी।

3.2 'पात्र संस्थान' : सीधे बच्चों के साथ कार्यरत संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी स्कूल, कॉलेज या स्वैच्छिक संगठन (जैसे पंजीकृत सोसाइटी, न्यास आदि) बच्चों को संग्रहालयों/स्मारकों/कला वीथियों (या इसके संयुक्त रूप) में ले जाने और/या उन्हें रंगमंच/नृत्य/संगीत कला प्रस्तुति दिखाने/उनमें भागीदारी करवाने के लिए पात्र संस्थानों की सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। सामान्यतः उक्त सूची में समावेशन, विशिष्ट कार्यकलाप/वर्ष के लिए होगा, यद्यपि विशेष परिस्थितियों में, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अपेक्षाकृत दीर्घकालिक आधार पर समावेशन

की अनुमति दे सकती है। इसके अलावा, 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियां' ऐसे स्कूलों/कॉलेजों की पहचान कर सकती है और उनके साथ काम कर सकती हैं जो सूची में समावेशन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को मामला भेजे बिना पात्रता शर्तों को पूरा करते हो बशर्ते कि अन्य सभी शर्तें पूरी की गई हों।

4. नेतृत्व विकास पर बल:

एक समयावधि में, 'अनुमोदित कार्यान्वक एजेंसियां' व 'पात्र संस्थान', युवाओं में सांस्कृतिक नेतृत्व के विकास पर बल देंगे। इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रारंभिक चरणों में, इस कार्यकलाप को जागरूकता सृजन के साथ शुरू किए जाने की आवश्यकता होगी, जो धीरे–धीरे विस्तृत व गहन होती जाएगी, और इससे सांस्कृतिक जागरूकता का प्रचार–प्रसार करने वालों के लिए युवाओं में नेतृत्व गुणों को प्रोत्साहित करने का आधार बनेगा। ऐसे नेतृत्व गुण विकसित करने में, संभव सीमा तक मंच कलाओं में कार्य जारी रखने के लिए सहायता के दोहरेपन से बचने का ध्यान रखा जाएगा।

5. वित्तीय सहायता :

स्कीम के विभिन्न घटकों के संबंध में 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' और/अथवा 'पात्र संस्थानों' को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी :

क्र.सं.	कार्यकलाप	अनुमत्य अधिकतम वित्तीय सहायता	
		अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों के लिए	पात्र संस्थानों के लिए
1	मौजूदा दृश्य–श्रव्य सामग्री का वितरण	प्रति वर्ष ऐसे संस्थानों की विनिर्दिष्ट संख्या के लिए प्रति संस्थान 10,000/– रु.	शून्य
2.	सीडी/डीवीडी प्लेयरों की खरीद सहित प्रोजेक्शन उपस्कर	शून्य	80,000/–
3.	संस्कृति संबद्ध प्रकाशनों सहित नई दृश्य–श्रव्य सामग्री का निर्माण	प्रति नया प्रकाशन (2,000 प्रतियां) 3 लाख रु. और प्रति रिप्रिंट (2,000 प्रतियां) 2 लाख रु. नई दृश्य–श्रव्य सामग्री के निर्माण (30 मिनट की अवधि) के लिए 2 लाख रु. और सीडी/डीवीडी (2000 प्रतियों) के निर्माण के लिए 1 लाख रु.	शून्य
4.	साधनहीन विद्यार्थियों के दौरे	क्षेत्रीय दौरों के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रु. और राष्ट्रीय दौरों (जिनमें कम से तीन क्षेत्र शामिल होंगे) के लिए 30 लाख रु.	प्रति संस्थान अधिकतम ऐसे 200 व्यक्तियों के लिए प्रति युवा 500/–रु. तक

नोट :– ऐसी स्थिति में जब पहले से किसी 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसी' या किसी 'पात्र संस्थान' को संस्कृति मंत्रालय से सहायता अनुदान मिला हो तो इस स्कीम के तहत उसे दी गई कोई भी वित्तीय सहायता उसी बजट शीर्ष, जिसमें से मुख्य सहायता अनुदान वितरित किया गया है, के माध्यम से दी जाएगी।

6. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

6.1 सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) गठित की जाएगी जिसके अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय होंगे।

6.2 समिति में बच्चों के साथ काम करने की सुविज्ञता/अनुभव प्राप्त संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे संग्रहालय, समकालीन कला, पुरातत्व व स्मारक, रंगमंच, नृत्य, संगीत आदि) से लिए गए पांच सदस्य होंगे। संस्कृति मंत्रालय में निदेशक (संग्रहालय), समिति का सदस्य सचिव होंगे।

6.3 समिति, अनुमोदित 'कार्यान्वयक एजेंसियों' और/या 'पात्र संस्थानों' की सूची में समावेशन तथा विशिष्ट समयावधियों/कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता हेतु सभी अनुरोधों (आवेदन/प्रस्ताव) पर विचार करने के लिए तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

7. वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया

7.1 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' की सूची में समायोजन हेतु आवेदन, फार्म–। में प्रस्तुत किए जाएंगे और 'पात्र संस्थानों' की सूची में समावेशन हेतु आवेदन, फार्म–।। में प्रस्तुत किए जाएंगे।

7.2 'अनुमोदित कार्यान्वयक एजेंसियों' और/या 'पात्र संस्थानों' द्वारा वित्तीय सहायता के सभी आवेदन फार्म–iii में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदक संगठन, फार्म–। और फार्म–ii, यथा लागू, में आवेदन के साथ–साथ फार्म–iii में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

7.3 आवेदन, सचिव (संस्कृति), भारत सरकार को संबोधित किया जाए और इसे सदस्य सचिव, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की हैसियत से निदेशक (संग्रहालय) के ध्यानार्थ पृष्ठांकित किया जाए तथा इसे कमरा नं. 329–सी, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 1210 015 में भेजा जाए। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव द्वारा सभी पूर्ण आवेदन को पंजीकरण नम्बर दिया जाएगा। आवेदनों पर पंजीकरण नम्बरों के अनुसार संभव सीमा तक 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर विचार किया जाएगा।

7.4 प्रकाशनों व दृश्य–श्रव्य सामग्री के वितरण व नई दृश्य–श्रव्य सामग्री (प्रकाशनों सहित) के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता 3 और 1 के अनुपात में दो किस्तों में जारी की जाएगी। दूसरे शब्दों में 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रथम किस्त के रूप में और शेष 25 प्रतिशत सहायता दूसरी किस्त (प्रथम किस्त के कम से कम 80 प्रतिशत उपयोग से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करने पर) के रुप में जारी की जाएगी।

7.5 पात्र संस्थानों द्वारा आयोजित संग्रहालयों/कला वीथियों/स्मारकों (या इनके संयुक्त रूप) में दौरों और/या रंगमंच/नृत्य/संगीत कार्यक्रम के लिए अग्रिम रूप से पूरी वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। तथापि, पात्र संस्थान, वित्तीय सहायता जारी किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस शर्त का पालन न करने पर ऐसे संस्थान पर भविष्य में सदृश सहायता के लिए आवेदन करने पर रोक होगी।

7.6 आवेदन प्रस्तुत करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी और सभी श्रेणियों में आवेदन वर्षभर स्वीकार किए जाएंगे।

फार्म –I

'अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसियों' की सूची में शामिल किए जाने हेतु आवेदन

1	संगठन का नाम (पूर्ण डाक पता/टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल आई.डी. सहित)	
2	संस्था का प्रकार – सरकारी सहायता प्राप्त/स्वैच्छिक संगठन	
3	पंजीकरण संख्या/तारीख (यदि लागू हो)	
4	बैंक विवरण (बैक का नाम, शाखा, खाता) संख्या एवं आई.सी.एफ.सी. कोड)	
5.	संस्था के प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता (टेली./फैक्स नं. एवं ई.–मेल आईडी सहित)	
6.	कार्यकलाप के मुख्य क्षेत्र का विवरण (कृपया मुख्य क्षेत्र में, विशेषतः बच्चों के लिए, विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण दें)	
7.	क्या संस्था ने संस्कृति मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा संचालित किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है अथवा सहायता प्राप्त किया है। ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
8.	संस्था द्वारा शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित विशिष्ट कार्यकलापों (समयावधि सहित) के विवरण	
9.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	
i)	संस्था के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रति।	
ii)	पिछले तीन वर्षों के लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की प्रतियां।	

iii)	अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट	
iv)	संस्था के निधियन के मूल स्रोत के विवरण	
v)	संलग्न प्रपत्र में बंधपत्र (बांड)	
vi)	अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र	

हस्ताक्षर ——————---------—-

नाम ——————-----------—

पदनाम ——————--------—

स्थान :

तिथि :

नोट : क्षतिपूर्ति बांड और बैंक प्राधिकार पत्र संबंधी प्रारूप क्रमशः अनुबंध I और II में दिए गए हैं।

फार्म –II

"पात्र संस्था" की सूची में शामिल किए जाने हेतु आवेदन

1	संगठन का नाम (पूर्ण डाक पता / टेलीफोन / फैक्स / ई–मेल आई.डी. सहित)	
2	संस्था का प्रकार – सरकारी सहायता प्राप्त / स्वैच्छिक संगठन	
3	पंजीकरण संख्या / तारीख (यदि लागू हो)	
4	बैंक विवरण (बैक का नाम, शाखा, खाता संख्या एवं आई.सी.एफ.सी. कोड)	
5.	संस्था के प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता (टेली. / फैक्स नं. एवं ई.–मेल आईडी सहित)	
6.	कार्यकलाप के मुख्य क्षेत्र का विवरण (कृपया मुख्य क्षेत्र में, विशेषतः बच्चों के लिए, विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण दें)	
7.	क्या संस्था ने संस्कृति मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा संचालित किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है अथवा सहायता प्राप्त किया है। ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
8.	संस्था द्वारा शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित विशिष्ट कार्यकलापों (समयावधि सहित) के विवरण	
9.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	
i)	संस्था के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रति।	
ii)	पिछले तीन वर्षों के लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की प्रतियां।	

iii)	अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट / कार्यकलाप रिपोर्ट	
iv)	संस्था के निधियन के मूल स्रोत के विवरण	
v)	संलग्न प्रपत्र में बंधपत्र (बांड)	
vi)	अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र	

हस्ताक्षर ——————------—-

नाम ——————-----------—

पदनाम ——————--------—

स्थान :

तिथि :

नोट : क्षतिपूर्ति बांड और बैंक प्राधिकार पत्र संबंधी प्रारूप क्रमशः अनुबंध I और II में दिए गए हैं।

फार्म –III

“सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व स्कीम” के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

1	संगठन का नाम (पूर्ण डाक पता/टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल आई.डी. सहित)	
2	संस्था का प्रकार – सरकारी सहायता प्राप्त/स्वैच्छिक संगठन	
3	पंजीकरण संख्या/तारीख (यदि लागू हो)	
4	बैंक विवरण (बैक का नाम, शाखा, खाता संख्या एवं आई.सी.एफ.सी. कोड)	
5.	संस्था के प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता (टेली./फैक्स नं. एवं ई.–मेल आईडी सहित)	
6.	कार्यकलाप के मुख्य क्षेत्र का विवरण (कृपया मुख्य क्षेत्र में, विशेषतः बच्चों के लिए, विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण दें)	
7.	क्या संस्था ने संस्कृति मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा संचालित किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है अथवा सहायता प्राप्त किया है। ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
8.	संस्था द्वारा शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित विशिष्ट कार्यकलापों (समयावधि सहित) के विवरण	
9.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	
i)	संस्था के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रति।	
ii)	पिछले तीन वर्षों के लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की प्रतियां।	

iii)	अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट	
iv)	संस्था के निधियन के मूल स्रोत के विवरण	
v)	संलग्न प्रपत्र में बंधपत्र (बांड)	
vi)	अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र	

हस्ताक्षर ——————————-------—-

नाम —-——————————-----------—

पदनाम ——————————--------—

स्थान :

तिथि :

नोट : क्षतिपूर्ति बांड और बैंक प्राधिकार पत्र संबंधी प्रारूप क्रमशः अनुबंध I और II में दिए गए हैं।

सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) 2005 के नियम 209 (1) के अनुसार प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ———————————————————————————————— (संगठन का नाम) ने इस प्रयोजनार्थ या कार्यकलाप हेतु भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं किया है या उसके लिए आवेदन नहीं किया है।

हस्ताक्षर ——————------—
नाम ——————-----------—
पदनाम ——————---------—
रबड़ की मोहर ———————

स्थान :
तिथि :

7

भारतीय संस्कृति व विरासत को समर्पित पत्रिकाओं व जर्नलों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता

1. शीर्षक

इस स्कीम का नाम भारतीय संस्कृति और विरासत को समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम है।

2. सहायता के लिए पात्र प्रकाशनों का प्रकार

भारत की संस्कृति और विरासत को समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाएगी। तथापि, विशिष्ट परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति और विरासत पर पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता देने पर भी विचार किया जा सकता है।

विशिष्ट परिस्थितियां/मामले, किसी घटना के स्मरणोत्सव अथवा राष्ट्रीय विभूति, जिसने राष्ट्र अथवा शिक्षा के उद्देश्य के लिए अत्यधिक योगदान दिया है, अथवा अंतरराष्ट्रीय भाईचारे के भाव का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करने में योगदान दिया है, पर पुस्तक हो सकती है। इसी प्रकार उस पुस्तक, जो स्मरणोत्सव वर्ष में सामग्री के अच्छे भण्डार सहित प्रकाशित की जा रही है और भारतीय संस्कृति के परिदृश्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और संगत है, का समर्थन किया जाए। इसके अलावा, इस पुस्तक के समर्थन हेतु विचार किया जा सकता है, यदि संस्कृति और विरासत के संबंध में उसकी सामग्री बहुत ही उच्च स्तर और विशिष्ट कोटि की है।

यही मानदण्ड प्रकाशनों के लिए अपनाया जाएगा।

3. क्षेत्र

(क) इस स्कीम में सोसायटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों (इसके केन्द्रों और संस्थानों सहित लेकिन इसके विभागों को छोड़कर), अनुसंधान संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों, आदि सहित सभी प्रकार के गैर–लाभकारी संगठनों को सहायता शामिल होगी।

(ख) अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन कार्य (प्रकाशनों सहित) कर रहा होना चाहिए और वह प्रस्ताव से पूर्व कम से कम तीन वर्ष के लिए संगत राज्य अथवा केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकृत होना चाहिए जहां ऐसा पंजीकरण संगत है।

(ग) इसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव और विशेषज्ञता होनी चाहिए जैसा कि इसके सम्पादकीय (और सलाहकारी अथवा प्रबंधन/शासी जहां विद्यमान है) बोर्ड अथवा दलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

(घ) जर्नलों और पत्रिकाओं के स्थापित प्रकाशकों और सम्पादकीय प्रबंधन, जिन्होंने भारत की संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रतिष्ठा प्राप्त की है और जो कम से कम एक दशक से विद्यमान रहे हों, भी आवेदन कर सकते हैं (विशिष्ट मामलों में यह अवधि घटाकर 5 वर्ष की जा सकती है) और गैर–लाभकारी संगठनों को तरजीह दी जाएगी।

(ड.) स्थापित सांस्कृतिक संगठनों, जो प्रकाशन में नहीं हैं, को भी अपने अनुसंधान अथवा लेख अथवा कार्यशालाओं की कार्यवाहियों के एकल प्रकाशन के लिए एक बार सहायता मुहैया की जा सकती है।

(च) तथापि, यह स्कीम धार्मिक संस्थाओं, राजनैतिक संगठनों, सरकार–समर्थित संगठनों (अन्यथा शामिल सांस्कृतिक और शैक्षिक निकायों को छोड़कर), प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों और व्यक्तिगत लेखकों और पूर्णतया अथवा मुख्यतया वाणिज्यिक उद्यमों और उन संगठनों, जो संस्कृति अथवा विरासत पर संकेंद्रित नहीं हैं, पर लागू नहीं होगी।

(छ) विशिष्ट मामलों में, किसी पुस्तक को संस्कृति में लेखक की ख्याति और प्रायोजक संगठन के अच्छे रिकार्ड के आधार पर सर्वसम्मति से विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह की सिफारिशों पर एक बार अनुदान दिया जा सकता है।

यहां यथापरिभाषित अपवाद स्वरूप मामले उपर्युक्त पैरा 2 में कवर किए गए हैं।

4. पात्रता

(क) गैर–संस्कृति विषयों जैसे समाचारों, विचारों, खेल और वाणिज्यिक मनोरंजन को अपने सम्पादकीय स्थान के 40% से अधिक स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

(ख) ऐसा विशिष्ट प्रकाशन नहीं होना चाहिए जिसका मुख्य केंद्र संस्कृति की बजाय आंतरिक सज्जा, जीवन शैली, स्वास्थ्य, आटोमोबील, फैशन, भोजन, मनोरंजन परिधान आदि जैसे विषयों पर हों।

(ग) मूल्य निर्धारण, परिचालन, सुलभता और लक्ष्य पाठकगण विशिष्ट वर्ग अथवा सुखमय उपभोग के लिए केंद्रित नहीं होनी चाहिए।

(घ) मुख्यतया वाणिज्यिक लाभ, राजनैतिक, धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक अथवा भावनात्मक मामलों के लिए प्रेरित नहीं होनी चाहिए।

(ड.) संस्कृति और इसके संगत क्षेत्रों जैसे साहित्यिक, दृश्य, प्लास्टिक और मंचीय कला, तथा पुरावस्तुओं, निर्माण और प्राकृतिक विरासत पर केन्द्रित होनी चाहिए।

(ञ) प्रकाशन में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की संख्या होनी चाहिए जो कि हाल की नहीं बल्कि अविच्छिन्न होनी चाहिए।

(झ) प्रकाशन मुद्रित रूप में (न कि केवल वेब पर) इसकी डिजाइन सहित व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे एक विश्वसनीय बजट पर आधुनिक प्रेस में तैयार किया जाना चाहिए।

(च) प्रकाशन के प्रत्येक अंक की कम से कम 3000 प्रतियां मुद्रित होनी चाहिएः इसके लिए मुद्रण आदेश और मुद्रक प्रकाशकों को किए गए भुगतान का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाना होगा। तथापि, संघर्षपूर्ण लेकिन

काफी स्थापित अच्छे रिकॉर्ड के मामलों में प्रकाशन कम शहरों में होने पर भी विचार किया जा सकता है, यदि पैरा 5 में उल्लिखित विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह ऐसी संस्तुति करता है।

(झ) यह वांछनीय है कि प्रकाशन की सामग्री मौलिक हो और उसका भुगतान किया गया हो।

(ञ) इसका स्थापित पुस्तक भण्डार और भण्डार श्रृंखला सहित विश्वसनीय वितरण नेटवर्क होना चाहिए और विगत निष्पादन और प्राप्त परिचालन की रिकॉर्ड के संदर्भ में जांच की जाएगी।

5. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी तथा प्रिन्ट मीडिया में आवधिक रूप से विज्ञापित की जाएगी। प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय (विज्ञापन में दी गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) किया जाए।

6. प्रस्ताव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया

प्रस्ताव का मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह (ईएजी) द्वारा किया जाएगा और सदस्यों के जीवनभर के अनुभव पर आधारित विभिन्न श्रेणियों की जांच करने के लिए 8 अथवा अधिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह के होंगे।

(i) विरासत : निर्मित विरासत, संग्रहालयों, चित्रों, भित्तिचित्रों, पुरावस्तुओं, कलाकृतियों आदि सहित।

(ii) आधुनिक और समकालीन कला।

(iii) संगीत और नृत्य, शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक सहित।

(iv) रंगमंच, इसके विभिन्न रूप में।

(v) पुस्तकालय, अभिलेखागार, आदि और शीर्ष राष्ट्रीय नेता से संबंधित स्थान।

(vi) साहित्य।

(vii) भारत–विद्या, प्राचीन और शास्त्रीय और अर्ध–शास्त्रीय भाषाओं, पांडुलिपियों और प्राचीन इतिहास और संस्कृति से संबंधित अन्य मामले।

(viii) संश्लिष्ट समूह : उन क्षेत्रों के लिए जिनमें एक से अधिक विषय शामिल हैं, इसके लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समूहों के सदस्य संबंधित समूहों से लिए जाएंगे।

7. सहायता का तरीका

सहायता के अनेक तरीके हो सकते हैं जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :–

(i) एक वर्ष/2 वर्ष के लिए प्रकाशन के संबंध में निर्माण लागत कवर करने अथवा एकल प्रकाशन अथवा अंक के लिए भी अनुदान के जरिए प्रकाशन के लिए एक समय की सीधी सहायता।

(ii) किसी अन्य प्रकार की सहायता जिसका विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह द्वारा सुझाव दिया जाए और मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाए।

8. सहायता की मात्रा

(i) इसे सीमित नहीं किया जा सकता है और यह प्रसार, अवधि, प्रतियों की संख्या, मूल्य आदि पर निर्भर करेगी और इसलिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह, प्रत्येक मामले के आधार पर इसकी संस्तुति करे।

(ii) सहायता पिछले 1 से 2 वर्षों अथवा लम्बी अवधि में फर्म के रिकॉर्ड के आधार पर प्रकाशन की लागत के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) प्रकाशन की गुणवत्ता और अवधि पर निर्भर करते हुए अधिकतम सहायता 10 लाख रू. प्रति वर्ष प्रदान की जा सकती है।

(iv) विशिष्ट परिस्थितियों में मंत्रालय 20 लाख रूपये तक सहायता में वृद्धि कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह द्वारा सचिव (संस्कृति) के विशेष रूप से अनुमोदन किए जाने के लिए लिखित में कारण रिकॉर्ड करने सहित इसकी संस्तुति की जाए।

उच्च मैरिट, क्वालिटी और प्रासंगिकता के जर्नलों अथवा पुस्तकों के मामलों में, विशिष्ट परिस्थितियों/मामले, जिन्होंने राष्ट्र के उद्देश्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के उद्देश्य के लिए अत्यधिक योगदान दिया है अथवा जो स्मरणोत्सव वर्ष में सामग्री के अच्छे भण्डार सहित प्रकाशित की जा रही है और भारतीय संस्कृति के परिदृश्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है।

9. प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले कागजात।

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा अनुमति अथवा न्यास विलेख अथवा सरकारी अथवा विश्वविद्यालय संकल्प अथवा आदेश जिसमें संगठन विधिक निकाय बना है, की प्रमाणित प्रति।

(ख) संगठन का संविधान, संगम ज्ञापन, नियम और विनियमन, आदि जहां लागू हो।

(ग) संपादकीय प्रबंधन बोर्ड और अथवा शासी बोर्ड अथवा सलाहकार बोर्ड अथवा समिति, जहां ये विद्यमान हैं, सम्पादक सहित सदस्यों के संक्षिप्त जीवन वृत सहित वर्तमान संरचना।

(घ) अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट।

(ड.) निम्नलिखित सहित विस्तृत प्रस्ताव :—

(i) प्रकाशन के उद्देश्यों और वास्तविक खाके (अर्थात—पृष्ठों की संख्या, दृष्टांत आदि), इसका समूह अंतराल, कवर किए गए विषयों, लक्ष्य अथवा वास्तविक पाठकगण और क्षमताओं, कमजोरियों और सम्भाव्यता के विश्लेषण पर टिप्पणी।

(ii) प्रकाशन के पिछले 3 से 6 अंक

(iii) विभिन्न शीर्षों (जैसे अंतिम रूप से तैयार पांडुलिपि, प्रतिलिपि सम्पादन, डिजाइनिंग, मुद्रण, जिल्द, वितरण, विपणन और संवर्धन आदि) के अंतर्गत प्रस्ताव का वित्तीय विवरण/लागत अनुमान।

(iv) आवेदक संगठन का पिछले तीन वर्षों का आय और व्यय विवरण और चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष के तुलन—पत्र की प्रति।

(v) अनुदानग्राही संगठन और संस्कृति मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किया जाने वाला अधिकार करार, जहां आवश्यक है, जिसमें वापसी खरीदारी प्रबंध अथवा वास्तविक प्राप्ति, स्वत्वाधिकार, आदि से राजस्व–हिस्से (यदि सहमत हो) जैसे निबंधनों एवं शर्तों का उल्लेख किया गया हो।

(vi) उचित मूल्य के स्टांप कागज पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदक संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बंध पत्र।

(vii) निर्धारित प्रपत्र में बैंक लेखे का ब्यौरा ताकि स्वीकृत निधियों का इलेक्ट्रानिक अन्तरण किया जा सके।

(viii) मंत्रालय के अनुदानों की अलग लेखा बही रखने के लिए लिखित शपथ–पत्र।

केवल पैरा 3 (च) के लिए टिप्पणी : संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से प्रकाशित किए जाने वाले प्रस्तावित अनुसंधान कार्य/पाण्डुलिपि की सॉफ्ट प्रति, विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह द्वारा मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तुत की जाए। लेखकों/विद्वानों के प्रस्ताव प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थान अथवा संगठन द्वारा संस्तुत किए जाने होंगे क्योंकि यदि विशेषज्ञ मूल्यांकन समूह द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है और सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है तो अनुदान केवल संस्थान को जारी किया जाएगा।

10. विविध मामले

(i) प्रकाशनाधिकार और रायल्टी के बारे में मामलों का निर्णय मामला–दर–मामला आधार पर किया जाएगा।

(ii) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंशदान अथवा सहायता की प्राप्ति के संबंध में प्रकाशन के आवरण पृष्ठ अथवा प्रथम पृष्ठ पर और प्रकाशन में अन्यत्र और इसके फ्लायर्स व प्रसार सामग्री में आभार व्यक्त किया जाए।

आवेदन प्रपत्र

भारत की संस्कृति और विरासत को समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र [पैरा 3 (क) से (ड.) के लिए]

1. आवेदक अथवा प्रकाशन का नाम :

2. प्रकाशन का नाम :

3. प्रकाशन का डाक पता :

4. ई–मेल अथवा वेब ब्यौरा :

5. गैर–सरकारी संगठन साझेदारी (जहां लागू हो) द्वारा जारी विशिष्ट आई.डी. :

6. स्थायी लेखा संख्या :

7. प्रकाशन शुरू करने का वर्ष :

8. सम्पादकीय बोर्ड /समिति और/अथवा परामर्शी अथवा शासी बोर्ड/समिति, जहां ये विद्यमान हैं, के सदस्य, सम्पादक सहित
   (संक्षिप्त जीवनवृत्त संलग्न किया जाए)।

9. कब से प्रकाशन का मुद्रण शुरू किया गया है ?
   (फोकस, निष्पादन, लक्ष्य, समस्याओं और सम्भाव्यता पर एक टिप्पणी संलग्न करें) :

10. मुद्रित प्रत्येक अंक की प्रतियों की संख्या
    (मुद्रकों, आदि को भुगतान जैसे प्रमाण संलग्न किए जाएं) :

11. इस समय प्रकाशन का कैसे वित्त पोषण होता है ?
    (एक मामले अथवा एक वर्ष में सहायता के विभिन्न स्रोतों के बीच अलग–अलग प्रतिशतता बताएं) :

12. प्रकाशन की विशेषताएं और प्रकार क्या है ?
    (प्रकाशन के पिछले 3 से 6 अंकों की प्रतियां संलग्न करें) :

13. प्रकाशन के भारत के समाचार पत्र पंजीयक की संख्या :

14. भारत के समाचार पत्र पंजीयक की संख्या कब तक वैध है ?
    (यदि नहीं, निरन्तरता में व्यवधान का ब्यौरा और इस व्यवधान के कारण बताएं) :

15. प्रेस का ब्यौरा जहां प्रकाशन का निर्माण किया जाता है (डाक पते आदि सहित) :

16. क्या प्रकाशन की विषय वस्तु मूल है अथवा प्रदत्त है? :

17. विदेशी अंशदाताओं, यदि कोई हो, के ब्यौरे :
    (संख्या और देश के ब्यौरे) :

18. क्या संस्कृति मंत्रालय अथवा इसके संगठनों अथवा सरकार अथवा अन्य संगठनों से पूर्व में सहायता ली गई है। (यदि हां, तो इसके ब्यौरे) :

19. वित्त के अन्य स्रोतों के ब्यौरे :

20. मांगी गई सहायता की राशि, विस्तृत औचित्य सहित, बताएं कि क्या यह

(1) निधियों का एक समय संवितरण है, अथवा

(2) वापसी वित्त पोषण है अथवा

(3) वापसी खरीदारी प्रबंध और प्रस्तावित प्रतियों की संख्या, अथवा

(4) कोई अन्य ?

21. कृपया निम्नलिखित कागजात उपलब्ध करवाएं :–

(क) संस्था का संविधान, संगम ज्ञापन, नियम और विनिमय, आदि जहां लागू हों।

(ख) सम्पादकों के बोर्ड अथवा सम्पादकीय प्रबंधन और/अथवा सलाहकारी अथवा शासी निकाय की वर्तमान संरचना।

(ग) संगठन के लेखों की अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट।

(घ) आवेदक संगठन का पिछले तीन वर्षों का आय और व्यय विवरण और चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष के तुलन–पत्र की प्रति।

(ड.) उचित मूल्य के स्टांप कागज पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदक संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बंधपत्र।

(च) निर्धारित प्रपत्र में बैंक लेखे का ब्यौरा ताकि स्वीकृत निधियों का इलेक्ट्रानिक अन्तरण किया जा सके।

विशेष नोट : पुस्तक प्रकाशन के लिए आवेदन हेतु [केवल पैरा 3(छ)] विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसमें निम्नलिखित दिया गया हो :–

(i) प्रकाशन का शीर्षक

(ii) प्रकाशन का प्रस्तावित वास्तविक विन्यास (अर्थात पृष्ठों की संख्या, दृष्टांत आदि)

(iii) विभिन्न शीर्षों (जैसे अंतिम रूप से तैयार पांडुलिपि, प्रति–सम्पादन, डिजाइनिंग, मुद्रण, जिल्दसाजी, वितरण, विपणन और संवर्धन आदि) के अधीन प्रस्ताव का वित्तीय विवरण/लागत अनुमान।

(iv) अनुदानग्राही संगठन और संस्कृति मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किया जाने वाला प्रस्तावित अधिकार करार जिसमें वापसी खरीदारी प्रबंध अथवा वास्तविक प्राप्ति, प्रकाशनाधिकार आदि के राजस्व हिस्से से सम्बद्ध रायल्टी जैसे निबंधनों एवं शर्तों का उल्लेख किया गया हो।

जांच सूची

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए)

क्रम सं.	दी गई सूचना/संलग्न किए गए कागजात	क्या सूचना दी गई/कागजात संलग्न किए गए [कृपया हां/ नहीं अथवा लागू नहीं (एन ए) लिखें]
1.*	पंजीकरण संख्या	
2.*	पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रामाणिक प्रति अथवा वह अनुमति अथवा न्यास विलेख अथवा सरकारी विश्वविद्यालय संकल्प अथवा आदेश जिसके द्वारा उक्त संगठन एक विधिक संगठन बना।	
3.	संगठन का संविधान, संगम ज्ञापन, नियम और विनियम आदि, जहां लागू हो।	
4.	संपादकीय प्रबंधन बोर्ड, और अथवा शासी निकाय अथवा परामर्शी बोर्ड अथवा समिति का वर्तमान गठन	
5.	नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट	
6.	विस्तृत प्रस्ताव	
7.	प्रकाशन के उद्देश्यों और वास्तविक रूपरेखा पर टिप्पणी	
8.	प्रकाशन के 3 से 6 पिछले अंक	
9.	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रस्ताव का वित्तीय विवरण/लागत अनुमान	
10.	विगत तीन वर्षों के आय और व्यय का विवरण तथा पिछले वर्ष के तुलन पत्र की प्रति	
11.	अनुदानग्राही संगठन और संस्कृति मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले अधिकार करार, जहां आवश्यक हो	
12.	निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
13.	निर्धारित प्रपत्र में बैक लेखा का विवरण	
14.	पृथक खाते रखने के लिए एक लिखित वचन	
15.	संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से प्रकाशित किए जाने के लिए	

	प्रस्तावित अनुसंधान कार्य/पांडुलिपि की सॉफ्ट कॉपी
16.	स्थायी खाता संख्या (यदि लागू हो)
17.	उचित रूप से भरा हुआ संकल्प (संरूप के अनुसार) संलग्न किया गया है।
18.	एन जी ओ भागीदारी प्रणाली द्वारा जारी विशिष्ट पहचान दर्शाया गया है

** हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय की मुहर

**हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होना चाहिए।

*वी ओ/एनजीओ द्वारा भरे जाने के लिए। विश्वविद्यालय विभाग/केन्द्र सदृश आवेदन विवरण भरें।

टिप्पणी :– क्षतिपूर्ति बंधपत्र, संकल्प, बैंक प्राधिकार पत्र और एन जी ओ भागीदारी पर सलाहकारी टिप्पणी क्रमशः अनुबंध I, II, III और IV पर हैं।

8

पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों /प्रकाशन समारोहों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता

प्रस्तावना

पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रकाशन समारोहों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत, वित्तीय सहायता पुस्तकों व पठन आदतों के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय/राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, दुर्लभ प्रकाशनों/पाण्डुलिपियों/सरकारी दस्तावेजों आदि की प्रदर्शनियों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा अन्य सम्बद्ध समारोह आयोजित करने के लिए दी जाती है। इस स्कीम में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी भी शामिल है। अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए सोसायटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, प्रकाशकों, पुस्तक व्यापार एसोसिएशनों सहित गैर–लाभकारी संगठन पात्र हैं। तथापि, यह स्कीम ऐसे संगठनों या संस्थानों के लिए उपलब्ध नहीं है जो धार्मिक संस्थानों, या स्कूलों/कॉलेजों के रूप में कार्य कर रहे हों। यह स्कीम वर्ष भर खुली है परन्तु विधिवत रूप से भरे गए आवेदनों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक 6 से 10 सप्ताह में एक बार विचार किया जाता है।

उद्देश्य व क्षेत्र

गुणवत्तापरक पुस्तकों का संवर्धन करके भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। अन्य प्रयोजन, ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें विशाल संख्या में लोग पुस्तकें खरीदेंगे और पढ़ेंगे। यह स्कीम पुस्तकों व पठन आदतों के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय/राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, दुर्लभ प्रकाशनों/पाण्डुलिपियों/सरकारी दस्तावेजों आदि की प्रदर्शनियों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा अन्य सम्बद्ध समारोहों के लिए है। इस स्कीम में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी भी शामिल है।

यह स्कीम संस्थानों, सोसायटियों आदि सहित गैर–लाभकारी संगठनों के लिए अभिप्रेत है। इसमें न्यास, प्रकाशक व पुस्तक व्यापार एसोसिएशन भी शामिल हैं।

अनुदान के लिए आवेदन करने वाले संगठन को कम से कम तीन वर्ष तक कार्य करते होना चाहिए और उसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI वां–साहित्यिक, वैज्ञानिक व धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण संबंधी अधिनियम) न्यास अधिनियम, कम्पनी अधिनियम या किसी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इस स्कीम के तहत ऐसे प्रख्यात लेखक और प्रकाशक भी अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं जिन्हें पुस्तकालय उत्सवों/पुस्तक मेलों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

तथापि, यह स्कीम ऐसे संगठनों या संस्थानों के लिए उपलब्ध नहीं है जो धार्मिक संस्थानों, या स्कूलों/कॉलेजों के रूप में कार्य कर रहे हों।

पात्रता

क) अनुदान का पात्र होने के लिए आवेदक संगठन को उचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय या शासी परिषद होनी चाहिए जिसकी शक्तियां, कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियां लिखित संविधान के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित व निर्धारित हों।

ख) संगठन को परियोजना लागत के कम से कम 25 प्रतिशत भाग के लिए बराबरी के संसाधनों का समझौता किया हुआ होना चाहिए या उसे उसकी योजना बनाई हुई होनी चाहिए।

ग) संगठन के पास उस कार्यक्रम/प्रस्ताव को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक शक्ति व अनुभव होना चाहिए जिसके लिए उसने अनुदान की मांग की है।

घ) यथा आवेदित ऐसे समारोहों के आयोजन या उनमें भागीदारी के विगत के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

ड.) इस स्कीम के तहत ऐसे प्रख्यात लेखक और प्रकाशक भी अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं जिन्हें सांहित्यिक उत्सवों, पुस्तक मेलों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने और दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

च) अन्तर्राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता में सामान्यता मौजूदा सरकारी दरों के अनुसार इकोनमी क्लास का हवाई भाड़ा, खान–पान और ठहरने (प्रतिदिन) के प्रभार शामिल होंगे। पुस्तकों और अन्य प्रदर्शों की पैकिंग और जहाज लदान तथा बीमा प्रभार (जहां लागू हो) भी शामिल किए जाएंगे।

सहायता किए जाने वाले कार्यकलापों की किस्म तथा सहायता की सीमा

(क) पठन की आदत को प्रोत्साहित करने वाले पुस्तक मेले/प्रदर्शनियां सामान्यतः शीतकाल के दौरान देश में आयोजित किए जाते हैं। प्रमुख वार्षिक पुस्तक मेले मुख्यतः स्थानीय प्रकाशक एसोसिएशन के तत्वावधान में दिल्ली, कोलकाता, पटना, चेन्नई तथा अन्य कुछ राज्यों की राजधानी आदि में आयोजित किए जाते हैं।

(ख) वित्तीय सहायता, भारत और विदेशों में दुर्लभ पुस्तकों, पाण्डुलिपियों, दुर्लभ सरकारी दस्तावेजों आदि की प्रदर्शनी सहित पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा संबद्ध समारोहों के आयोजन के लिए दी जा सकती है।

(ग) फ्रेंकफर्ट, लंदन, बीजिंग तथा मास्को जैसे शहरों में आयोजित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में प्रकाशक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों सहित प्रकाशकों/लेखकों की भागीदारी।

(घ) भारत और विदेशों में पुस्तक पठन/चर्चा सत्र, साहित्यिक उत्सव, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, साथ ही पुस्तक प्रकाशन, बाल साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन में रूझान आदि पर सेमिनार और सम्मेलन।

सहायता की मात्रा

विशिष्ट परियोजनाओं हेतु अनुदान की राशि व्यय के 75 प्रतिशत तक सीमित होगी। परंतु इसकी अधिकतम राशि प्रति समारोह 10 लाख रू. होगी। सहायता की मात्रा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर निर्भर करेगी।

आवेदन की पद्धति

क) इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का इच्छुक संगठन निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध–I) में आवेदन भेजेगा।

ख) जबकि विज्ञापन संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे, आवेदन वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है (विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार)। आवेदन किसी राष्ट्रीय अकादमी द्वारा या भारत सरकार के तहत किसी भी अन्य संस्कृति संबद्ध संगठन या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन, राज्य अकादमियों द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(क) संगठन का संविधान

(ख) प्रबंधन बोर्ड या शासी निकाय का संविधान और प्रत्येक सदस्य का विवरण।

(ग) उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

(घ) निम्नलिखित सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :

(i) उस परियोजना का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा इस क्षेत्र में संगठन के विगत अनुभव सहित इसकी अवधि, स्थान, संभावित अथवा सही तारीख और अन्य विवरण

(ii) परियोजना का वित्तीय विवरण जिसमें आवर्ती व गैर–आवर्ती व्यय का अलग–अलग मदवार ब्यौरा दिया गया हो।

(iii) स्त्रोत जिनसे प्रतिरूप निधियां प्राप्त की जाएंगी।

(ड.) आवेदक अथवा संगठन की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण तथा सनदी लेखाकार या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रतिलिपि।

(च) समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(छ) निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का विवरण ताकि मंजूर निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण किया जा सके।

लेखाकरण संबंधी पद्धतियां

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में अलग लेखे रखे जाएंगे :

क) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके विवेक पर उनके नामिती द्वारा किसी भी समय अनुदानग्राही संगठन के लेखाओं की संपरीक्षा की जा सकेगी।

ख) अनुदानग्राही संगठन, भारत सरकार को सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षित लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा और जिसमें विगत वर्षों में अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय व सरकारी अनुदान के उपयोग का उल्लेख होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदानग्राही संगठन तत्काल भारत सरकार की प्रचलित ऋण दर पर ब्याज सहित प्राप्त अनुदान की सम्पूर्ण

राशि लौटाने की व्यवस्था करेगा जब तक कि उसे सरकार द्वारा इसकी विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

ग) अनुदानग्राही संगठन की, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भी समय आवश्यक समझे जाने पर नियुक्त समिति के माध्यम से या सरकार द्वारा तय किसी भी अन्य तरीके से समीक्षा की जा सकेगी।

घ) इस स्कीम के अंतर्गत, अनुदानग्राही संगठन, विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी प्रतिनिधि मण्डल या व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेगा जिसका आवेदन अनिवार्यतः संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा।

ड.) अनुदानग्राही संगठन पर ऐसी अन्य शर्ते लागू होंगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा लगाई जाएंगी।

किस्तें

अनुदान 75 प्रतिशत (पहली किस्त) और 25 प्रतिशत (दूसरी किस्त) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

भुगतान का तरीका

सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण के जरिए किए जाएंगे।

स्कीम का परिणाम

संस्कृति मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अनुदानग्राही संगठन द्वारा आयोजित समारोह/कार्यक्रम का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट दो प्रतियों में एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

मामलों में कार्रवाई करने में लिया गया समय

मामलों में कार्रवाई करने के लिए दो माह के समय की आवश्यकता होगी। आवेदकों को समारोह शुरू करने से कम से कम तीन माह पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रकाशन समारोहों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन–पत्र

1. संगठन का नाम :
2. डाक पता (टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल पते सहित) :
3. संगठन की स्थापना की तारीख व पंजीकरण नम्बर :
4. एनजीओ भागीदारी प्रणाली द्वारा जारी विशिष्ट पहचान : नम्बर (आईडी)
5. स्थायी खाता नम्बर (पैन) (आयकर) :
6. बैंक का नाम व बैंक खाता नम्बर :
7. संस्थान/संगठन का संक्षिप्त विवरण :
8. प्रस्ताव/परियोजना, जिसके लिए सहायता मांगी गई है, का तारीख और निष्पादन अवधि सहित ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)
9. परियोजना की रूपरेखा (संलग्न की जाए) :
10. परियोजना की कुल अनुमानित लागत (मदवार ब्यौरा संलग्न किया जाए) :
11. संस्कृति मंत्रालय से प्रार्थित सहायता की राशि :
12. प्रस्ताव हेतु वित्त के अन्य स्त्रोतों का ब्यौरा (बराबरी का हिस्सा) :
13. संस्कृति मंत्रालय से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की मात्रा :
14. क्या विगत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। यदि हां तो उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं।
15. मैं यह प्रमाणित और घोषित करता हूँ कि :

    क. उपर्युक्त प्रस्तुत विवरणों का ब्यौरा सत्य है।
    ख. संस्थान/संगठन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन करेगा।

हस्ताक्षर :
नाम :

पदनाम :

कार्यालय मोहर :

* आवेदक संगठन की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण तथा सनदी लेखाकार या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रतिलिपि।

समुचित एजेंसी की सिफारिश

आवेदन के साथ निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए किसी भी राष्ट्रीय अकादमी, भारत सरकार के तहत किसी भी संस्कृति सम्बद्ध संगठन या राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/राज्य अकादमियों की सिफारिश आग्रेषित की जाए :

1. यह कि उक्त संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21); न्यास अधिनियम, कम्पनी अधिनियम या अन्य किसी केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
2. यह कि उक्त संगठन सक्रिय व कल्याणकारी है और आवेदन में उल्लिखित परियोजना के लिए सहायता किए जाने का पात्र है।

नोट ॥ उपर्युक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी, मामले की सिफारिश करने वाली अकादमी/सरकार के सांस्कृतिक संगठन का प्रमुख या राज्य सरकार /संघ राज्य प्रशासन के अवर सचिव या उससे उपर का अधिकारी होना चाहिए।

नोट : क्षतिपूर्ति बंध पत्र, संकल्प, बैंक प्राधिकार पत्र तथा एन जी ओ भागीदारी पर सलाहकारी टिप्पणी के फार्मेट क्रमशः अनुबंध I, II, III और IV में दिए गए हैं।

9

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करना

1. **शीर्षक :** विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करने की स्कीम

2. **उद्देश्य**

स्कीम का उद्देश्य असाधारण प्रतिभा वाले युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, स्वांग, दृश्य कला, लोक, पारम्परिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत में उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. **संख्या**

शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 400

4. **विषय/क्षेत्र जिनमें शिक्षावृत्तियां दी जा सकती हैं**

(1) भारतीय शास्त्रीय संगीत

शास्त्रीय हिन्दुस्तानी संगीत (गायन और वाद्य) शास्त्रीय कर्नाटक संगीत (गायन और वाद्य आदि)

(2) भारतीय शास्त्रीय नृत्य/संगीत

भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य/संगीत, मणिपुरी नृत्य/संगीत, थांगटा, गौडिया नृत्य, छऊ नृत्य/संगीत, सतरिया नृत्य।

(3) रंगमंच

रंगमंच कला का कोई विशिष्ट पहलू, जिसमें अभिनय, निर्देशन आदि शामिल हैं किन्तु नाट्यलेखन और अनुसंधान शामिल नहीं है।

(4) दृश्य कलाए

रेखांकन, मूर्तिकला, चित्रकारी, क्रिएटिव फोटोग्राफी, मृत्तिका और सिरेमिक्स आदि।

(5) लोक, पारम्परिक और स्वदेशी कलाएं

कठपुतली, लोक रंगमंच, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक गीत आदि (एक सोदाहरण सूची पैरा 10 टिप्पणी में देखी जा सकती है)।

(6) सुगम शास्त्रीय संगीत

(क) ठुमरी, दादरा, टप्पा, कव्वाली, ग़ज़ल

(ख) कर्नाटक शैली पर आधारित सुगम शास्त्रीय संगीत आदि

(ग) रवीन्द्र संगीत, नज़रूल गीति, अतुलप्रसाद

5. शिक्षावृति की अवधि एवं शर्तें

शिक्षावृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी।

प्रत्येक मामले में प्रशिक्षण का स्वरूप अध्येता के पिछले प्रशिक्षण तथा पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः किसी गुरू/प्रशिक्षक अथवा मान्यता प्राप्त संस्था की उच्च प्रशिक्षुता के स्वरूप की होगी।

अध्येता को कठोर प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में संबंधित विषय क्षेत्र में सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करने में लगे समय के अतिरिक्त अभ्यास के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे का समय और संबंधित विषयों को समझना भी शामिल है।

प्रत्येक अध्येता को यात्रा, पुस्तकों, कला सामग्री या अन्य उपस्कर और ट्यूशन या प्रशिक्षण प्रभार, यदि कोई हो, पर अपने रहन–सहन के व्यय को पूरा करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 5000/–रू. का भुगतान किया जाएगा।

6. पात्रता की शर्तें

(क) अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(ख) अभ्यर्थियों में उनके प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से आगे चलाने के लिए पर्याप्त सामान्य ज्ञान होना चाहिए।

(ग) अभ्यर्थियों को अपने प्रशिक्षण का व्यावसायिक जीवन में प्रभावी रूप से अनुसरण करने की अपनी इच्छा का प्रमाण देना चाहिए।

(घ) चूँकि, ये शिक्षावृत्तियाँ उच्च प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं, न कि नए सीखने वालों के लिए, अतः अभ्यर्थियों के पास चुने हुए कार्यकलाप के क्षेत्र में प्रवीणता डिग्री होनी चाहिए।

(ङ) अभ्यर्थी को अपने गुरू/संस्थानों से न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन के साथ वर्तमान गुरू/संस्थान और पूर्व गुरू/संस्थान (यदि कोई हो) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र के भाग–II में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(च) अभ्यर्थी को सम्बद्ध कलाओं/विद्याओं में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(छ) अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष में 1 अप्रैल को 18 वर्ष से कम और 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस वर्ष में आवेदन किया जा रहा है। आयु सीमा में छूट नहीं है।

7. विज्ञापन

प्रत्येक वर्ष संस्कृति मंत्रालय द्वारा आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा।

8. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

विज्ञापन के उत्तर में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे :

1. आवेदन–पत्र में शैक्षिक योग्यताओं, अनुभवों इत्यादि के संबंध में दिये गए विवरणों के समर्थन में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र इत्यादि, यदि कोई हो, की एक–एक सत्यापित प्रति। किसी भी हालत में मूल

दस्तावेज नहीं भेजने चाहिए।

2. मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो, अथवा आयु के किसी अन्य संतोषजनक प्रमाण (जन्म पत्रियों को छोड़कर) की एक सत्यापित प्रति।

3. नवीनतम पासपोर्ट आकार का एक फोटो। नृत्य के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इसके अतिरिक्त तीन बड़े आकार की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में पूरी वेशभूषा में फोटो भी भेजने चाहिए।

4. जो उम्मीदवार चित्रकला, मूर्तिकला और प्रयुक्त कला के क्षेत्र में शिक्षावृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्रों के साथ मूल कृतियों की, संस्था के पर्यवेक्षक/प्रधान द्वारा विधिवत् सत्यापित फोटो भी भेजनी होगी तथा संगीत के मामले में आवेदक का एक आडियो कैसेट आवेदन–पत्र के साथ टैग के साथ बांधना चाहिए। दृश्यकला के लिए ललित कलाओं में स्नातक अथवा समकक्ष न्यूनतम अर्हता है।

5. पूरा भरा हुआ आवेदन–पत्र अनुभाग अधिकारी, एस एण्ड एफ अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, एनएआई बिल्डिंग एनेक्सी, दूसरी मंजिल, जनपथ, नई दिल्ली–110001 को भेजा जाना चाहिए (अपूर्ण और निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा)।

6. यदि आवेदक एक से अधिक क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र भेजना चाहिए।

7. चूंकि ये शिक्षावृत्तियां उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं, अतः अभ्यर्थी को अपने गुरू/संस्थानों से न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन के साथ वर्तमान गुरू/संस्थान और पूर्व गुरू/संस्थान (यदि कोई हो) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र के भाग–II में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. सामान्य

1. प्रारम्भिक चयन के परिणामस्वरूप संस्तुत अभ्यार्थियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षात्कार/प्रदर्शन के लिए उपस्थित होना होगा। चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

2. दिये गये नियम इत्यादि भारत सरकार के विवेक पर बदले जा सकते हैं।

3. शिक्षावृत्तियां प्रदान किये जाने के लिए उम्मीदवारों के चयन के परिणाम के संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आवेदन–पत्र इत्यादि को लौटाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. अंतिम चयन होने के पश्चात् चयन का परिणाम चयनित उम्मीदवारों को भेज दिया जाएगा।

6. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे इस मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए और सूचित करते समय प्रशिक्षण के विषय/क्षेत्र, जिसके लिए आवेदन पत्र भेजा गया था, का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. आगे के किसी भी पत्र व्यवहार के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित ब्यौरे अवश्य दें :–

(क) स्कीम का नाम (ख) सुस्पष्ट अक्षरों में उम्मीदवार का नाम (ग) प्रशिक्षण का विषय/क्षेत्र (घ) पंजीकरण संख्या, यदि उम्मीदवार को भेजी गई हो।

10. टिप्पणी : लोक, पारम्परिक व स्वदेशी कला की सांकेतिक सूची

कठपुतली रंगमंच

(क) छाया कठपुतली

1. उड़ीसा की रावण छाया
2. महाराष्ट्र का चमड्याचा बाहुल्या
3. केरल का तोल पावाकूतु
4. तमिलनाडु का तोलु बोम्मलाट्टम
5. आंध्र प्रदेश का तोलु बोम्मलाट्टम
6. कर्नाटक का तोलागु गोंबे अट्टा

(ख) छड़ या धागा कठपुतली

7. पश्चिम बंगाल का पुतुलनाच
8. राजस्थान की कठपुतली
9. कर्नाटक का गोंबेअट्टा
10. केरल का पावाकुतू
11. तमिलनाडु का बोम्मलाट्टम
12. उड़ीसा का सखी–कुंडेई
13. महाराष्ट्र का कलासूत्री बहुली
14. बिहार का चदर बदर

(ग) दस्ताना कठपुतली

15. उत्तर प्रदेश का गुलाबो सिताबो
16. केरल का पावा कथकली

(घ) पारम्परिक रंगमंच

भक्ति संगीत

1. कथाकालक्षेपम की हरिकथा

2. तेवारम, तिरूपुगाज, कावडिचिंदु
3. महाराष्ट्र के भजन और अभंग
4. विभिन्न धार्मिक समुदायों के गीत
5. मणिपुर का संकीर्तन
6. बंगाल का बाउल
7. दिव्यप्रबंदंम और अरैया सेवाई

लोक संगीत

1. सभी क्षेत्रों के महिला गीत
2. बच्चों के लिए तथा बच्चों द्वारा गाए गीत
3. महाकाव्यों से संबंधित गीत
4. विभिन्न जातियों के गीत
5. सभी क्षेत्रों की देवी माता की भेंटें
6. उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की विभिन्न प्रकार की लावणी
7. महाराष्ट्र के गोलण
8. दक्षिण के कुरवंजी गीत
9. नागेसी–हरदेसी (कर्नाटक) सहित विभिन्न क्षेत्रों के कलगी तुरा
10. गौरव गीत (कलगी तुरा)
11. कर्नाटक और महाराष्ट्र के गोंधल
12. बिंगीपद (अंटिके पंटिके)
13. तत्त्व गीत (एकतारी मेला)
14. किन्नरी जोगी गीत
15. काणे–पद
16. गीगीपद
17. गुंडिका पद
18. जोकुमार गीत

19. दोम्बी दास के गीत (गाथा)
20. नील गार के गीत
21. पंढरी भजन
22. रिवायत के गीत (सवाल–जवाब) और मर्सिया कहानी
23. लोक तथा जनजातीय संगीत वाद्य
24. समष्टि वादन (पंचमुख–वाद्य करडी, मजलू, वेलगा, सिट्टी, मेला, छकडी, अंजुमन आदि)

अन्य विविध परम्परागत स्वरूप

1. मणिपुर का पेनाइसेई
2. लोक संगीत (जाति संगीत)
3. राजस्थान का मांड
4. गोवा का रणमाल्येम
5. असम का देवधानी
6. मध्य प्रदेश की चांदयानी
7. कश्मीर का भांड जश्न
8. तेय्यमतुरा
9. तिब्बती कलावस्तु तथा अभिलेखागार के पुस्तकालय, धर्मशाला में तिब्बती चित्रकला और काष्ठ शिल्प का अध्ययन

यह सूची उदाहरणस्वरूप है, न कि सम्पूर्ण।

आवेदन करने की प्रक्रिया

केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.indiaculture.nic.in) देखें तथा उसमें दिए गए अनुदेशों का पालन करें।

10

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करना

1. उद्देश्य

सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करने से पता चला है कि शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों के लिए संस्थागत ढांचा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के पर्याप्त अवसर हैं, सृजनात्मक कला के क्षेत्रों में अथवा हमारे कुछ पारम्परिक कलारूपों को पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, जिसके माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाते हों। संभवतः वित्तीय सुरक्षा से युक्त स्वतंत्र वातावरण से इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि 10–14 वर्षों के आयु–वर्ग (सांस्कृतिक प्रतिभा शोध शिक्षावृत्ति योजना) तथा 18–25 वर्षों के आयु–वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्कीम हैं, लेकिन हमारे कुछ पारम्परिक कला–रूपों को पुनर्जीवित करने की बाबत अत्यधिक उन्नत प्रशिक्षण अथवा वैयक्तिक सृजनात्मक प्रयास के लिए बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कोई स्कीम नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करने की स्कीम चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम में ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के कलाकार भी शामिल होंगे।

ये अध्येतावृत्तियाँ अनुसंधान उन्मुख परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रदान की जाती हैं। आवेदक को परियोजना प्रारंभ करने के संबंध में अपनी योग्यताओं का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

अध्येतावृत्तियाँ, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करने, अथवा स्मरणों को लिपिबद्ध करने/अथवा आत्मकथा/कथा साहित्य आदि लिखने के लिए प्रदान नहीं की जाती हैं।

2. फील्ड/क्षेत्र

(क) मंच, साहित्यिक व रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृतियां

(i) मंच कलाएँ (संगीत/नृत्य/रंगमंच और कठपुतली–कला सहित लोक कला, पारम्परिक तथा देशीय कलाएं)

(ii) साहित्यिक कलाएँ (यात्रा–विवरण/साहित्य का इतिहास और सिद्धांत)

(iii) रूपंकर कलाएँ (लेखाचित्र–कला/मूर्तिकला/चित्रकला जिसमें लोक चित्रकला तथा अनुसंधान कार्य शामिल है तथा जो पारम्परिक चित्रकला/सर्जनात्मक–फोटोग्राफी से संबंद्ध है)

(ख) संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ

निम्नलिखित क्षेत्रों में ''संस्कृति से सम्बद्ध नए क्षेत्रों'' में परियोजनाएँ आमंत्रित हैं :

1. भारत विद्या

2. पुरालेखशास्त्र
3. संस्कृति का समाजशास्त्र
4. सांस्कृतिक अर्थशास्त्र
5. स्मारकों के संरचनात्मक और इंजीनियरिंग पहलू
6. मुद्रा शास्त्र
7. संरक्षण के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू
8. कला और विरासत के प्रबंधन पहलू
9. संस्कृति और सृजनात्मकता के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययन

इनका उद्देश्य कला और संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों में समकालीन मुद्दों में नई शोध तकनीकों, प्रौद्योगिकीय और प्रबंधन सिद्धांतों के विश्लेषणात्मक अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देना है। सामान्य और सैद्धांतिक वृहत् अध्ययनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव, नवीन और अनुप्रयोग उन्मुख और वरीयतः अन्तर–विधा किस्म का होना चाहिए।

3. नाम

इस स्कीम को 'संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों का अध्येतावृत्तियां प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जाना जायेगा।

4. अध्येतावृत्तियों की संख्या

अध्येतावृत्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 400 होगी। ये दो प्रकार की अध्येतावृत्तियां हैंः वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 40 वर्ष और इससे अधिक आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 20,000/– रू. की दर से 200 होगी जबकि 25–40 वर्ष की आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 10,000/–रू. की दर से कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 200 होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से की जाएगी।

5 प्रकाशन अनुदान

इसके अलावा, चुनिंदा परियोजना दस्तावेजों के प्रकाशन की लागत के अधिकतम 20,000/– रू. या 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, की एक बारगी दिया जाने वाला अनुदान हो सकता है। इसे अनुदान प्राप्तकर्ताओं के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

6 पात्रता

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदक, अभावग्रस्त परिस्थितियों में विद्यमान कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय से पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।

आवेदक, इससे पहले सदृश अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। तथापि, जिस आवेदक को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान की गई हो, वह वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि पहली परियोजना पूरा होने के बाद 5 वर्ष का समय बीत चुका हो।

स्कीम के पैरा 2 (ख) में सूचीबद्ध क्षेत्र/दायरे में पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक है।

7. शर्तें

जो आवेदक कहीं नियोजित हैं उन्हें उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों के तहत प्राप्तकर्ता को छमाही प्रगति रिपोर्ट जमा करानी होगी। ऐसी रिपोर्ट समय से प्राप्त न होने पर अध्येतावृत्ति राशि मंत्रालय द्वारा रोकी जा सकती है।

चुने गए उम्मीदवारों को उन परियोजनाओं के संबंध में शैक्षिक अथवा अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान कार्य आयोजित करना होगा जिसके लिए उन्हें अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गई हैं। उन्हें अपनी परियोजना दो वर्ष के अंदर पूरी करनी होगी और उसे इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी के बिना अधिकतम तीन माह तक समय वृद्धि की अनुमति होगी।

8. निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन

प्रत्येक मामले में एक वर्ष बाद सत्र के बीच में निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना इस समीक्षा/मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

9. चयन की प्रकिया

1. अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन, संलग्न प्रपत्र में विज्ञापन के माध्यम से प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे।
2. आवेदन के साथ संबंधित विषय पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव संलग्न किया जाना चाहिए।
3. यदि आवेदक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों इत्यादि में कार्यरत हैं, तो अध्येतावृत्ति के लिए चयन होने पर उन्हें दो वर्ष की अवधि का अवकाश लेना होगा। उन्हें अध्येतावृत्ति के अपने आवेदन को विभाग/संस्था/उपक्रम/विश्वविद्यालय इत्यादि के प्रमुख के माध्यम से इस लिखित आश्वासन के साथ प्रेषित करना चाहिए कि अध्येतावृत्ति के मंजूर होने पर उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। अन्य अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं पर लागू अन्य शर्तों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अवकाश मंजूर होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अध्येतावृत्ति की प्रथम किस्त जारी की जाएगी।
4. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जो प्रथम चरण में सभी आवेदनों की जांच करेगी और साक्षात्कर के लिए उनमें से विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदवारों के अपेक्षाकृत संख्या में संभावित चयन के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ठ उम्मीदवारों की लघु सूची बनाएगी।
5. विशेषज्ञ समिति द्वारा लघु सूची में रखे गए कनिष्ठ अध्येतावृत्ति उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो फिर उनमें से विभिन्न क्षेत्रों में कनिष्ठ अध्येतावृति की अपेक्षित संख्या तक सर्वाधिक उत्कृष्ठ उम्मीदवारों को चुनेगी। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों के मामले में ऐसा साक्षात्कार आवश्यक नहीं होगा।

10. संवितरण प्राधिकारी

स्कीम के अंतर्गत मंजूर की गई सभी अध्येतावृत्तियॉ केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही संवितरित की जाएंगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों से अपेक्षित है कि वे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.nic.in) पर जाएं और उसमें दिए गए अनुदेशों का पालन करें।

11

टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति

1. उद्देश्य

यह स्कीम, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन विभिन्न संस्थाओं तथा देश में चिन्हित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुप्राणित करने तथा पुनरूज्जीवित करने के लिए शुरू की गई है, जो परस्पर हित की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संस्थाओं में नवीन ज्ञानभंडार अनुप्रमाणित करने की दृष्टि से, इस स्कीम में इन अध्येताओं/शिक्षाविदों के इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य से संबंधित परियोजना और अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए संस्थाओं में विशिष्ट संसाधन के चयन हेतु तथा उन्हें नवीन सृजनात्मक दृष्टिकोण तथा शैक्षिक उत्कर्ष से उन्हें समृद्ध करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में भारतीय राष्ट्रीय तथा विदेशी नागरिक भाग ले सकते हैं। विदेशियों का अनुपात एक वर्ष में प्रदान की गई कुल अध्येतावृत्ति का सामान्यतया एक–तिहाई से अधिक नहीं होगा।

2. शीर्षक

इस स्कीम को ''टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति की स्कीम'' के नाम से जाना जाएगा।

3. भाग लेने वाले संस्थान

इस स्कीम में संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन नीचे सूचीबद्ध सभी संस्थाएं शामिल होंगी तथा भविष्य में ऐसी ही अन्य संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) की राय है कि इस स्कीम में ऐसे ही गैर–मंत्रालयीय सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक स्रोत जैसे – पांडुलिपियों, कलाकृतियों, पुरावस्तुएं, पुस्तकें, प्रकाशन, अभिलेख आदि भी शामिल हो सकती हैं तथा इसके संसाधनों पर काम करने के लिए विशिष्ट विद्वानों को नियुक्त करके तथा प्रकाशन, जो विषय की हमारी समझ अथवा संस्था को समृद्ध करता है, निकालकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक संस्थाओं से उन्हें स्कीम में शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, एनएससी, अपनी स्वयं की क्षमता से, ऐसी संस्थाओं की पहचान करता है, जिन्हें स्कीम से लाभ देने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस स्कीम के लिए संस्कृति मंत्रालय तथा गैर–मंत्रालयीय संस्थाएं जो इस स्कीम द्वारा वर्तमान में शामिल की गई हैं, को दो श्रेणियों (I व II) तथा विभिन्न 4 समूहों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं :

समूह – 'क': पुरातत्व, पुरावस्तु, संग्रहालय एवं दीर्घाएं

I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (9)

i. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली

ii. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली

iii. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

iv. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

v. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद

vi. इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

vii. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता

viii. ललित कला अकादमी, नई दिल्ली

ix. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ

II. गैर–मंत्रालयी संस्थान (3)

i. छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुम्बई

ii. गांधी संग्रहालय, पटना

iii. राजकीय संग्रहालय एवं कला दीर्घा, चंडीगढ़

समूह– 'ख': अभिलेखागार, पुस्तकालय एवं सामान्य छात्रवृत्ति

I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (6)

i. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

ii. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता

iii. रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर (उ.प्र.)

iv. खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

v. राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता

vi. गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

II. गैर–मंत्रालयी संस्थान (4)

i. एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई

ii. आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

iii. तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय एवं अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर

iv. भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे

समूह – 'ग' : मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र

I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (10)

i. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता

ii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

iii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली

iv. उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला

v. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद

vi. पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता

vii. उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर

viii. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर

ix. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

x. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर

II. गैर–मंत्रालयी संस्थान (शून्य)

समूह– 'घ' : मंचकला एवं साहित्य कलाएं

I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (4)

i. संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली

ii. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

iii. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई

iv. साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

II. गैर–मंत्रालयी संस्थान (1)

i. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (कला एवं सौन्दर्य विद्यालय), नई दिल्ली

4. स्कीम का कार्य क्षेत्र

स्कीम का कार्य क्षेत्र अनुसंधान परियोजनाएं, जो अपनी खोज न किए गए संसाधनों को प्रकाश में लाती हैं चिन्हित सांस्कृतिक संस्थान विशिष्ट योग्यता वाले विद्वानों को नियुक्त करता है। संस्थान तथा विद्वान खोज किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे, लेकिन अनुसंधान का विषय एक संस्थान तक सीमित नहीं होने चाहिए। सुविधा, मॉनीटरिंग, लेखाकरण तथा उत्तरदायित्व के उद्देश्य के लिए पैरा 3 में सूचीबद्ध एक संस्थान, प्रत्येक परियोजना के लिए 'नोडल संस्थान' होना चाहिए तथा अध्येता को उस संस्थान से संबद्ध/जोड़ा जाएगा।

4.1 शोध क्षेत्र तथा पात्र परियोजनाएं

4.1.1 चयनित अध्येता सामान्यतः उस परियोजना पर कार्य करेगा जो नोडल संस्थान को उसके संसाधनों को सुलझाने के लिए लाभकारी हैं। शोध का विषय ऐसा होना चाहिए कि वह अध्येतावृत्ति देने वाले नोडल संस्थान के संसाधनों और सुविधाओं को उपयुक्त रूप से आगे बढ़ाए, यद्यपि इसके साथ ही वह अन्य संस्थानों के संसाधन और सुविधाएं लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.1.2 यदि अनुसंधान का विषय एक संस्थान से आगे बढ़ता है अथवा अध्येतावृत्ति अन्य रूप से अन्य संस्थान के संसाधनों और सुविधाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करता है, अध्येतावृत्ति प्रदान करने वाला नोडल संस्थान, अन्य संस्थानों को अध्येतावृत्ति की सिफारिश करेगा। ऐसे विरल मामले में जहां अध्येता के लिए दो संस्थान लगभग समान महत्व के हों, दूसरे संस्थान को 'सह–संस्थान' के रूप में समझा जाए और दोनों पक्षों द्वारा बौद्धिक संपदा, प्रकाशन, क्रेडिट शेयरिंग, सुविधाएं आदि के संबंध में द्विपक्षीय समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं। लेकिन लेखाकरण 'नोडल संस्थान' के पास ही रहेगा।

4.1.3 चूंकि यह स्कीम, नोडल संस्थान के सांस्कृतिक संसाधनों को सुलझाने पर केन्द्रित है, परियोजना उसी दिशा में चलनी चाहिए, अर्थात्, नोडल संस्थान के संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना। परियोजना के आवश्यक निवेश नोडल संस्थान और (विरले मामले में) सह–संस्थान में उपलब्ध संसाधनों के साथ अत्यधिक जुड़ाव होना चाहिए।

4.1.4 इसके अंत में, परियोजना परिणाम से नोडल संस्थान, सह–संस्था, यदि कोई हो, तथा विचाराधीन विषय को लाभ मिलना चाहिए; तथा संस्थान/विषय के विद्यमान ज्ञान में वृद्धि होगी।

4.2 टैगोर राष्ट्रीय अध्येता के रूप में नियुक्ति के लिए विद्वानों की पात्रता

4.2.1 ऐसे विद्वान जो गहन शैक्षणिक ज्ञान अथवा व्यावसायिक ख्याति वाले तथा अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया हो, जैसाकि प्रख्यात और संदर्भित जर्नलों में प्रकाशित हुआ हो तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में प्रतिपादित हुआ हो, अथवा कला या संस्कृति के किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य वाले व्यक्ति, अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने हेतु विचार के लिए पात्र होंगे।

4.2.2 नियुक्त किए जाने वाले अध्येता के पास पिछले पैरा (4.2.1) में उल्लिखित विश्वसनीयता तथा नोडल संस्थान द्वारा शामिल क्षेत्र में गहन ख्याति होनी चाहिए। चूंकि मान और मानदेय दोनों ही काफी उच्च स्तर के हैं; अतः प्रायोजित संस्थान की संस्थान स्तरीय 'खोज–सह–जांच समिति' और 'राष्ट्रीय चयन समिति' (आगे पैरा 11 में परिभाषित) टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं की सिफारिश/चयन करते समय यह ध्यान में रखें।

4.2.3 अतः ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए जिन्हें टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए चुना जाता है :

(क) शोध व अनुभव काल के संबंध में उच्च प्रतिष्ठा;

(ख) प्रकाशनों की अत्यधिक प्रभावी सूची, जिन्हें विद्वता के क्षेत्र में स्वीकार किया गया हो;

(ग) सीधे नोडल संस्थान और/या सम्बद्ध संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं के संचालन का पूर्व अनुभव।

4.2.4 संक्षेप में, टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए चुना गया व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने अपने कार्यक्षेत्र में 'लीजेंड' का दर्जा पा लिया हो या वह अत्यधिक आदरणीय हो। यह उचित है कि जो उक्त विवरण के दायरे में नहीं

आते वे अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन न करें या उन्हें इतना ऊंचा सम्मान व मानदेय देने पर विचार न किया जाए जो इस अध्येतावृत्ति के तहत भारत के किसी विद्वान को दिया जाता है।

5. चयन की शर्तें

चुने गए अध्येता को नोडल संस्थान में भाग लेना होगा क्योंकि स्कीम का उद्देश्य ऐसे संस्थानों को शैक्षिक सुविज्ञता उपलब्ध करवाना तथा नोडल संस्था के कार्यकलापों में शैक्षिक अनुकूलन सृजित करना है। लम्बी अवधि तक अध्येताओं की वास्तविक उपस्थिति से नोडल संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों व सांस्कृतिक विशेषज्ञों का शैक्षिक अनुकूलन होगा तथा इससे अन्य संस्थानों से आने वाले अतिथि शिक्षाविदों के साथ मेलजोल करने का अवसर भी मिलेगा। यद्यपि अध्येताओं को परियोजना कार्य के प्रयोजनों से या अपनी अन्य व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण समय–समय पर बाहर जाना पड़ सकता है परन्तु अध्येतावृत्ति की मुख्य अवधि के दौरान आशा है कि वे प्राथमिक रूप से नोडल संस्थान व इसके संसाधन के साथ काम करेंगे। अतः ऐसे उम्मीदवार इस अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं ले सकते जो अन्यत्र अधिक व्यस्त हैं या जो नियमित सेवा में है या जिनकी सेवा जारी है। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार उस नगर में प्रवास नहीं कर सकते, जहां नोडल संस्थान स्थित है, सामान्यतया उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। परन्तु यदि विषय या संसाधन, शोध का ऐसा मुख्य आधार हैं कि उसके लिए उसकी उक्त नगर में लगातार उपस्थिति की जरूरत नहीं है तो एनएससी ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है। इस स्कीम में भाग लेने वाले संस्थान में नियोजित उम्मीदवारों पर भी सर्वाधिक अपवादस्वरूप परिस्थितियों (जिसके बारे में एनएससी द्वारा निर्णय लिया जाएगा) को छोड़कर अपने मूल संस्थान में अध्येता होने पर प्रतिबंध होगा।

6. टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की संख्या व उनका वित्त पोषण

6.1 प्रारंभ में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति का आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रति वर्ष 15 अध्येतावृत्तियों का भुगतान किया जाता है। इसकी कुल संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के लगभग सभी संस्थानों के पास अपने अध्येताओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त निधियां है। एक संस्थान एक वर्ष में अधिकतम दो अध्येतावृत्तियां प्रदान कर सकता है परन्तु पात्र प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) को विशेष रूप से एएसआई और आईजीएनसीए जैसे व्यापक आधार वाले संस्थानों के मामले में उक्त शर्त में ढील देने का विवेक होगा।

6.2 यदि वर्ष 2009–10 से प्रारंभ करते हुए किसी वर्ष के लिए, संस्कृति मंत्रालय की निधियों से प्रदान की गई अध्येतावृत्तियां 15 से कम हैं, तो शेष अध्येतावृत्तियों को ठीक अगले वर्ष में आगे ले जाया जा सकता है बशर्ते कि उस वर्ष में इस प्रयोजनार्थ निधियां हों। इसी प्रकार वित्त वर्ष विशेष में प्रस्तुत आवेदनों व परियोजनाओं को भी आगे ले जाया जा सकता है और उन पर अगले वर्ष विचार किया जा सकता/उनकी सिफारिश की जा सकती है बशर्ते कि उन्हें अन्यथा विचार के योग्य पाया जाए।

6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि संस्कृति मंत्रालय के तहत सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालय, उन्हें आबंटित समग्र योजनागत बजट में से टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पर खर्च करेंगे जबकि स्वायत्त संगठन (संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित), उन्हें वार्षिक योजना अनुदानों या आन्तरिक व्यवस्था से उपलब्ध निधियों के सामान्य पूल से अध्येतावृत्तियों का खर्च वहन करेंगे। यदि उनमें से किसी भी संगठन को इस प्रकार सेवा में लिए गए अध्येताओं की सहायता हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पड़ती है तो, संस्कृति मंत्रालय स्वायत्त संगठनों के मामले में उनके सहायता अनुदान आबंटन के भाग के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त निधियां आबंटित करेगा और यदि संबंधित संस्थान,

मंत्रालय का सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय है तो अतिरिक्त बजट प्रावधान करेगा। इन संस्थानों को, इसमें आगे निर्धारित मुख्य पैरामीटरों के भीतर और एनएससी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस स्कीम को संचालित करने के लिए (जिसके लिए मंत्रालय यथा उक्त उल्लिखित सहायता अनुदान/बजट आबंटन प्रदान करेगा) पूर्ण स्वतंत्रता व नम्यता होगी।

6.4 स्कीम के तहत आने वाले संस्कृति मंत्रालय के संस्थानों से इतर संस्थानों को सीधे इस स्कीम के बजट शीर्ष से निधियां प्रदान की जाएगी, जिनका उपयोग इन संस्थानों द्वारा उनके लिए काम किए जाने हेतु चुने गए टैगोर राष्ट्रीय अध्येता (अध्येताओं) पर खर्च करने के लिए किया जाएगा और इसका अलग से लेखा रखा जाएगा।

7. टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का मूल्य

7.1 टैगोर राष्ट्रीय अध्येता, जो एक विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थानों अथवा भारत के सरकारी ढांचे से हो, ग्रेड वेतन आदि सहित उसी वेतन का पात्र होगा जो उसने अपने मूल संगठन में रहते हुए प्राप्त किया हो। नोडल संस्थान द्वारा नियोक्ता के भविष्य निधि आदि में मूल या अनिवार्य अंशदान का भी भुगतान किया जाएगा जैसाकि नियोक्ता द्वारा अध्येता के अपने मूल संगठन में रहते हुए उसे किया जाता।

7.2 कोई अध्येता, जो विदेश अथवा विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान अथवा सरकार से भिन्न ढांचे से अथवा जो अपनी सेवा से अब सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा अपनी पेंशन ले रहा हो, 80,000/– रु. प्रतिमाह के नियत मानदेय का पात्र होगा।

7.3 ऐसी टॉप–अप राशि, जो एनएससी द्वारा निर्धारित की जाए, उस अध्येता को देय होगी जो चुनिंदा मामलों में अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर रहा हो जिससे उसके परिलब्धियों की कुल राशि मानदेय की सीमा तक या इससे अधिक हो जाएगी। परन्तु किसी भी स्थिति में टॉप–अप की राशि प्रतिमाह 80,000/– रु. से अधिक नहीं होगी।

7.4 ऐसे अध्येता को मानदेय का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जो मानदेय के बराबर अन्य स्रोतों से पूंजी राशि प्राप्त कर रहा हो। तथापि, ऐसे अध्येता को आकस्मिक अनुदान और अन्य भत्ते आदि सुविधाएं, जो एनएससी द्वारा तय की गई हों, प्राप्त होंगी।

8. आकस्मिक अनुदान

विदेश में रहने वाले अथवा सेवा करने वाले विदेशी अनुसंधान अध्येता और भारतीय अनुसंधान अध्येता को अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान एक बार नोडल संस्थान द्वारा देश से अपने निवास अथवा अपने निवास से देश तक इकोनॉमी श्रेणी का वापसी हवाई किराया दिया जाएगा/प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्कीम के तहत अध्येतावृत्ति लेने वाले सभी अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान 2.50 लाख रु. प्रतिवर्ष की सीमा तक रखे जाने वाले अनुसंधान सहायकों का शैक्षिक यात्रा करने के लिए आकस्मिक व्यय 'वास्तविकता' के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। आकस्मिक अनुदान के उचित मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण के लिए, नोडल संस्थान इस उद्देश्य के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर रखेगा।

9. अध्येतावृत्ति की अवधि

अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम दो वर्ष की होगी। आपवादिक मामलों में संस्थान, एनएससी को, इसके द्वारा दिए गए कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन द्वारा समर्थित होने पर एक और वर्ष तक विस्तार की अवधि के लिए या दो

वर्ष से कुछ कम की अवधि की सिफारिश कर सकता है। अध्येतावृत्ति कार्यभार ग्रहण की तारीख से दी गई मानी जाएगी और 'महीनों' व 'वर्षों' की गिनती तदनुसार की जाएगी।

10. चयन मापदंड

10.1 आवेदन

संस्कृति मंत्रालय अथवा संबंधित संस्थान अध्येतावृत्ति का व्यापक रूप से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्र जिनके पाठकों की संख्या अधिक हो और जिनकी वेबसाइट हो, जिसे पूरे विवरण देने चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों/फोरम के माध्यम से स्कीम का प्रचार भी करेगी ताकि स्कीम का अधिकाधिक प्रचार हो। ऐसे पात्र उम्मीदवार वर्ष के दौरान सीधे संबंधित संस्थान/नोडल संस्थान को आवेदन कर सकते हैं जो भागीदार किसी भी संस्थान के संसाधनों पर आधारित कोई परियोजना पूरा करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय निकाल सकें। उम्मीदवार किसी सादे कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके साथ जीवन–वृत्त, प्रकाशनों की सूची, उस कार्य के एक पृष्ठ के सार–संक्षेप, जिस पर वह कार्य करना चाहता है/चाहती है, सहित अन्य दस्तावेज तथा दो संस्तुतकर्त्ताओं के सम्पर्क सूत्रों सहित उनके नाम संलग्न किए जाएंगे। आवेदक को इस आशय का उल्लेख करते हुए एक घोषणा पत्र संलग्न करनी चाहिए कि यदि अध्येतावृत्ति के लिए उसका चयन होता है तो वह अध्येतावृत्ति का कार्यकाल पूरा करेगा/करेगी।

10.2 चयन

उपर्युक्त पद्धति से प्राप्त आवेदनों की जांच इस प्रयोजनार्थ गठित संस्थान स्तरीय खोज–सह–चयन जांच समिति (आईएलएसएससी) (जिसका विस्तृत उल्लेख पैरा 11 में किया गया है) द्वारा की जाएगी, और विचार किए जाने योग्य पाए गए आवेदनों की उक्त समिति द्वारा लघु सूची तैयार की जाएगी और राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) को इसकी सिफारिश की जाएगी। ऐसे सर्वोत्कृष्ट वरिष्ठ विद्वानों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिनकी इस स्कीम से संगतता के अनुसार विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सुविज्ञात प्रतिष्ठा हो।

10.3 खोज व निमन्त्रण

तथापि, उम्मीदवारों का चयन ऐसे उम्मीदवारों तक सीमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है जो विज्ञापन के जरिए आवेदन करते हैं। संबंधित संस्थान को स्वतः ऐसे प्रख्यात विद्वानों के नाम पर विचार करने की छूट होगी जो संस्थान और आईएलएसएससी के सदस्यों के विचार से इस क्षेत्र से संबंधित विषय में सुविज्ञ हों तथा यह कि संस्थान को उन्हें एनएससी को सिफारिश हेतु उक्त विद्वानों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए आमंत्रित करने की स्वतंत्रता होगी। अंतिम निर्णय एनएससी का होगा जो संबंधित संस्थान के परामर्श से किसी भी प्रख्यात विद्वान को अध्येता (लेकिन केवल संस्कृति मंत्रालय के अधीन किसी संस्थान के लिए) बनने के लिए आमंत्रित भी कर सकती है। संबंधित संस्थान के न्यासी बोर्ड/शासी निकाय तथा राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) के बीच उत्पन्न मतांतर की स्थिति में मामले को संस्कृति मंत्रालय के स्तर पर निपटाया जाएगा।

11. चयन की प्रक्रिया

11.1 प्रत्येक संस्थान द्वारा संस्थान स्तरीय खोज–सह–चयन जांच समिति (आईएलएसएससी) गठित की जाएगी। संबंधित संस्थान का निदेशक आईएलएसएससी का संयोजक होगा तथा इसमें कम से कम तीन शिक्षाविद् या

सांस्कृतिक विशेषज्ञ और अधिकतम दो अधिकारी होंगे। एक ही स्टेशन पर संस्थान या सम्बद्ध संस्थान में अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि आईएलएसएससी में मनोनीत दो में से कम से कम एक अधिकारी व्यवसायी/विषय विशेषज्ञ हो। स्वायत्त संस्थान के मामले में आईएलएसएससी का गठन, संस्थान द्वारा उसके शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा। तथापि, यदि शासी निकाय/न्यासी बोर्ड की कोई बैठक नहीं होती है या उनका अनुमोदन लेना संभव न हो तो, अध्यक्ष के अनुमोदन से आईएलएसएससी का गठन किया जा सकता है और इसे जब भी आगे शासी निकाय/न्यासी बोर्ड की बैठक हो उसकी अभिपुष्टि के लिए उसके समक्ष रखा जा सकता है। सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से यह आशा होगी कि वे जहां तक संभव हो आईएलएसएससी का गठन उनके सलाहकार बोर्डों/समितियों के सदस्यों में से करेंगे और इसके लिए संबंधित प्रशासनिक प्रभाग में संस्कृति मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

11.2 चयन, अध्ययन की प्रासंगिकता व नोडल संस्थान के लिए इसकी अपेक्षा तथा साथ ही संबंधित विद्वान की ख्याति व प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाएगा। केवल ऐसे प्रस्तावों का चयन किए जाएं जो (क) ऐसे विद्वानों की सेवाएं लेने, जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो और राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सर्किल में जिनके कार्य की प्रामाणिक रूप से सराहना की गई हो। (ख) ऐसे संसाधनों को प्रकाशित करने जिनका सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह उपयोग न किया गया हो; से संबंधित हो और जिनसे (ग) ऐसे प्रकाशन मिले जो संबंधित संस्थान के लिए लाभप्रद हों। यह प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी।

11.3 प्रथम चरण में, खोज–सह–जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में व्यापक रूप से विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार आईएलएसएससी द्वारा परियोजनाओं तथा उम्मीदवारों की लघु सूची तैयार किया जाना शामिल हो सकता है। प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, आईएलएसएससी से आशा है कि वह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी तथा संगत परियोजनाओं की पहचान करेगी, इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वानों की खोज करेगी, ऐसे विद्वानों से सम्पर्क करेगी तथा उन्हें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि विचार किए जाने के योग्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो आईएलएसएससी को मजबूरन ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है जो वांछित स्तर के नहीं हैं या एनएससी द्वारा विचार किए जाने के लिए अप्रासंगिक हैं। समुचित क्षेत्रों/शोध परियोजनाओं का पता लगाना तथा ऐसे उपयुक्त विद्वानों की खोज करना आईएलएसएससी के अधिदेश का भाग होगा जो उन शोध परियोजनाओं को करने के योग्य हों। आईएलएसएससी अपने सदस्यों की निजी जानकारी के आधार पर ऐसा कर सकती है और/या संबंधित संस्थान के शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के सदस्यों तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों सहित इस क्षेत्र में अन्य ज्ञानवान/प्रख्यात व्यक्तियों की सलाह ले सकती है। आईएलएसएससी की प्रक्रिया अपनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं तथा अध्येताओं के चयन में उच्चतम मानकों का पालन किया गया है और यह कि स्कीम की ब्राण्ड इक्विटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। जबकि आईएलएसएससी के शैक्षिक सदस्यों को स्वयं अयोग्य नहीं माना जाएगा, यदि वे स्कीम के तहत कोई परियोजना करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, फिर भी आईएलएसएससी को यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी प्रस्तावित परियोजना की सिफारिश नहीं की गई है जो संबंधित संस्थान के शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा किए जाने का प्रस्ताव हो, जिससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा होती है। आईएलएसएससी के सदस्य से संबंधित प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर बैठक में तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवार सदस्य उपस्थित न हो। अतः उम्मीदवार सदस्य को आईएलएसएससी की उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिसमें उसका स्वयं के नाम पर विचार किया जाना हो; और यदि उसे अध्येतावृत्ति दी जाती है तो आईएलएसएससी

से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तथापि, संस्कृति मंत्रालय को इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना के समाप्त होने के बाद उसे आईएलएसएससी के सदस्य के रूप में पुनः शामिल करने की छूट होगी।

11.4 द्वितीय चरण में, एनएससी द्वारा प्रत्येक संस्थान के संबंध में लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों के आवेदनों/नामों पर विचार किया जाएगा। सचिव (संस्कृति) एनएससी के संयोजक तथा संस्थान का निदेशक या प्रमुख उसका पदेन सदस्य होंगे। एनएससी के अन्य सदस्य प्रतिष्ठित विद्वान या कलाकार, या ऐसे विशेषज्ञ होंगे जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाए। एनएससी अध्येताओं के चयन व अध्येतावृत्तियों के संचालन की निगरानी करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। एनएससी का पुनर्गठन किया जा सकता है और वह विभिन्न भागों में कार्य कर सकती है तथा एनएससी का प्रत्येक भाग संस्थानों के समूह विशेष के प्रस्तावों को देखेगा। तथापि, यदि एक समूह में श्रेणीबद्ध किसी संस्थान का प्रस्ताव ज्यादातर उन परियोजनाओं के स्वरूप का है जिस पर एनएससी के अन्य भागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी परियोजनाओं को एनएससी के ऐसे अन्य भाग को सौंपा जा सकता है। आईएलएसएससी के मामले में एनएससी के सदस्य ऐसे क्षेत्रों का सुझाव भी दे सकते हैं जिनका संस्थान विशेष में अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और ऐसे विद्वानों के नामों का प्रस्ताव कर सकते हैं जो उन क्षेत्रों में परियोजना के साथ न्याय करने के योग्य हों। प्रख्यात विद्वानों का समूह छोटा होने से शायद स्कीम के तहत एनएससी (या आईएलएसएससी) के सदस्यों के इसके दायरे से बाहर रखना संभव न हो। तथापि, एनएससी से संबंधित किसी भी सदस्य के प्रस्तावों, यदि कोई हो, पर तभी विचार किया जाएगा, जब उम्मीदवार सदस्य उपस्थित न हो। वास्तव में ऐसे उम्मीदवार सदस्य को एनएससी की उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसमें उसके अपने नाम पर विचार किया जाना हो और यदि उसे अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है तो एनएससी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तथापि, संस्कृति मंत्रालय को इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना के समाप्त होने के बाद उसे आईएलएसएससी के सदस्य के रूप में पुनः शामिल करने की छूट होगी।

12. स्कीम का प्रशासन

प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रबंधित अध्येतावृत्ति की संख्या, भाग लेने वाली संस्थाओं के परामर्श से समय–समय पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा तय की जाएगी। यह, संस्था में पहले ही विद्यमान भौतिक सुविधाओं, अध्येता की योग्यताओं को भरपूर लाभ उठाने के लिए उन्हें गाइड और प्रेरित करने की संस्थान की क्षमता, प्रकाशन तथा अनुसंधान में इसके पिछले रिकार्ड के विशेष क्षेत्र आदि में अनुसंधान/अध्ययन की आवश्यकता जैसे कतिपय मानदंडों पर आधारित होगी। कुल आबंटन की 2 प्रतिशत की राशि, स्कीम के संचालन से संबंधित खर्चों को वहन करने के लिए अलग से रखी जाए तथा इसमें आउटसोर्सिंग अथवा परामर्श के माध्यम से अध्येता द्वारा पूरे किए गए अनुसंधान कार्य की निगरानी, क्रियान्वयन, निरीक्षण, पुनरीक्षा आदि शामिल है।

13. अध्येतावृत्ति राशि जारी करना

अध्येतावृत्ति की राशि नोडल संस्थान द्वारा प्रत्येक अध्येता को मासिक आधार पर जारी की जाए। सभी अध्येता, नोडल संस्थान को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। अध्येता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोडल संस्थान को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इन्हें इन पर टिप्पणियों के साथ नोडल संस्थान द्वारा एनएससी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि अध्येता द्वारा प्रस्तुत की गई छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलता है कि किया गया कार्य असंतोषजनक है और यदि एनएससी की यह राय हो कि आगे के अनुदान

बन्द अथवा कम कर दिये जाएं, तो तदनुसार नोडल संस्थान को अनुदेश दिया जाएगा। वैसे अध्येता को निधि प्रवाह निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए।

14. अध्येताओं को सहायता

14.1 नोडल संस्थान द्वारा अध्येताओं को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना शोध कार्य कर सकें। इसमें पेरिफिरल व संयोजकता युक्त कम्प्यूटर तथा संस्थान की सुविधाओं में कार्य स्थल प्रदान करना शामिल होगा, ताकि शोध करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था, पुस्तकालय सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इन अध्येतावृत्तियों का एक महत्वपूर्ण लाभ अध्येताओं को अध्ययन व शोध सामग्री के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में सुगम्यता होगी। इस स्कीम के तहत रखे गए विदेशी अध्येताओं के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनिवार्य राजनीतिक/सुरक्षा निकासी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाएगी। संबंधित संस्थाओं के प्रमुख संस्थान में कार्यरत सभी अध्येताओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। संस्कृति मंत्रालय में इस स्कीम के प्रभारी निदेशक/उप सचिव, स्कीम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

14.2 प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है ताकि अध्येता, संबंधित संस्थान या अन्य सम्बद्ध संस्थानों और संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें, जिसकी पूर्ति ''वास्तविक आंकड़ों'' के आधार पर प्रतिवर्ष अधिकतम 1.00 लाख रु. तक की पूर्ति की जाएगी/उसका भुगतान किया जाएगा बशर्ते कि पर्याप्त शैक्षिक पारस्परिकता की व्यवस्था की गई हो।

15. आवास

कोई अध्येता अपने वेतन, जिसमें ग्रेड वेतन अथवा दिया गया मानदेय शामिल है, किराया की रसीद प्रस्तुत करने पर 30 प्रतिशत तक आवास भत्ते का पात्र होगा।

16. अन्यत्र व्यवस्था भत्ता

बाहर के एक अध्येता को एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान उसके रहने के पुराने स्टेशन से नये स्टेशन तक उसके व्यक्तिगत सामान की पैकिंग तथा परिवहन के लिए व्यवस्था भत्ता के रूप में दिए जाएंगे, यदि वह स्टेशन छोड़ता है अथवा अन्यथा, किताबों, शैक्षिक वस्तुओं को ले जाता है। स्टेशन छोड़ने के लिए भत्ते के बराबर की राशि अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर दी जाएगी। अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर और कार्यभार ग्रहण करने पर मामला–दर–मामला–आधार पर अपने स्थान/आवासीय देश से इकॉनॉमी हवाई यात्रा किराया प्रदान किया जाएगा/उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17. प्रकाशन

किसी अध्येता के लिए अपेक्षित होगा :–

(क) अध्येतावृत्ति के अन्तर्गत अपने अनुसंधान के विषय पर प्रतिवर्ष एक सार्वजनिक व्याख्यान देना।

(ख) अपनी अवधि की समाप्ति पर, अध्येता को अध्येतावृत्ति के अधीन पूरे किए गए कार्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्राप्त की गई और प्रत्याशित आउटपुट निर्दिष्ट की जाएगी। वह एनएससी को प्रस्तुत अनुसंधान के निष्कर्ष पर एक प्रस्तुति भी देगा।

(ग) नोडल संस्थान परियोजना के पूरी होने पर प्रत्येक अध्येता के अनुसंधान के कार्य को प्रकाशित करेगा। अध्येतावृत्ति दिए जाने के फलस्वरूप अनुसंधान कार्य के अधिकारों का स्वामित्व नोडल संस्थान का होगा। बशर्ते कि एन एस सी लिखित में दिये जाने वाले न्यायोचित कारणों से कोई अन्य व्यवस्था की अनुमति न दे। कॉपीराइट के मामले पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था के सहयोग से अध्येता के कार्य से हुई शैक्षिक आउटपुट को इंटरनेट/वेब प्रकाशन के माध्यम से सार्वजनिक भी बनाया जाएगा।

(घ) यदि नोडल संस्थान प्रकाशन नहीं करता है या सह–प्रकाशन प्रबंध नहीं करता है और अध्येतावृत्ति के पूरा होने के बाद एक वर्ष के भीतर पुस्तक के वास्तविक मुद्रण के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है तो अध्येता को उस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय के सहयोग का विधिवत् रूप से आभार प्रकट करते हुए तथा नोडल संस्थान के अधिकारों को स्वीकार करते हुए निजी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ङ) परियोजना के सह–प्रकाशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अध्येता ऐसे किसी निजी प्रकाशकों की व्यवस्था भी कर सकता है जो नोडल संस्थान के साथ कार्य को सह–प्रकाशित करने पर सहमत हो और इसे परियोजना के पूरा होने के एक वर्ष के भीतर उसे ऐसे प्रकाशन के लिए स्वीकार करे। प्रकाशन में प्रतिष्ठित नामों के साथ सहयोगों का स्वागत किया जाएगा।

(च) परियोजना की भाषा, परियोजना के स्वरूप तथा/या अध्येता के भाषा कौशल द्वारा निर्धारित किए जाने की अनुमति होगी। जहां कोई परियोजना अंग्रेजी भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में की जाती है तो नोडल संस्थान, अनुवाद तथा अनूदित कृति के प्रकाशन की व्यवस्था भी करेगा।

18. टैगोर शोध अध्येताओं के रूप में अध्येताओं की नियुक्ति शर्तों में शिथिलता

18.1 यदि आईएलएसएससी या एनएससी का यह मत हो कि :

(क) अध्येता इतनी प्रतिष्ठा का व्यक्ति नहीं है कि उसे टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जाए, परन्तु उसका स्तर उत्कृष्ठ है और वह ऐसे कतिपय विषय पर काम करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त है जिसे संबंधित संस्थान सर्वाधिक उपयोगी समझे, चाहे वह मूल शोध हो, संस्थान में उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उनका सूची पंजीकरण या ऐसे नए संसाधनों के अभिलेख तैयार करने या उनके सृजन से संबंधित हो, जो संस्थान के पास होने चाहिए; या

(ख) परियोजना दो वर्ष से कम अवधि की है, तो वे अध्येता को, परियोजना के लिए 3 माह से 2 वर्षों के बीच किसी यथा पर्याप्त अवधि के लिए 50,000/– रुपए (कुल) तक के कम मानदेय पर अध्येता की सेवा लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। तथापि, यदि ऐसा अध्येता भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान या सरकारी तन्त्र से है तो वह ग्रेड वेतन आदि सहित उसी वेतन का हकदार होगा जो उसे अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए मिलता। नियोक्ता के भविष्य निधि में मूल या अनिवार्य अंशदान आदि का भी नोडल संस्थान द्वारा उतना भुगतान भी किया जाएगा जो नियोक्ता द्वारा अध्येता के अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए अदा किया जाता। ऐसे सभी अध्येताओं को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अधिकतम 10000/– रु. प्रतिमाह तक आकस्मिक अनुदान तथा इस स्कीम में प्रावधानशुदा अन्य भत्तों/लाभों का उस सीमा तक परियोजना के स्वरूप व अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा जो प्रत्येक मामले में आईएलएसएससी/एनएससी द्वारा विशेष रूप से निर्धारित किया जाए (टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं के मामले में लागू सीमाओं के भीतर)।

18.2 इन अध्येताओं तथा टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं में अन्तर रखने के लिए उन्हें टैगोर शोध अध्येता कहा जाएगा, परन्तु उनके यथा लागू वही सभी दायित्व होंगे जो स्कीम के तहत टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं को सौंपे गए हैं।

18.3 टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं की भांति, टैगोर शोध शिक्षावृत्तियों के मामलों (तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें) की सिफारिश अधिमानतः आईएलएसएससी (अभूतपूर्व मामलों में एनएससी पैरा 10.3 के अनुसार चुन सकती है और संबंधित संस्थान की सहमति का सुझाव दे सकती है) द्वारा की जा सकती है और अन्ततः इसका निर्णय एनएससी द्वारा किया जा सकता है जबकि छह माह से अधिक की अवधि की परियोजनाओं वाले टैगोर शोध अध्येताओं के मामले में छमाही/अंतिम रिपोर्टों की समीक्षा एनएससी द्वारा की जाएगी, 6 माह या इससे कम अवधि की परियोजनाओं के मामले में ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा अपने स्तर पर आईएलएसएससी द्वारा की जा सकती है।

18.4 ऐसे उम्मीदवारों के अलावा जो टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करते हैं परन्तु उन्हें टैगोर शोध शिक्षावृत्ति की पेशकश की जाती है तो अन्य उम्मीदवारों को उसी पद्धति से सीधे टैगोर शोध शिक्षावृत्ति का आवेदन करने की छूट होगी, जैसाकि टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के पैरा 10.1 में निर्धारित किया गया है।

18.5 ऐसे टैगोर शोध अध्येताओं की कुल संख्या, जिन्हें एक वर्ष में चुना जाना है तथा उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्कीम बजट से भुगतान किया जाना है, की संख्या किसी भी वर्ष में 25 से अधिक नहीं होगी।

19. पुनः आवेदन करना

एक बार टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने पर उम्मीदवार, उसी या इस स्कीम के तहत शामिल अन्य किसी संस्थान में इस स्कीम के तहत अध्येतावृत्ति/शिक्षावृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता परन्तु यह प्रतिबंध टैगोर शोध–छात्रों पर लागू नहीं होगा।

आवेदन की एक प्रति निदेशक, एस एंड एफ प्रभाग, संस्कृति मंत्रालय, कमरा सं0 318, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110115 को भेजी जाए।

"टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति स्कीम" के अंतर्गत अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए अनुदेश

1. आवेदक को, जीवन–वृत्त, प्रकाशनों की सूची, एक पृष्ठ का विषय सार, जिसे वह करना चाहता/चाहती है, सहित संबंधित दस्तावेज तथा संपर्क सूत्रों सहित दो संदर्भ दाताओं के नाम के साथ सादे कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को इस आशय का एक घोषणा–पत्र भी संलग्न करना होगा कि यदि उसका अध्येतावृत्ति के लिए चयन किया जाता है तो वह अध्येतावृत्ति की अवधि पूरा करेगा/करेगी।

2. सभी आवेदन/परियोजना प्रस्ताव उन निदेशकों/37 सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुखों को भेजे जाने चाहिए जहाँ से शोधार्थी परियोजना के लिए प्रस्ताव करता/करती है। आवेदन भेजे जाने वाले पते की सूची निम्नलिखित है :–

1. महानिदेशक,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
जनपथ, नई दिल्ली।

2. निदेशक,
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय,
जयपुर हाऊस, नई दिल्ली।

3. निदेशक,
भारतीय संग्रहालय,
27, जवाहरलाल नेहरू रोड,
कोलकाता – 700016

4. महानिदेशक,
राष्ट्रीय संग्रहालय,
जनपथ, नई दिल्ली।

5. निदेशक,
सालारजंग संग्रहालय,
हैदराबाद – 500002

6. निदेशक,
इलाहाबाद संग्रहालय,
चन्द्रशेखर पार्क,
इलाहाबाद (उ.प्र.)।

7. सचिव,
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल,
1, क्वीन्स वे, कोलकाता – 700071

8. सचिव,
ललित कला अकादमी,
रबीन्द्र भवन, 35, फ़िरोजशाह रोड,
नई दिल्ली – 110001

9. निदेशक,
राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला,
सेक्टर– ई/3, अलीगंज स्कीम,
लखनऊ – 226024 (उ.प्र.)

10. निदेशक,
छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय,
159, एम. जी. रोड, मुम्बई– 22844519

11. सचिव,
गांधी संग्रहालय,
उत्तर–पश्चिम गांधी मैदान,
अशोक राजपथ, पटना– 800001.

12. निदेशक,
राजकीय संग्रहालय एवं कला वीथि,
सेक्टर 10 'सी', चंडीगढ़ – 160011.

13. महानिदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली।

14. निदेशक,
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
बेलवेडियर, कोलकाता – 700027

15. विशेष कार्याधिकारी,
रामपुर रज़ा पुस्तकालय,
जिला, रामपुर, उत्तर प्रदेश – 244901

16. निदेशक,
    खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी,
    पटना – 800008

17. निदेशक,
    राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
    सेक्टर – 1, ब्लॉक डीडी/34,
    साल्ट लेक, कोलकाता – 700064

18. निदेशक,
    गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति,
    5, तीस जनवरी, मार्ग,
    नई दिल्ली।

19. महासचिव,
    एशियाटिक सोसायटी,
    टाउन हॉल, शहीद भगतसिंह मार्ग, किला,
    मुम्बई – 400023.

20. निदेशक,
    ए. पी. राज्य अभिलेखागार एवं अनुसंधान संस्थान,
    तारनका, हैदराबाद –7

21. निदेशक,
    तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय,
    तंजावुर – 613009
    तमिलनाडु –।

22. मानद सचिव,
    भंडारकार ओरियंटल अनुसंधान संस्थान,
    812, शिवाजी नगर, लॉ कॉलेज रोड,
    पुणे – 411004

23. निदेशक,
    भारतीय मानव–विज्ञान सर्वेक्षण,
    27, जवाहरलाल नेहरू रोड,
    कोलकाता – 700016.

24. निदेशक,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,
पोस्ट बॉक्स नं0 – 2,
शामला हिल्स, भोपाल – 46201

25. सदस्य सचिव,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र,
सेन्ट्रल विस्टा मेस,
जनपथ, नई दिल्ली।

26. निदेशक,
उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
विरसा विहार केन्द्र,
भाषा भवन के नजदीक,
शेरांवाला गेट,
पटियाला, पंजाब –147001

27. निदेशक,
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी एस पी सिंह मार्ग,
इलाहाबाद – 211001

28. निदेशक,
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
आई बी–201, साल्ट लेक सिटी,
कोलकाता – 700106

29. निदेशक,
उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
पोस्ट बॉक्स नं. 98,
दीमापुर – 797112
नागालैंड

30. निदेशक,
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
बागोर की हवेली, गणगौर घाट,
उदयपुर – 313001, राजस्थान.

31. निदेशक,
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
56/1, सिविल लाइन्स,
एम एल ए हॉस्टल के सामने,
नागपुर – 440001, महाराष्ट्र।

32. निदेशक,
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
मेडिकल कॉलेज रोड,
तंजावुर – 613004, तमिलनाडु।

33. सचिव,
संगीत नाटक अकादमी,
रबीन्द्र भवन, 35, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली – 110001

34. निदेशक,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय,
बहावलपुर हाउस, 1, भगवानदास रोड,
नई दिल्ली – 110001

35. निदेशक,
कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान,
तिरूमनमियूर, चेन्नई – 600041.

36. सचिव,
साहित्य अकादमी,
रबीन्द्र भवन, 35, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली –110001

37. संकायाध्यक्ष,
कला एवं सौंदर्यशास्त्र विद्यालय,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई महरौली रोड,
नई दिल्ली – 110067

3. आवेदन की एक प्रति निदेशक, एस. एंड एफ. प्रभाग, संस्कृति मंत्रालय, कमरा सं0 318, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110115 को भेजी जाए।

12

साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता

1. स्कीम

उक्त स्कीम को साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम के रूप में जाना जाएगा। स्कीम के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा :

(i) वर्ष 1961 की स्कीम के अधीन विद्यमान लाभार्थी।

(ii) लेखकों, कलाकारों आदि के नये मामले, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुदान के लिए पात्र हैं।

2. पात्रता

(i) उक्त स्कीम के अधीन सहायता हेतु पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति का कला और साहित्य आदि में महत्त्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। परंपरागत विद्वान, जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है, भी पात्र होंगे, चाहे उनकी कोई कृति प्रकाशित न भी हुई हो।

(ii) आवेदक की निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) 4000/– रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) आवेदक की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (आश्रितों के मामले में यह लागू नहीं है)।

3. आवेदन–पत्र निर्धारित फार्म में भरा जाए तथा इसे संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजा जाए। केन्द्रीय कोटा से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सीधे भी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय समय–समय पर आवश्यक समझे जाने पर आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है।

4. सहायता का स्वरूप

सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में हो सकती है। केन्द्र और राज्य कोटे के अधीन अनुशंसित कलाकारों को दिया गया ऐसा भत्ता केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आपस में बांटा जाएगा, जिसमें से सम्बधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 500 रु. प्रति माह भत्ता देगा। ऐसे मामलों में प्रति लाभार्थी को केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला मासिक भत्ता 3500/– रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा और केन्द्रीय कोटा के अधीन संस्तुत मामलों में सहायता की राशि प्रतिलाभार्थी 4000/– रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

5. आवेदकों का चयन

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुशंसाओं, आवेदक के वित्तीय साधनों और प्रसिद्धि के आलोक में, केन्द्र राज्य कोटे के तहत दी जाने वाली सहायता की मात्रा और सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित 'विशेषज्ञ समिति' द्वारा निधियों की उपलब्धता होने पर, तय की जाएगी।

(ii) ''केन्द्रीय कोटा'' से दी जाने वाली सहायता की राशि और सहायता प्राप्तकर्ताओं की संख्या का निर्णय आवेदक की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के बाद विशेषज्ञ समिति' की अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों को अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के समक्ष अवश्य रखा जाएगा।

6. संवितरण

केन्द्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोटा : अंतिम रूप से चयन हो जाने पर, केन्द्र सरकार संस्वीकृतियाँ जारी करती है और सहायता प्राप्तकर्ताओं को सहायता की अपनी शेयर राशि जारी करती है तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता का अपना शेयर जारी करने की भी सलाह देती है।

केन्द्रीय कोटा : केन्द्रीय कोटे के मामलों में, केन्द्र सरकार संस्वीकृति जारी करेगी और सहायता प्राप्तकर्ताओं को सीधे ही भुगतान करेगी।

7. नवीकरण

उपरोक्त उपबंधों के अध्यधीन, स्कीम के अधीन स्वीकृत आवर्ती मासिक भत्ता ऐसी अवधि के लिए होगा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाए और/अथवा जो जीवन और आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर जारी रखा जाए।

8. भत्ता बंद करना

(i) यदि भत्ता प्राप्तकर्ता की वित्तीय क्षमता 4000/– रुपए प्रतिमाह से अधिक हो जाती है तो उक्त स्कीम के अधीन भत्ते को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) सरकार, अपने विवेक से, भत्ता प्राप्तकर्ता को तीन महीने का नोटिस देकर, भत्ते को समाप्त भी कर सकती है।

(iii) कोई भत्ता प्राप्तकर्ता, सरकार को लिखित नोटिस देकर भत्ते प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ भी सकता है। ऐसे मामलों में अधिकार छोड़ने के पत्र की तिथि से भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

9. प्राप्तकर्ता की मृत्यु की दशा में :

प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर आश्रितों की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने के बाद, केन्द्र सरकार के विवेक से उपरोक्त वित्तीय सहायता जारी रखी जा सकती है।

नोट : प्राप्तकर्ता की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता भुगतान का तरीका निम्नानुसार होगा :

पति/पत्नी के लिए	–	जीवन पर्यन्त
आश्रितों के लिए	–	विवाह अथवा रोजगार मिलने अथवा 21 वर्षों की आयु होने तक

चिकित्सा सहायता

संस्कृति मंत्रालय, अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे प्रसिद्ध कलाकारों के मामले में उन्हें प्रचलित दरों पर निर्धारित अवधि के लिए सहायता का अग्रिम भुगतान करके अस्पताल में भर्ती रहने की लागत के भुगतान पर विचार कर सकता है।

साहित्य, कला अथवा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम

आवेदन–पत्र

1.	पूरा नाम				
2.	वर्तमान पता				
3.	स्थायी आवासीय पता (फैक्स / ई–मेल पता, यदि कोई हो)				
4.	जन्म तिथि				
5.	वरिष्ठ नागरिक (Citizenship)				
6.	वर्तमान पेशा और सभी स्रोतों से आय				
7.	पति / पत्नी का रोजगार और आय का ब्यौरा				
8.	आवेदक पर पूर्णतः निर्भर व्यक्तियों की संख्या				
	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय / आय	
9.	स्वयं / अथवा आश्रितों के नाम अचल संपत्ति, यदि कोई हो				
10.	संस्कृति के क्षेत्र में किए गए योगदानों का विवरण (शीट संलग्न करें)				
11.	सरकार अथवा किसी प्रमुख साहित्यिक अथवा कला सोसायटी से प्राप्त पुरस्कार, सम्मान अथवा उपाधि का विवरण (संगत प्रमाण–पत्र संलग्न किए जाएं)				
12.	क्या आवेदक ने भारत सरकार / राज्य सरकार से कोई अन्य अनुदान अथवा पुरस्कार प्राप्त किया है और यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें				
13.	कोई अन्य संगत सूचना				
14.	बैंक खाते का ब्यौरा				
15.	संगत क्षेत्र अथवा विशेषज्ञ क्षेत्र से तीन व्यक्तियों के संदर्भ, जो आवेदक से सीधे तौर पर संबंधित न हों।				

तारीख :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　　　　)
स्थान :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले प्रमाण–पत्र

1) जीवन प्रमाण–पत्र (आयु 58 वर्ष और इससे अधिक) – परिशिष्ट– I

2) आय प्रमाण–पत्र (प्रतिमाह 4000/–रु0 या कम) – परिशिष्ट– II

3) सम्बंधित क्षेत्र से प्रमाण–पत्र

4) बैंक प्राधिकार प्रपत्र – परिशिष्ट– III

- अंग्रेजी या हिंदी में आयु और आय का प्रमाण पत्र जो किसी राजपत्रित अधिकारी/पार्षद/एमपी/एमएलए द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो।

परिशिष्ट–I

जीवन/आयु प्रमाण–पत्र

राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट/सांसद/विधायक/
काउंसलर या तहसीलदार द्वारा विधिवत
हस्ताक्षरित संस्कृति मंत्रालय को भेजे जाने हेतु

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री/श्रीमती/कुमारी** ——

(स्पष्ट अक्षरों में पिनकोड सहित डाक का पूरा पता) मेरे समक्ष आज उपस्थित हुए और वह आज की तिथि में जीवित हैं।

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर :
मोहर :

ध्यान दें: (i) प्रमाण–पत्र साफ–साफ भरा जाए।

(ii) संशोधित/काटी गई सामग्री/बीच में लिखी गई सामग्री को प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।

(iii) प्रमाण–पत्र पर सत्यापनकर्ता प्राधिकारी की मोहर होनी चाहिए, जिसमें उनका नाम, पदनाम, कार्यालय आदि स्पष्ट रूप से लिखा हो।

परिशिष्ट– II

आय प्रमाण–पत्र

राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट / सांसद /
विधायक / काउंसलर या तहसीलदार द्वारा
विधिवत हस्ताक्षरित संस्कृति मंत्रालय को भेजे जाने हेतु

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री / श्रीमती / कुमारी** ____
____
____

(स्पष्ट अक्षरों में पिन कोड सहित डाक का पूरा पता) की आज की तिथि में इनके पति / इनकी पत्नी की आय सहित विभिन्न स्रोतों से प्रतिमाह आय 4000 / –रु0 से अधिक नहीं है।

ऊपर उल्लिखित आय में, साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त सहायता शामिल नहीं है।

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर :
मोहर :

ध्यान दें :(i) प्रमाण–पत्र साफ–साफ भरा जाए।

(ii) संशोधित / काटी गई सामग्री / बीच में लिखी गई सामग्री को प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।

(iii) प्रमाण–पत्र पर सत्यापनकर्ता प्रधानाधिकारी का मोहर होनी चाहिए, जिसमें उनका नाम, पदनाम, कार्यालय आदि स्पष्ट रूप से लिखा हो।

13

स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदान

1. शीर्षक

यह स्कीम ''स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदान स्कीम'', के नाम से जानी जाएगी।

2. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य, स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों तथा सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को, कलाकारों के लिए समुचित रूप से सुसज्जित प्रशिक्षण, अभ्यास व कला प्रस्तुति स्थलों के सृजन में उनके प्रयासों में सहायता करना है।

3. पात्र परियोजनाएं

3.1 अनुदान, सांस्कृतिक स्थल सृजित करने के लिए परियोजनाओं को दिया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

3.1.1 मंच कलाओं हेतु पारम्परिक सांस्कृतिक स्थल :

क. प्रदर्शन स्थल जैसे ऑडिटोरियम, ओपन–एयर थिएटर, कन्सर्ट हॉल

ख. रंगमंच/संगीत/नृत्य हेतु अभ्यास हॉल

ग. रंगमंच/संगीत/नृत्य हेतु प्रशिक्षण केन्द्र/स्कूल

3.1.2 रूपान्तर स्थल अर्थात स्टूडियो थिएटर आदि :

आन्तरिक अभ्यास–सह–प्रदर्शन स्थल जिन्हें स्टूडियो थिएटर या प्रायोगिक थिएटर कहा गया है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं :–

क. लघु थिएटर जिसमें संगीत, नृत्य या रंगमंच या इन कलाओं की समग्र प्रस्तुति हेतु सभी अनिवार्य उपस्कर हों;

ख. अनौपचारिक स्थल जिसे पारंपरिक दृष्टि से ऑडिटोरियम नहीं कहा जा सकता, अतः सामान्यतया यह मंच या कला प्रस्तुति क्षेत्र न तो मुख्य रंगपीठ के अन्दर होता है और न ही इसे बहुत ऊंचाई पर बनाया जाता है या यह दर्शकों से दूर किसी भाग का विभाजन करके बनाया जाता है।

ग. दर्शकों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार पूरी तरह से परिवर्तनीय होती है कि इसे कला प्रस्तुति विशेष के कलात्मक उद्देश्य के अनुसार स्थल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, अतः सीटों/कुर्सियों को एक जगह स्थिर नहीं किया जाएगा।

घ. स्थल की सामान्य क्षमता अधिकतम 100 से 200 सीट की होती है, अतः ऐसे स्थल को प्रायः ''लघु थिएटर'' या ''आन्तरिक थिएटर'' कहा जा सकता है क्योंकि इसमें दर्शक, कला प्रस्तुति का नजदीक से पूरा आनंद उठा सकते हैं।

ङ. कलाकारों के लिए प्रसाधन सुविधा सहित साथ लगे एक या दो नेपथ्यशाला, श्रृंगार कक्ष और भण्डार क्षेत्र; अतः समूची यूनिट छोटी होती है परन्तु यह पूरी तरह थिएटर का काम करती है।

3.2 ऑडिटोरियम, स्टूडियो थिएटर या अन्य सांस्कृतिक स्थल (स्थलों) सृजित करने संबंधी परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित घटकों का कोई भी समुचित मिश्रण शामिल हो सकता है :–

क. नया निर्माण या निर्मित स्थल की खरीद

ख. मौजूदा भवन / स्थल / सुविधा केन्द्र का नवीकरण / उन्नयन / आधुनिकीकरण / विस्तार / फेरबदल

ग. मौजूदा निर्मित स्थल / सांस्कृतिक केन्द्र के आंतरिक भागों की रिमॉडलिंग

घ. विद्युत, वातानुकूलन, ध्वनि तंत्र, प्रकाश व ध्वनि प्रणाली तथा उपस्करों की अन्य मदें जैसे– वाद्य यंत्र, परिधान, ऑडियो / वीडियो उपस्कर, फर्नीचर तथा स्टूडियो थिएटर के लिए अपेक्षित मंच सामग्री, ऑडिटोरियम, अभ्यास कक्ष, कक्षा कमरे आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था।

4. पात्र संगठन

4.1 इस स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने वाले सभी गैर–लाभकारी संगठन :–

क. कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक रूप से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारत विद्या–शास्त्र तथा साहित्य के क्षेत्र में कला व संस्कृति के संवर्धन में कार्यरत संगठन का स्वरूप मुख्यतः सांस्कृतिक कार्यकलाप का होना चाहिए।

ख. संगठन कम से कम तीन वर्ष से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) अथवा सदृश अधिनियम के तहत सोसायटी अथवा न्यास अथवा गैर–लाभकारी कम्पनी के रूप में पंजीकृत हो।

ग. संगठन की अपनी प्रतिष्ठा हो तथा अपने कार्यकलाप के क्षेत्र में सार्थक कार्य करने की उसकी ख्याति हो और उसने स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हो।

घ. यह घोषणा पत्र, भारतीय कला व संस्कृति के परिरक्षण, प्रसार व संवर्धन के प्रति समर्पित हो।

(ii) मंच कलाओं के संवर्धन में कार्यरत सरकारी प्रायोजित निकाय।

(iii) मंच कलाओं के प्रति समर्पित विश्वविद्यालय विभाग या केन्द्र।

(iv) मंच कलाओं के संवर्धन हेतु स्थापित कॉलेज।

4.2 मंत्रालय की ''विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजनाओं हेतु कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता'' की स्कीम के तहत कम से कम 3 वर्ष से वेतन अनुदान प्राप्त करते आ रहे संगठन को यह माना जाएगा कि उसने उपर्युक्त सभी शर्तें पूरी कर दी हैं।

4.3 मंच कलाओं को समर्पित, सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय विभाग/केन्द्र या कॉलेज भी स्वतः पात्र हो सकता है बशर्ते कि गत तीन वर्षों का उसका रिकार्ड संतोषजनक हो।

4.4 धार्मिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय विभाग, जो मंच कलाओं तथा संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से समर्पित नहीं है, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/स्थानीय निकायों के विभाग या कार्यालय पात्र नहीं होंगे।

4.5 वह संगठन जिसने पूर्व की ''सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान स्कीम'' या इस स्कीम के तहत अपनी भवन परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त किया हो, इस स्कीम के तहत पूर्व में मंजूर परियोजना के पूरा होने से पहले दूसरे अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि उक्त दूसरा अनुदान स्टूडियो थिएटर (अथवा प्रायोगिक थिएटर) के लिए न मांगा गया हो और आवेदक संगठन ने चल रही स्वीकृत परियोजना के संबंध में चूक न की हो।

5. सहायता की किस्म व सीमा

5.1 इस स्कीम के तहत सभी अनुदान गैर–आवर्ती किस्म के होंगे। आवर्ती व्यय, यदि कोई हो, की जिम्मेदारी अनुदानग्राही संगठन की होगी।

5.2 इस स्कीम के तहत अधिकतम सहायता इस प्रकार होगी :

शहर	परियोजना की किस्म	सहायता की सीमा
• बेंगलूरू • चेन्नई • दिल्ली • हैदराबाद • कोलकाता • मुम्बई	निर्मित स्थल के नए निर्माण अथवा खरीद सहित सभी परियोजनाएं सभी अन्य परियोजनाएं	50 लाख रु 25 लाख रु.
अन्य सभी गैर महानगर, कस्बे या स्थान	सभी परियोजनाए	25 लाख रु.

5.3 इस स्कीम के तहत किसी संगठन को उपर्युक्त सीमा के अध्यधीन परियोजना की अनुमोदित प्राक्कलित लागत के अधिकतम 60 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी। परियोजना की अनुमोदित प्राक्कलित लागत की शेष राशि, इसकी 'बराबर की हिस्सेदारी' के रूप में संबंधित संगठन द्वारा वहन की जाएगी।

उदाहरण :–

महानगरीय शहरों में नए निर्माण/निर्मित स्थल की खरीद सहित सभी परियोजनाओं हेतु

मामला : 1

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 100 लाख रु. है तो संस्वीकृत योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 50 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 50 लाख रु. होगी।

मामला : 2

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 70 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 42 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 28 लाख रु. होगी।

गैर–महानगरीय षहरों में नए निर्माण/निर्मित स्थल की खरीद संबंधी परियोजनाओं तथा 3.2 (ख, ग तथा घ) के तहत सभी परियोजनाओं हेतु

मामला : 3

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 60 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 25 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 35 लाख रु. होगी।

मामला : 4

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 40 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राशि 24 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 16 लाख रु. होगी।

5.4 भूमि की लागत (प्राप्तकर्त्ता संगठन द्वारा अदा की गई वास्तविक धनराशि, न कि बाजार मूल्य) तथा संगठन द्वारा वहन किए गए विकास प्रभार को बराबर हिस्सेदारी के रूप में माना जाएगा।

5.5 संगठन द्वारा आवेदन की तारीख के एक वर्ष के भीतर निर्माण/भूमि व भवन के विकास तथा जुड़नारों व फिटिंग पर पहले से किए गए व्यय को भी बराबर हिस्सेदारी की राशि माना जाएगा। संगठन इस संबंध में किए गए व्यय का सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित लेखा–जोखा प्रस्तुत करेगा।

5.6 यदि बाद में परियोजना की लागत बढ़ जाती है तो भारत सरकार की देयता मूलतः स्वीकृत राशि तक सीमित होगी और अतिरिक्त सम्पूर्ण व्यय, अनुदानग्राही संगठन द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

5.7 परियोजना प्रस्ताव पर विचार किए जाने तथा कतिपय राशि के लिए उसे अनुमोदित किए जाने पर सामान्यतया परियोजना की समीक्षा और उसकी लागत बढ़ाने के लिए बाद में किसी भी अनुवर्ती अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.8 वित्तीय सहायता की मंजूरी की वैधता, प्रथम किस्त जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी और सभी परियोजनाएं 3 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य हैं।

6. आवेदन की प्रक्रिया

6.1 संस्कृति मंत्रालय अपनी वेबसाइट (www.indiaculture.nic.in) के जरिए यह स्कीम अधिसूचित करेगा।

6.2 संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्कीम के प्रचार–प्रसार हेतु वर्ष में कम से कम एक बार संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा।

6.3 निर्धारित प्रपत्र में आवेदन केवल संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा जब तक कि मंत्रालय की ओर से आवेदन प्राप्त करने/स्कीम कार्यान्वित करने के लिए इसके द्वारा किसी अन्य संगठन या एजेंसी को मनोनीत या प्राधिकृत न किया गया हो।

6.4 आवेदन के साथ नीचे खण्ड 7 के तहत उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न किए जाने अनिवार्य हैं। इन अनिवार्य दस्तावेजों के बिना प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे प्रेषक को लौटा दिया जाएगा।

7. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए :

7.1 परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

क. संगठन की रूपरेखा जिसमें संगठन, इसकी क्षमताओं, उपलब्धियों तथा गत तीन वर्षों के इसके कार्यकलापों के वर्ष–वार ब्यौरे का विवरण हो।

ख. परियोजना/प्रस्ताव की तर्कसंगतता/औचित्य सहित इसका विवरण।

ग. लागत प्राक्कलन (भवन/उपस्कर/सुविधाओं) का सार।

घ. वित्त/निधियों के स्रोत।

ङ. परियोजना पूरी होने की समय अनुसूची, और

च. समापन उपरान्त–संगठन किस प्रकार परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के प्रचालन व अनुरक्षण का संचालन करेगा और आवर्ती अनुरक्षण/प्रचालन लागत को पूरा करेगा।

7.2 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य संगत अधिनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

7.3 संगठन के नियमों व विनियमों, यदि कोई हों, सहित इसके संगम ज्ञापन (या न्यास विलेख) की प्रतिलिपि।

7.4 प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों/पदाधिकारियों/न्यासियों की सूची जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम व पता हो।

7.5 गत तीन वित्त वर्षों के वार्षिक लेखाओं (सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित/संपरीक्षित) की प्रतिलिपियां।

7.6 स्वामित्व विलेख (पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि) जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो :

क. परियोजना की भूमि/भवन पर आवेदक संगठन का स्वामित्व और इस आशय की पुष्टि कि उक्त सम्पत्ति का इस्तेमाल वाणिज्यिक, संस्थागत या शैक्षिक प्रयोजन से किया जा सकता है। निर्मित स्थल की खरीद के प्रस्ताव के मामले में आबंटन पत्र/विक्रय करार की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।

ख. भूमि/भवन की लागत यदि स्वामित्व विलेख में भूमि/भवन की लागत का उल्लेख नहीं किया गया है तो लागत के समर्थन में संगत दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

7.7 समुचित नागरिक निकाय/स्थानीय प्राधिकारी (नगर–पालिका, पंचायत, विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास आदि) द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित भवन/विकास योजनाओं की प्रतिलिपि। निर्मित स्थल की खरीद के प्रस्ताव के मामले में सक्षम नागरिक निकाय/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित/जारी अभिविन्यास योजना तथा निर्माण कार्य करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7.8 पंजीकृत वास्तुविद द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित लागत प्राक्कलन (भवन/उपस्कर) जो यह प्रमाणित करेगा कि :

क. मात्राएं, परियोजना की ढांचागत अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

ख. दरें, प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप हैं, और

ग. लागत प्राक्कलन तर्क संगत हैं।

7.9 इस आशय के दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है या इसे प्राप्त करने के प्रबंध कर लिए हैं अर्थात् बैंक विवरण, परियोजना पर किए जा चुके खर्च का प्रमाण पत्र (ब्यौरे के साथ, जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित हो) ऋण मंजूरी पत्र, परियोजना के लिए निधियों की मंजूरी दर्शाने वाला राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/स्थानीय निकाय आदि का पत्र।

7.10 संगठन के प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी बोर्ड/शासी निकाय का संकल्प (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें संगठन की ओर से अनुदान हेतु आवेदन, बंध–पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किए जाने का उल्लेख हो।

7.11 निर्धारित मूल्य राशि के स्टाम्प पेपर पर मांगी गई सहायता का बंध–पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।

7.12 संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक प्राधिकृत पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।

नोट :

i. आवेदक संगठन, अपने प्रस्ताव के समर्थन में ऐसा कोई भी अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकता है जो वह प्रस्तुत करना चाहे (अर्थात् राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी निकाय या अकादमी से प्रमाण–पत्र या संस्तुति पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस कतरनें/समीक्षाएं, कार्य आबंटन पत्र, संबद्धता पत्र आदि)।

ii. जहां कहीं दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, उनका अंग्रेजी व हिन्दी रूपान्तरण भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

iii. जहां कहीं कतिपय दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही हों, उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित कराया जाना चाहिए।

iv. मंच कलाओं को समर्पित, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालय विभागों या केन्द्रों और कॉलेजों के प्रस्तावों के मामले में बिंदू 7.2 से 7.10 पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से केवल ऐसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है जो आवेदक संगठन से संबंधित हों।

8. मूल्यांकन पद्धति

8.1 संस्कृति मंत्रालय में प्राप्त सभी आवेदनों की, संस्कृति मंत्रालय के पी. आर्ट्स प्रभाग द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुसार पूर्णता की दृष्टि से जांच की जाएगी। अधूरे आवेदनों (उपरोक्त खंड सं0 7 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के बिना) पर विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8.2 मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन से पहले, जहां कहीं समिति ऐसा चाहे, आवेदनों की, संस्कृति मंत्रालय के अधीन किसी संगठन या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी विशेषज्ञ समूह या किसी एजेंसी की सहायता से सत्यापन पूर्व

जांच भी की जा सकती है। वैकल्पिक तौर पर इससे पहले प्रस्ताव के मामले विशेष में या स्थायी व्यवस्था के बतौर किसी समतुल्य समूह (पीयर ग्रुप) द्वारा मूल्यांकन कराया जा सकता है। ऐसे पूर्व सत्यापन या पूर्व मूल्यांकन का प्रयोजन, संगठन की प्रतिष्ठा व क्षमताओं तथा परियोजना की सुयोग्यता का आन्तरिक मूल्यांकन करना होगा।

8.3 सभी तरक से पूर्ण आवेदन पर विशेषज्ञ समिति द्वारा खेपों (बैचों) में विचार किया जाएगा, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित किया जाएगा और समिति, अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर वर्ष के दौरान समय–समय पर बैठक करेगी।

8.4 विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित के विशेष सन्दर्भ में प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के गुणावगुण के संबंध में उसका मूल्यांकन करेगी :

क. क्या आवेदक संगठन संबंधित क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित है और उसकी अपनी पहचान है।

ख. क्या प्रस्ताव की संकल्पना उत्तम है,

ग. क्या लागत प्राक्कलन तर्कसंगत है; और

घ. क्या परियोजना पूरी करने के लिए संगठन की अपनी बराबर की हिस्सेदारी जुटाने की क्षमता है या इसने इसकी व्यवस्था की है (जहां आवेदक संगठन ने बराबर की हिस्सेदारी की सम्पूर्ण राशि पहले ही खर्च कर दी है, उस मामले में इस अपेक्षा को पूरा किया मान लिया जाएगा)।

8.5 विशेषज्ञ समिति में मंच कलाओं व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और इसमें वास्तुविद, सिविल इंजीनियर तथा प्रकाश/ध्वनि/मंच शिल्प में तकनीकी विशेषज्ञ तथा साथ ही संस्कृति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

9. अनुदान की संस्वीकृति व उसे जारी करना

9.1 परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर मंत्रालय इस निर्णय की सूचना संबंधित संगठन को देगा जिसमें परियोजना की कुल अनुमोदित लागत, मंजूर की गई सहायता की मात्रा, संगठन की बराबर की हिस्सेदारी की मात्रा तथा सहायता की संस्वीकृत राशि जारी करने संबंधी अन्य शर्तों का उल्लेख होगा।

9.2 संस्वीकृति पत्र में उस भवन/उपस्करों को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके लिए सहायता मांगी गई है।

9.3 सहायता की संस्वीकृत राशि निम्नलिखित तरीके से किस्तों में जारी की जाएगी।

9.3.1 प्रथम किस्त

संस्वीकृत सहायता की 40 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त, बिना किसी और पत्राचार के मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन/संस्वीकृति पर जारी की जाएगी।

9.3.2 दूसरी किस्त

संस्वीकृत अनुदान की 30 प्रतिशत राशि की दूसरी किस्त निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी:

(क) किसी पंजीकृत वास्तुविद से परियोजना के संबंध में वास्तविक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट जिसमें स्थल के फोटो सहित पहले से पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा हो।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद से निम्नलिखित आशय का प्रमाण पत्र :

- परियोजना कार्य, अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा किया गया है/चल रहा है;
- स्थानीय कानूनों या निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- किया गया कार्य संतोषजनक स्तर का है; और यह दर्शाता है कि,

किए गए कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना कार्य पूरा करने के लिए आगे और राशि अपेक्षित है।

ग. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परियोजना के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण।

घ. सनदी लेखाकार द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सहायता राशि की दूसरी किस्त पूरी तरह परियोजना पर खर्च की गई है।

ङ. सनदी लेखाकार का एक प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी का 40 प्रतिशत खर्च कर दिया है।

9.3.3 अंतिम किस्त

संस्वीकृत अनुदान के 30 प्रतिशत राशि के बराबर अंतिम किस्त निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाएगी :

(1) अनुदानग्राही संगठन ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए :

क. किसी पंजीकृत वास्तुविद से परियोजना के संबंध में वास्तविक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट जिसमें स्थल के फोटो सहित पहले से पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा हो।

ख. पंजीकृत वास्तुविद से निम्नलिखित आशय का प्रमाण पत्र :

परियोजना कार्य, अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा किया गया है;

- स्थानीय कानूनों या निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- किया गया कार्य संतोषजनक स्तर का है; और यह दर्शाता है कि,
- किए गए कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना कार्य पूरा करने के लिए आगे और राशि अपेक्षित है।

ग) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परियोजना के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण।

घ) सनदी लेखाकार द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सहायता राशि की दूसरी किस्त पूरी तरह परियोजना पर खर्च की गई है।

ङ) सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी का 70 प्रतिशत खर्च कर दिया है।

(2) संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रतिनिधि(यों) के माध्यम से परियोजना का वास्तविक रूप से निरीक्षण करा लिया है। परियोजना की प्रकृति और आकार के आधार पर, मंत्रालय ऐसी फील्ड जांच के लिए, मंत्रालय से अथवा इसके संगठनों से और/अथवा विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं से लिए गए अधिकारियों और/या विशेषज्ञों के एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकता है, अथवा यह निरीक्षण करने के लिए अन्य पक्ष की सेवाएं ले सकता है।

टिप्पणी :

यदि आकलित निधियों की अंतिम मांग, अनुमोदित परियोजना लागत से कम है अथवा संगठन द्वारा बराबर की हिस्सेदारी की खर्च की गई राशि अनुमोदित परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से कम है, तो अनुदान की अंतिम किस्त की राशि उसी के अनुरूप कम कर दी जाएगी।

10. अनुदान की शर्तें

10.1 भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों के लिए अलग खाता रखना होगा।

10.2 परियोजना के खाते और स्थल, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय जांच के लिए तैयार होने चाहिए।

10.3 यदि परियोजना, पहली किस्त के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो संगठन को आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा तथा उक्त दावा काल–बाधित हो जाएगा।

10.4 संगठन के खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा अपने विवेक से उनके द्वारा नामिती द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा के लिए तैयार होने चाहिए।

10.5 अनुदान अथवा उसके बाद किसी किस्त के जारी होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर अनुदानग्राही, अगले वर्ष में भारत सरकार को अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सनदी लेखाकार द्वारा संपरीक्षित लेखा तथा प्रमाणित विवरण तथा भारत सरकार के अनुदान की उपयोगिता को दर्शाने वाला उपयोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदानग्राही को भारत सरकार की मौजूदा ब्याज दर पर ब्याज सहित प्राप्त कुल अनुदान राशि को तुरंत वापिस करना होगा, बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

10.6 मामला बंद करने के लिए, आवेदक को वित्तीय वर्ष, जिसमें अंतिम किस्त जारी की गई है, की समाप्ति के 6 महीने के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

क. यदि परियोजना में नया निर्माण शामिल है, यथोचित नागरिक प्राधिकारी को भेजी गई भवन निर्माण पूरा होने की सूचना की प्रति अथवा इसके द्वारा जारी सम्पूर्णता प्रमाण पत्र; और पूर्व–निर्मित स्थल की खरीद वाली परियोजनाओं के मामले में, भवन–निर्माता/विक्रेता को किए गए सभी भुगतानों की रसीदों, स्वामित्व पत्र और पंजीकरण/मालिकाना शपथ–पत्र की प्रतियां।

ख. वास्तुकार से परियोजना पूरी करने संबंधी रिपोर्ट।

ग. सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी की पूर्ण राशि खर्च कर दी है।

10.7 भारत सरकार के अनुदान पूर्णरूपेण अथवा मुख्य रूप से अधिगृहीत स्थायी और अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर निर्धारित फार्म (फार्म–जीएफआर–19) में तैयार किया जाना चाहिए। अनुदानग्राही को इस रजिस्टर की एक प्रति प्रतिवर्ष संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करनी चाहिए।

10.8 अनुदानग्राही दो जमानतदारों के साथ निर्धारित प्रपत्र में भारत के राष्ट्रपति के नाम इस आशय का बंध पत्र निष्पादित करेगा कि वह अनुदान की शर्तों का पालन करेगा। उसके द्वारा अनुदान की शर्तों का पालन न किए जाने या बंध–पत्र का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अनुदान प्राप्तकर्त्ता और जमानती अलग–अलग या मिलकर भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार की वर्तमान उधार दर पर ब्याज सहित अनुदान की समूची राशि लौटाएगा।

10.9 केन्द्रीय सहायता से अधिगृहीत भवनों व अन्य परिसम्पत्तियों पर प्रथम पुनर्ग्रहणाधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा और भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भवन या उपस्कर को किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा या उसे गिरवी नहीं रखा जाएगा। तथापि, इस प्रकार अधिगृहीत स्टूडियो थिएटर या अन्य सुविधाओं को अस्थायी इस्तेमाल हेतु किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर देने का प्रावधान इस शर्त से मुक्त होगा।

10.10 यदि किसी स्तर पर सरकार दिए गए अनुदान या उससे सृजित सुविधाओं के समुचित उपयोग से संतुष्ट नहीं है तो सरकार, भारत सरकार की वर्तमान ऋण दर पर ब्याज सहित अनुदान की समूची राशि लौटाने की मांग कर सकती है।

10.11 अनुदानग्राही संगठन, इस स्कीम के तहत विकसित स्टूडियो/थिएटर/सांस्कृतिक स्थल में समुचित रूप से मंत्रालय का नाम लिखकर भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता का आभार प्रकट करेगा।

10.12 केवल अनुदानग्राही संगठन, भवनों के निर्माण या भूमि और भवनों के उपयोग संबंधी स्थानीय क्षेत्र में यथा लागू कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।

10.13 ऐसी अन्य शर्तें जो भारत सरकार समय–समय पर लागू करे।

11. विविध

सामान्यतया पूर्व की ''सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान स्कीम'' के तहत स्वीकृत किए गए मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा और न ही सामान्यतया इस स्कीम के प्रावधानों के तहत संस्वीकत राशि को बढ़ाया जाएगा, परन्तु भवन अनुदान के ऐसे मामले में वितरण हेतु लंबित किस्तों को, अनुदानग्राही संगठन के अनुरोध पर, विभिन्न किस्तें जारी करने की प्रक्रिया व इस स्कीम के तहत परिकल्पित दस्तावेजी अपेक्षाओं का पालन करके जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जब कोई किस्त जारी नहीं की गई हो तो अनुदानग्राही संगठन पूर्व स्वीकृति को रद्द करने व इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकता है। विगत के मामलों में जब पूरा संस्वीकृत अनुदान जारी नहीं किया गया हो और परियोजना अधूरी पड़ी हो तथा अनुदानग्राही संगठन अपने मामलों की समीक्षा तथा इस स्कीम के तहत संस्वीकृत अनुदान को बढ़ाने की मांग करे तो मामला–दर–मामला आधार पर निर्णय किया जाएगा।

"स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदानों की स्कीम" आवेदकों के लिए अनुदेश

''स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदानों की स्कीम'' के रूप में दि. 07.01.2011 को पुनः शुरू की गई आशोधित भवन अनुदान स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदक अनुभाग अधिकरी (पी.आर्ट्स), संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार (भूतल), शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110115 को संबोधित होने चाहिए और सभी संलग्नों सहित केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजे जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर ''स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदानों की स्कीम के अंतर्गत आवेदन '' लिखा जाना चाहिए। किसी स्पष्टीकरण के लिए, सुश्री अनिता सिन्हा, निदेशक (पी. आर्ट्स) से टेलीफोन नम्बर– 011–23381431 अथवा ईमेल आई डी : anita.sinha@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

कृपया अपने आवेदन पत्र भरने से पहले स्कीम को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

आवेदन करने की कोई आखिरी तारीख नहीं है, स्कीम पूरे वर्ष खुली रहेगी। विधिवत भरे हुए और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संलग्न आवेदन, आवधिक रूप से अर्थात् प्रत्येक तिमाही में 'विशेषज्ञ समिति' द्वारा विचारार्थ खेपों (बैचों) में लिए जाते हैं। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदानों की स्कीम

आवेदन पत्र

1. संगठन का नाम : ——————————————

2. पता : ——————————————

——————————————

——————————————

टेलीफोन नम्बर : ——————————————

मोबाईल नम्बर : ——————————————

ई–मेल पता : ——————————————

3. पंजीकरण विवरण : सोसाइटी ☐ न्यास ☐ अन्य ☐

किस रूप में पंजीकृत है

पंजीकरण संख्या : ——————————————

पंजीकरण की तारीख : ——————————————

4. पदाधिकारियों की संख्या

अध्यक्ष : ——————————————

सचिव / निदेशक : ——————————————

5. उस शहर / स्थान का नाम जहां प्रस्तावित परियोजना स्थित है।

6. परियोजना प्रस्ताव के संघटक जिसके लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। : ——————————————

(संबंधित खाना / खानों में निशान लगाएं)

(क) नए निर्माण अथवा निर्मित स्थान की खरीद ☐

(ख) विद्यमान भवन / स्थान / सुविधा का नवीनीकरण / उन्नयन / आधुनिकीकरण विस्तार / परिवर्तन ☐

(ग) विधमान निर्मित स्थान की आंतरिक सज्जा का पुनः प्रतिकरण ☐

(घ) सुविधाओं जैसे– इलैक्ट्रिकल, वातानुकूलन, ध्वनिक, प्रकाश और ध्वनि प्रणाली और उपकरण की अन्य मदें जैसे–संगीत वाद्ययंत्र, पोशाकों, ऑडियो / वीडियो उपकरण, फर्नीचर और स्टेज सामग्री, जो स्टूडियो थिएटर, आडिटोरियम, रिहर्सल हाल, कक्षा आदि के लिए आवश्यक हो सकती है, का प्रावधान। ☐

7. प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत : ——————————

(क) संस्कृति मंत्रालय से मांगी गई सहायता : ——————————

(ख) आवेदक संगठन का मैचिंग शेयर : ——————————

8. संगठन का स्थायी खाता संख्या (पीएएन) : ——————————

9. एनजीओ भागीदारी संबंधी राष्ट्रीय पोर्टल से प्राप्त यूनीक आई.डी.संख्या :—————————— [नीचे पृष्ठ 4 पर परामर्शी टिप्पणी देखें]

10. क्या संस्कृति मंत्रालय से 'सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान की स्कीम' के अंतर्गत इससे पहले सहायता प्राप्त हुई है?

11. यदि हां, प्राप्त पिछले अनुदान का संस्वीकृति आदेश और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। : ——————————

घोषणा :

जांच सूची भरी गई है और उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र और जांच सूची में दी गई सूचना, हमारी पूर्ण जानकारी में सत्य और सही है तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीखः ——————— (नाम) ——————————

स्थान : ——————— (पद) ——————————

कृते एवं की ओर से ——————————

(आवेदक संगठन का नाम)

स्टूडियो थियेटरों सहित भवन अनुदानों की स्कीम

जाँच सूची

- संगठन का नाम
- परियोजना, जिसके लिए अनुदान मांगा गया है।
- क्या निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं ?

(1) परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव, जिसमें शामिल हैः

		संलग्न हां/नहीं	अनुलग्नक सं.
	(क) संगठन की और रूप रेखा, जिसमें संगठन का विवरण, इसकी संख्या, उपलब्धियां और पिछले तीन वर्षों के इसके कार्यकलापों का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है।	☐	☐
	(ख) परियोजना का मूलाधार/औचित्य सहित परियोजना विवरण/प्रस्ताव		
	(ग) लागत अनुमान का सारांश (भवन/उपकरण/सुविधाए)		
	(घ) वित्त/निधियों का स्रोत		
	(ड.) परियोजना पूरी होने की समय सूची और		
	(च) परियोजना पूरा होने के बाद– संगठन, कैसे परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा का संचालन और रख–रखाव की व्यवस्था करेगा तथा आवर्ती रख–रखाव/संचालन लागतों को पूरा करेगा।		
(2)	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अथवा अन्य संबंधित तथ्य।	☐	☐
(3)	नियम एवं विनियम सहित, यदि कोई हो, संगठन का संगम ज्ञापन (अथवा ट्रस्ट डीड), की प्रतिलिपि	☐	☐
(4)	प्रत्येक सदस्य के नाम और पते सहित प्रबंधन बोर्ड/पदधारियों/न्यासियों के वर्तमान सदस्यों की सूची।	☐	☐
(5)	पिछले 3 वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखाओं की प्रतियाँ (सनदी लेखाकार अथवा सरकारी लेखा–परीक्षा द्वारा विधिवत प्रमाणित/लेखा परीक्षित)	☐	☐
(6)	अधिकार पत्र (टाइटल डीड) (पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, दानपत्र, पट्टा विलेख आदि) की प्रतिलिपि, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है :	☐	☐

(क) आवेदक संगठन के नाम में परियोजना के लिए भूमि/भवन का स्वामित्व तथा यह सुनिश्चित हो कि उक्त संपदा का

व्यावसायिक, संस्थागत अथवा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। निर्मित स्थान खरीदने के लिए प्रस्ताव के मामले में, आबंटन पत्र/विक्रय करार की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।

(ख) भूमि/भवन की लागत यदि भूमि/भवन की लागत अधिकार पत्र में नहीं दर्शाया गया है, लागत के समर्थन में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

(7) यथोचित नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकारी (नगरपालिका, पंचायत, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास आदि) द्वारा विधिवत अनुमोदित भवन/विकास योजना की प्रतिलिपि, निर्मित स्थान खरीदने के लिए प्रस्ताव के मामले में, सक्षम नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी विधिवत अनुमोदित ले आउट प्लान और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। ☐ ☐

(8) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा विधिवत अनुमोदित, अनुमानित लागत (भवन/उपकरण) वास्तुविद यह भी प्रमाणित करेगा कि :– ☐ ☐

(क) उक्त परिमाण इस परियोजना के ढांचागत आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

(ख) उक्त दरें वर्तमान बाजार दरों के अनुसार हैं, और

(ग) यह कि लागत अनुमान यथोचित हैं।

(9) दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, जिसे संगठन ने प्राप्त किया है अथवा अपना मैचिंग शेयर प्राप्त करने के लिए व्यवस्था किया है, जैसे– बैंक विवरण, परियोजना पर पहले से ही किए गए व्यय का प्रमाण–पत्र (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित विवरण सहित), ऋण का संस्वीकृति पत्र, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/स्थानीय निकाय आदि का पत्र, परियोजना के लिए संस्वीकृत की जाने वाली निधियां। ☐ ☐

(10) संगठन के प्रबंधन बोर्ड/कर्मचारी बोर्ड/शासकीय निकाय का संकल्प (निर्धारित प्रारूप में) जिसमें संगठन की ओर से अनुदान के लिए आवेदन, बांड आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया हो। ☐ ☐

(11) निर्धारित मूल्य वर्ग के स्टांप पेपर पर मांगी गई सहायता के लिए बांड (निर्धारित प्रारूप में) ☐ ☐

(12) संगठन के बैंक खाते का ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक प्राधिकृत पत्र (निर्धारित प्रारूप में)। ☐

- आवेदन पत्र के कालम–9 में उल्लिखित एनजीओ भागीदारी पोर्टल से तैयार की गई यूनिक आई डी नम्बर

अधिकृत प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(स्थान व पदनाम) &&&&&&&&&&&&&&&

(आवेदक संगठन का नाम) &&&&&&&&&&&&&&&

तारीख : ——————————————

स्थान : ———————————————

टिप्पणियाँ : –

i आवेदक संगठन, अपनी इच्छा से अपने प्रस्ताव के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करने के लिए स्वतंत्र हैं। (जैसे– राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय सरकारी निकाय अथवा अकादमी से सिफारिशी पत्र अथवा प्रमाण पत्र)

ii जहाँ कोई दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, अंग्रेजी अथवा हिंदी रूपांतर भी प्रस्तुत करना होगा।

iii जहां कुछ दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जा रही हैं, उन्हें राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

iv सरकारी प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालय विभागों अथवा केंद्रों और कालेजों से प्राप्त प्रस्ताव, जो मंच कलाओं से संबंधित हैं, को उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 से 10 पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से, केवल वही दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होगी जो आवेदक संगठन से संबंधित हैं।

टिप्पणी : &

क्षतिपूर्ति बांड, संकल्प और बैंक प्राधिकृत प्रपत्र क्रमशः अनुबंध i, ii, iii व iv में दिए गए हैं।

14

टैगोर सांस्कृतिक परिसर

1. पृष्ठभूमि

1.1 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में राज्य सरकारों/राज्य प्रायोजित निकायों को बहुउद्‌देशीय सांस्कृतिक परिसरों (एमपीसीसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता अनुदान की स्कीम शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य सृजनात्मक कार्यों के सर्वोत्तम स्वरूप को दर्शाने और समाज में कलात्मक और नैतिक रूप से क्या अच्छा है, के लिए उन्हें संवेदनशील बनाते हुए अपने युवा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। संगीत नृत्य, नाटक, साहित्य, ललित कला आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में समन्वय और प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम के तहत राज्यों में सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना की गयी थी। स्कीम में जैसा प्रावधान किया गया था, राज्य अथवा उस स्थान में मौजूद सुविधाओं, को ध्यान में रखते हुए एक सलाहकार समिति द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार किया जाना था। सम्बन्धित सांस्कृतिक विभागों की वित्तीय स्थिति, अनुदान के अनुरूप निधि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता और बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों के आवर्ती व्यय को ध्यान में रखते हुए एक सलाहकार समिति द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुरूप अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली परियोजना लागत के 50 प्रतिशत के बराबर राज्य सरकार को अधिकतम 1.00 करोड़ रूपये का अनुदान इस स्कीम के तहत उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 अतीत के निष्पादनों को ध्यान में रखते हुए स्कीम की समीक्षा की गयी थी और स्कीम में रखे गये मानदण्डों को वर्ष 2004 में संशोधित किया गया था। संशोधित स्कीम बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की दो श्रेणियों (I और II) के लिए उपलब्ध कराई गयी है। श्रेणी 1 के लिए परियोजना की लागत 5.00 करोड़ रूपये तथा श्रेणी II के लिए 2.00 करोड़ है।

1.3 10वीं योजना के अंत में योजना आयोग द्वारा स्कीम को स्थगित करने से पूर्व विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सभी 49 बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों को सहायता दी गयी थी। परिणामस्वरूप 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग स्कीम को समुचित सुधारों के साथ पुनः संचालित करने पर सहमत हुआ है।

1.4 गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती समारोह मनाने के लिए गठित प्रधानमंत्री के अधीन राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने सम्बंधित विकास के मामले में अनुभव किया है कि 1961 में गुरू रबीन्द्रनाथ टैगोर के शताब्दी समारोह के अवसर पर शुरू किये गये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सहायता से पूरे देश में सृजित बड़ी संख्या में रबीन्द्र 'भवनों,' 'सदनों,' 'रंगशालाओं,' 'मंचों,' और अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों के नवीकरण, उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता है। ये केन्द्र 30 वर्षों से अधिक समय से संचालन में रहे हैं और इन्होंने समाज की अच्छी तरह सेवा की है।

1.5 टैगोर की 150वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान रबीन्द्र भवनों का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार किया जाये और संशोधित एमपीसीसी स्कीम के ढांचे के अनुसार जिन राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में ऐसे परिसर नहीं हैं वहां भी नये सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण किया जाये। इसलिए पहले की एमपीसीसी स्कीम का टैगोर के नाम से पुनर्निर्माण और पुनः उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया है इसलिए अलग–अलग पैमाने पर नये सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना करने और सुगम बनाने से वर्तमान रबीन्द्र प्रेक्षागृह के उन्नयन, आधुनिकिकरण और सुधार से इन्हें आधुनिकतम सांस्कृतिक परिसरों के रूप में बदलने में भी मदद मिलती है।

2. शीर्षक

स्कीम "टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए स्कीम" के रूप में जानी जायेगी।

3. उद्देश्य

3.1 बहुउद्देशीय परिसरों का नवीकृत और नया स्वरूप ' टैगोर सांस्कृतिक परिसर के रूप में जाना जायेगा जो संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य, ललित कला आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में राज्य में कार्यकलापों को प्रोत्साहन और समन्वय प्रदान करेगा और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को संवर्धित करेगा तथा युवा पीढ़ी को सृजनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान के लिए मार्ग उपलब्ध करायेगा।

3.2 ये बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर मंच अभिनय (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों सेमिनारों, साहित्यिक कार्यकलापों, फिल्म प्रदर्शन आदि के लिए सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के साथ कला और संस्कृति के सभी स्वरूप के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए ये मूल टैगोर प्रेक्षागृह स्कीम से परे कार्य करने के लिए अभिप्रेत हैं और सृजनात्मकता तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में बहुआयामी रूचियों को प्रोत्साहन देंगे।

4. पात्र संगठन

स्कीम के तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी :

4.1 राज्य सरकार/संघ शासित सरकार ;

4.2 राज्य सरकार/संघ शासित सरकारों द्वारा स्थापित अथवा प्रायोजित निकाय ;

4.3 केन्द्र सरकार अथवा इसके अधीन संगठनों द्वारा स्थापित अथवा प्रायोजित निकाय ;

4.4 विश्वविद्यालय, नगर निगम और अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त एजेंसियां ; और

4.5 परियोजना की स्थापना और संचालन करने में सक्षम ऐसे गैर लाभकारी प्रतिष्ठित संगठन जो उपलब्ध कराई गयी परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत अपने समभाग के रूप में जुटा सकें और आवर्ती लागत को पूरा कर सकें। ये संगठन केन्द्र सरकार अथवा सम्बंधित राज्य सरकार/संघ शासित सरकार की उपयुक्त एजेंसी द्वारा निरीक्षित तथा अनुशंसित रहे हों और निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करते हों :

क) ऐसा संगठन जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का इक्कीस) अथवा समान अधिनियमों के तहत या न्यास अथवा गैर–लाभकारी कम्पनी के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

ख) जिसका घोषणापत्र मूलरूप से भारतीय कला और संस्कृति के परिरक्षण, प्रसार और संवर्धन के लिए समर्पित है।

ग) संगठन की प्रमुख रूप से सांस्कृतिक रूपरेखा हो तथा कम से कम तीन वर्षों से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारतविद्या और साहित्य जैसे क्षेत्रों में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए मूल रूप से कार्य कर रहा हो।

घ) संगठन पूर्णतया स्थापित हो और अपने कार्यकलापों के क्षेत्र में अर्थपूर्ण कार्य करने के लिए जाना जाता हो तथा स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा/स्थायित्व रखता हो।

5. पात्र परियोजनाएं

निम्नलिखित प्रकृति की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी :

5.1 नये टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी)

जिला/नगर परिसरों जिनमें लघु प्रेक्षागृह अथवा खुली हवा वाली रंगभूमि अथवा तात्कालिक मंच के अलावा प्रत्येक परियोजना में प्रेक्षागृह शामिल है। टीसीसी बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर होगा किंतु किसी विशेष परियोजना में सुविधाएं उपलब्ध कराना स्थानीय आवश्यकताओं तथा सांस्कृतिक लोकाचार पर निर्भर करेगा। आदर्शतः इस स्कीम के उद्देश्यों के लिए टीसीसी का लक्ष्य निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं और आधारभूत संरचना प्राप्त करना है :

क) सजीव संगीत, नृत्य अथवा रंगमच या इन कलाओं के सम्मिश्रण के प्रदर्शन के लिए एक प्रेक्षागृह (अथवा विभिन्न क्षमताओं के प्रेक्षागृहों का एक समूह) जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बैठने की उपयुक्त क्षमता हो, का प्रयोग व्याख्यानों, फिल्म प्रदर्शनों आदि के लिए केन्द्र के रूप में भी किया जा सकता है।

ख) सेमिनारों, सम्मेलनों कार्यशालाओं आदि के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले कक्ष।

ग) अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के लिए नेपथ्यशाला(ओं) श्रृंगार कक्ष/कक्षों/रूप सज्जा कक्ष/कक्षों और एक भण्डारण क्षेत्र।

घ) रंगमंच/संगीत/नृत्य के लिए प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास हाल।

ड.) रंगमंच/संगीत/नृत्य के लिए प्रशिक्षण केन्द्र/विद्यालय।

च) आगन्तुक कलाकारों के लिए शयनागार।

छ) कला और छायाचित्रण के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र।

ज) पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष।

झ) कार्यालय, कैफेटेरिया/भोजन–प्रबंध, शौचालय, स्वागत/प्रतीक्षालय, पार्किंग आदि के लिए सामान्य सुविधाएं।

5.2 मौजूदा प्रेक्षागृह/सांस्कृतिक परिसरों का उन्नयन

मौजूदा (क) रवीन्द्र 'भवनों' 'सदनों' 'रंगशालाओं', (ख) बहु उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों तथा (ग) अन्य प्रेक्षागृह/सांस्कृतिक परिसरों के उन्नयन की परियोजना स्कीम में शामिल होगी और निम्नलिखित संघटकों के कोई अन्य अथवा उपयुक्त संयोजन शामिल हो सकते हैं:

(i) मौजूदा वास्तविक सुविधाओं का पुनरूद्धार, नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, उन्नयन और आधुनिकीकरण;

(ii) आन्तरस्थलीय पुनर्प्रारूपण; और/अथवा

(iii) विद्युतीय, वातानुकूलन, ध्वनिक, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणाली और अन्य मदों के उपकरण जैसे दृश्य/श्रव्य उपकरण, फर्नीचर (उपस्कर) तथा मंच सामग्री जैसी सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन।

5.3 स्वीकृत/जारी एमपीसीसी परियोजनाओं का समापन

पहले की एमपीसी स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाएं पुनः नहीं खोली जायेंगी न ही इस स्कीम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राशि को बढ़ाया जायेगा। तथापि, विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में, स्कीम स्थगित होने से पूर्व अथवा जारी परियोजनाएं जिनमें भुगतान के लिए कोई किस्तें शेष हैं, उन्हें उपर्युक्त एमपीसीसी स्कीम के प्रावधानों और सीमा के अनुसार इस स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता का भुगतान जारी रहेगा।

6. वित्तीय सहायता की प्रकृति और मात्रा

6.1 भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मात्रा परियोजना लागत के 60% तक सीमित होगी।

6.2 प्राप्तकर्ता राज्य सरकार अथवा सम्बंधित संगठन से सम भाग के रूप में परियोजना लागत का 40% योगदान अपेक्षित होगा। सम भाग में जमीन की लागत/कीमत शामिल नहीं होगी। सम्पर्क मार्ग के साथ विकसित भूमि सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी बशर्ते संगठन के पास अपने स्वामित्व की भूमि न हो।

6.3 किसी भी परियोजना के लिए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता सामान्य रूप से अधिकतम 15 करोड़ रूपये तक होगी। विशेष योग्यता और प्रासंगिकता के बहुत दुर्लभ मामले में, वित्तीय सहायता 50 करोड़ रू0 तक बढ़ाई जा सकती है किन्तु तब 15 करोड़ रू0 से अधिक वित्तीय सहायता का ऐसा प्रत्येक व्यक्तिगत मामला नई योजना स्कीमों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यांकन/अनुमोदन तंत्र के अधीन होगा।

6.4 सभी आवर्ती व्यय राज्य सरकार अथवा संबंधित संगठन द्वारा वहन किये जायेंगे।

6.5 परियोजना लागत का 0.5% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए जारी किया जा सकता है।

7. आवेदन प्रकिया

7.1 संस्कृति मंत्रालय अपनी वेबसाइट www.indiaculture.nic.in के माध्यम से स्कीम अभिसूचित करेगा और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों को सीधे सूचना प्रेषित करेगा।

7.2 आवेदन निर्धारित प्रारूप में संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में जमा कराना होगा।

7.3 नीचे अनुच्छेद 8 में बताये गये सभी दस्तावेज एवं जैसा लागू हो, आवेदन के साथ लगे हों। इन वांछित दस्तावेजों में से किसी एक के भी न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होने चाहिए :

8.1 प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्य रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्ताव जिसमें निम्न शामिल हैं :

(क) भवन / विकास योजनाएं (वर्तमान / प्रस्तावित) ;

(ख) लागत अनुमानों का सार (भवन, उपकरण, सुविधाएं आदि) ;

(ग) समभाग हेतु वित्त / निधि के स्रोत ;

(घ) परियोजना की पूर्णता के लिए समय सीमा ;

(ङ.) परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के संचालन और रख–रखाव का प्रबंधन संगठन कैसे करेगा, यह प्रदर्शित करने के लिए पश्च पूर्ण योजना ; और

(च) अपने प्रस्ताव के एक समन्वित भाग के रूप में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और अतिरिक्त पाठ्यक्रम संगठन द्वारा शामिल किया जाना चाहिए।

8.2 सहायक दस्तावेज

8.2.1 सरकारी विभागों / निकायों एजेंसियों द्वारा आवेदन के लिए

(i) विद्यमान प्रेक्षागृह अथवा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र के उन्नयन के लिए यदि प्रस्ताव है तो पहले से उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के ब्यौरे और नई परियोजना के मामले में भूमि आवंटन के सहायक साक्ष्य और अभिन्यास योजना ; तथा

(ii) समभाग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पत्र।

8.2.2 प्रतिष्ठित गैर–लाभकारी संगठनों द्वारा आवेदन के लिए :

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के तहत पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ii) नियम–विनियम, यदि कोई हो, सहित संगठन के संघ (या न्यास विलेख) के ज्ञापन की प्रति।

(iii) प्रत्येक सदस्य के नाम और पते के साथ प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों / पदधारियों / न्यासियों की सूची।

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के (सनदी लेखाकार / सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित / संपरीक्षित) वार्षिक लेखाओं की प्रति;

(v) संगठन की रूपरेखा जिसमें कार्यालय का विवरण, इसकी सामर्थ्य, उपलब्धियों और पिछले तीन वर्षों से अधिक का इसके कार्य–कलापों का वर्ष–बार ब्यौरा;

(vi) आयकर अधिनियम की धारा XII ए, 80जी के तहत पैन कार्ड और पंजीकरण, यदि कोई हो ;

(vii) आवेदक संगठन के नाम भूमि / भवन का स्वामित्व दर्शाने वाला स्वामित्व विलेख (रजिस्ट्रीकृत अभिहस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि) की प्रति जिसमें यह पुष्टि की गयी हो कि सम्पत्ति का उपयोग वाणिज्यिक / सांस्थानिक उदेश्य के लिए किया जा सकता है।

(viii) इस दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य कि संगठन ने अपना समभाग जुटा लिया / प्रबंध कर लिया है अर्थात बैंक विवरण, परियोजना पर पहले हुए व्यय का प्रमाण पत्र (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वर्ष–वार

विवरण सहित), ऋण स्वीकृति पत्र, अथवा परियोजना के लिए स्वीकृत की जाने वाली निधि सम्बंधी राज्य सरकार/संघ शासित सरकार, स्थानीय निकाय आदि का पत्र ;

(ix) संगठन की ओर से अनुदान के लिए आवेदन, बंध–पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाले संगठन के प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी बोर्ड/प्रशासकीय निकाय का संकल्प पत्र (निर्धारित प्रारूप में) ;

(x) मांगी गयी सहायता की राशि के लिए बंध पत्र (निर्धारित नामकरण के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में); और

(xi) संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक का प्राधिकरण पत्र (निर्धारित प्रारूप में)।

9 मूल्यांकन प्रक्रिया

9.1 संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की दस्तावेजी आवश्यकतानुसार पूर्णता के लिए मंत्रालय द्वारा छानबीन की जायेगी। अपूर्ण आवेदन की जब तक कमियां (जैसे– उपर्युक्त अनुच्छेद 8 के तहत बताये गये अपेक्षित दस्तावेज के बिना) दूर नहीं की जाती, आगे कार्रवाई नहीं की जायेगी।

9.2 सभी परिपूर्ण आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों का संस्कृति मंत्रालय (निम्न 9.4 अनुच्छेद के तहत) द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित के लिए जाँच की जायेगी :

क) योग्यता निर्धारण ;

ख) प्रस्ताव की योग्यता का मूल्यांकन ; और

ग) परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि की सिफारिश करना।

9.3 राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति समय–समय पर बैठक करेगी और निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भों सहित अपनी कसौटी पर परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी :

क) क्या आवेदक संगठन क्षेत्र में पूर्णतया स्थापित है और इसकी अपनी एक निजी पहचान है ;

ख) क्या प्रस्ताव पूर्णतया सुविचारित है ;

ग) क्या लागत अनुमान समुचित है ; और

घ) क्या संगठन के पास परियोजना को पूरा करने और पूर्णता के पश्चात, आवर्ती संचालन लागत को वहन करने के लिए अपने सम भाग की क्षमता है या प्रबंध कर चुका है।

स्कीम के तहत नई परियोजना की स्वीकृति देते समय राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति भी विद्यमान परिसरों के सदुपयोग और उत्पादन का मूल्यांकन, नये परिसर के लिए वास्तविक जरूरतें तथा राज्य की जनसंख्या और आकार पर विचार करेगी।

9.4 संस्कृति मंत्रालय दो स्तरीय राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति गठित करेगा। संयुक्त सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति I और सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति II और इनमें संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी, शहरी विकास (के.लो.नि.वि./रा.भ.नि.नि.) के प्रतिनिधि, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि कलाकार तथा बिजली/ध्वनि/मंच शिल्प के कम से कम एक तकनीकी विशेषज्ञ, जैसा उपयुक्त होगा, को शामिल किया जायेगा।

9.5 1 करोड़ रूपये तक की केन्द्रीय सहायता पाने वाले परियोजना प्रस्तावों पर द्रुतपरिणामी तंत्र के माध्यम से कार्रवाही की जाएगी। इनकी जांच संयुक्त सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति I द्वारा की जायेगी और आंतरिक वित्त के परामर्श से निधि जारी कर दी जायेगी।

9.6 1 करोड़ रूपये से अधिक और 15 करोड़ रूपये तक की केन्द्रीय सहायता पाने वाले परियोजना प्रस्तावों की जाँच सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति II द्वारा प्रथमतया सैद्धांतिक अनुमोदन और डीपीआर जमा करने पर आखिरी अनुमोदन किया जायेगा। समिति द्वारा अनुशंसित राशि आन्तरिक वित्त के परामर्श से मंत्रालय द्वारा जारी कर दी जायेगी।

9.7 15 करोड़ रूपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता पाने वाली परियोजना का संस्कृति मंत्रालय की पूर्व अनुमति से, इसके सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति II द्वारा जाँच की जायेगी। डीपीआर जमा कराने पर इसका मूल्यांकन व्यावहारिक एसएफसी/ईएफसी तंत्र के जरिये किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी अर्थात संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर आंतरिक वित्त के परामर्श से निधि जारी कर दी जायेगी। (ऐसी परियोजना के लिए विशेष अतिरिक्त निधि मंत्रालय को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी)।

9.8 राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति II द्वारा परियोजना प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के पश्चात योजना आयोग के प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार जहां भी तैयार करना अपेक्षित होगा, संस्कृति मंत्रालय आवेदक संगठन को निर्णय की सूचना देगा। इस उद्देश्य के लिए अस्थाई तौर से अनुमोदित परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत (प्रतिशत तक राशि संगठन के अनुरोध पर जारी की जा सकती है। डीपीआर जमा करने के अलावा आवेदक संगठन से प्रस्तुतीकरण भी मांगा जा सकता है।

9.9 तदनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन अथवा अंतिम अनुमोदन से पूर्व राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति विशेषज्ञों की तदर्थ समिति और अधिकारियों द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक बाह्य स्रोत एजेंसी द्वारा स्थानीय मूल्यांकन/निरीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. वित्तीय सहायता की स्वीकृति

डीपीआर के अनुमोदन पर मंत्रालय, परियोजना की अनुमोदित कुल लागत, स्वीकृत सहायता की मात्रा, संगठन के समभाग की मात्रा और सहायता की स्वीकृति राशि को जारी करने के लिए अन्य नियम व शर्तें दर्शाते हुए संगठन को निर्णय की सूचना देगा।

11. वित्तीय सहायता जारी करना

वित्तीय सहायता, सहायता की स्वीकृत राशि के 50% की दो बराबर किस्तों में जारी की जायेगी।

11.1 स्वीकृत राशि के 50% की पहली किस्त डीपीआर तैयार करने के लिए जारी राशि को समायोजित करने के पश्चात संस्कृति मंत्रालय द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद जारी की जायेगी। किस्त जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवन योजना संबंधित नागरिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।

11.2 स्वीकृत राशि के 50% की दूसरी किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा कराने के पश्चात जारी की जायेगी:

(क) स्थान के फोटोग्राफ के साथ पहले किये गये/पूर्ण किये गये कार्य का ब्यौरा देते हुए परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

(ख) सनदी लेखाकार से जारी उपयोग प्रमाण–पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि सहायता की पहली किस्त परियोजना के लिए पूर्णतया इस्तेमाल की गयी है।

(ग) सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना के लेखे का संपरीक्षा विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पहली किस्त और आनुपातिक सम भाग भी परियोजना के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(घ) राज्य लो.नि.वि. / के.लो.नि.वि. अथवा पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें दर्शाया गया हो कि:

- परियोजना अनुमोदित योजना के अनुसार प्रगति पर है;
- स्थानीय कानूनों और निर्माण / विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- किया गया कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता का है; और
- किये गये कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित अगली राशि।

टिप्पणी :

- यदि निधि की अंतिम अपेक्षित राशि मिलने के पश्चात अनुमोदित परियोजना लागत से कम पड़ती है अथवा संगठन द्वारा खर्च किया गया सम भाग अनुमोदित परियोजना लागत के 40% से कम है तो अनुदान की दूसरी किस्त की राशि तद्नुसार कम कर दी जायेगी।
- दूसरी किस्त जारी करने से पूर्व मंत्रालय अपने प्रतिनिधि(ओं) अथवा विशेषज्ञ दल से परियोजना का निरीक्षण करायेगा।

12. समापन

मामले की समाप्ति के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन को अंतिम किस्त जारी होने के 12 माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे:

क) राज्य लो.नि.वि. / के.लो.नि.वि. अथवा पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी परियोजना पूर्णता रिपोर्ट।

ख) सनदी लेखाकार / सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम लेखा विवरण।

ग) दूसरी किस्त की राशि का सनदी लेखाकार द्वारा जारी उपयोग प्रमाण–पत्र।

घ) संगठन ने अपने समभाग की सदृश राशि खर्च कर दी है इस आशय का सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

ड.) उपर्युक्त नागरिक प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण–पत्र अथवा संगठन द्वारा जारी परियोजना की पूर्णता की नागरिक प्राधिकरण को सूचना देने वाले पत्र की प्रति (नये निर्माण के मामले में)।

13. अनुदान की शर्तें

1) सांस्कृतिक परिसरों का संचालन और रख–रखाव सम्बंधित राज्य सरकार विभाग, निकाय, एजेंसी, स्वायत्तशासी संगठन अथवा गैर–लाभकारी संगठन द्वारा किया जायेगा। परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गयी भूमि पंजीकृत सोसायटी अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के नाम हस्तांरित होगी। केन्द्र सरकार सोसायटी / संगठन के विभिन्न निकायों (सामान्य परिषद, वित्तीय समिति, कार्यकारी बोर्ड आदि) से परिसर संचालन के लिए अपने प्रतिनिधि नामांकित कर सकती है।

2) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदान के सम्बंध में सोसाइटी संगठन द्वारा पृथक खाते रखने होंगे।

3) संस्थान के खातों को भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अथवा उसके विवेक पर उसके नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा हेतु खुला रखना होगा।

4) राज्य सरकार अथवा संगठन को अनुमोदित परियोजना पर आय–व्यय का समायोजन करते हुए और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदानों के उपयोग दर्शाते हुए सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा अपने संपरीक्षित लेखा विवरण भारत सरकार को सौंपने होंगे।

5) परियोजना की कार्य पद्धति को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये किसी ढंग से जैसे और जब भी आवश्यक समझा जायेगा, समीक्षा हेतु खुला रखना होगा।

6) संस्थान/संगठन/राज्य सरकार अपने कार्यों में समुचित मितव्ययिता बरतेगी।

7) केन्द्रीय सहायता से अधिगृहीत भवन और सम्पदा पर पहला ग्रहणाधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा और भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न भवन, न ही उपकरण दूसरी पार्टियों को पट्टे अथवा बंधक पर दिया जायेगा। तथापि, अन्य पार्टियों को अस्थायी इस्तेमाल के लिए प्रेक्षागृह के पट्टे और अन्य परियोजना सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।

8) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिसरों का इस्तेमाल पूरे वर्ष इष्टतम रूप से किया जाता रहे।

9) प्राप्तकर्ता संगठन को स्वयं प्रारम्भ में एक वचनबद्धता पत्र देना होगा कि परिसर के दिन–प्रतिदिन के कार्य–कलापों/संचालन के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करायेगा।

10) केन्द्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी अनुमोदित परियोजना लागत और परिसर के संचालन के सन्दर्भ में इसके भाग की आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित होगी।

11) अनुदान प्राप्तकर्ता को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में अनुदान की शर्तों का पालन करने के लिए एक बंध–पत्र (बॉड) निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। अनुदान शर्तों का पालन न करने की स्थिति में बन्ध–पत्र का उल्लंघन करने पर भारत सरकार की प्रचलित उधार दर और इस पर ब्याज सहित अनुदान की वसूली का भारत सरकार निर्णय ले सकती है तथा विलम्ब के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दण्डात्मक दर से वसूली कर सकती है।

12) स्कीम के तहत सभी लाभार्थी संगठनों को अनुदान की स्वीकृति के छः माह के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है तथा उसके पश्चात योजना के पूरा होने तक हर तीन महीने पर अर्थात त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।

13) अनुदानग्राही संगठन परिसर में महत्वपूर्ण स्थान पर मंत्रालय के नाम को उपयुक्त ढंग से दर्शाते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता को ज्ञापित करेगा।

14) जारी अनुदान का प्रयोग प्रशासकीय भवन, आवासीय क्वार्टर, निदेशक के बंगले अथवा किसी बाह्य विकास जैसे सम्पर्क मार्ग आदि के लिए नहीं किया जायेगा।

15) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर ऐसी अन्य शर्तें लगायी जा सकती हैं।

आवेदन प्रपत्र

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए स्कीम

1. आवेदक का नाम और पूरा पता
   संगठन/राज्य सरकार विभाग, आदि :
   (स्कीम का पैरा 4)
   ई–मेल :
   दूरभाष संख्या :
   फैक्स :

2. प्रस्तावित परियोजना (एक पर ✔ का निशान लगाएं)

क)	नया टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) (पैरा 5.1)	☐
ख)	वर्तमान प्रेक्षागृह/सांस्कृतिक परिसर का उन्नयन (पैरा 5.2)	☐
ग)	अनुमोदित/जारी एमपीसीसी परियोजना की पूर्णता (पैरा 5.3)	☐

3. प्रस्तावित परियोजना की लागत :
   मांगी गयी सहायता की राशि (पैरा 6) :
   आवेदक संगठन/राज्य सरकार विभाग आदि का समभाग

4. विस्तृत विवरण सहित जानकारी रिपोर्ट और प्रस्तावित परियोजना की संगतता/उद्देश्य अनुबंध ☐

घोषणा :

1. एतदद्वारा घोषणा की जाती है कि टीसीसी के संचालन और दिन–प्रतिदिन के कार्य–कलापों के लिए आवश्यक निधि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
2. जांच सूची को पूर्णतया भर दिया गया है और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन फार्म और जाँच सूची में दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : ––––––––
(नाम)

स्थान : ––––––––
(पदनाम)

के लिए और उनकी ओर से
(आवेदक संगठन/राज्य/संघ शासित सरकार का नाम)

जांच सूची

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए स्कीम

आवेदक का नाम :

मांगी गयी सहायता की राशि :

परियोजना का नाम जिसके लिए अनुदान मांगा गया है :

क्या आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये गये हैं ?

नोट :

i. 'क' में उक्त दस्तावेज सभी आवेदकों द्वारा जमा किये जाने हैं।

ii. 'ख' में उक्त दस्तावेज केवल आवेदक राज्य सरकार द्वारा जमा कराये जाने हैं।

iii. 'ग' में उक्त दस्तावेज केवल आवेदक गैर–लाभकारी संगठन द्वारा जमा कराये जाने हैं।

क. निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रस्तावित परियोजना की जानकारी रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्तावः (स्कीम का पैरा 8.1)

	दस्तावेज	हां/नहीं	अनुबंध सं./पृष्ठ सं.
(क)	भवन/विकास योजनाएं (विद्यमान/प्रस्तावित) :		
(ख)	लागत अनुमानों का सार (भवन, उपकरण, सुविधाएं आदि)		
(ग)	सम भाग के लिए वित्त/निधि के स्रोत :		
(घ)	परियोजना की पूर्णता के लिए समय सीमा :		
(ड.)	परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के संचालन और रख–रखाव तथा आवर्ती रख–रखाव/संचालनात्मक लागतों का संगठन कैसे प्रबंध करेगा, यह दर्शाने वाली पश्च–पूर्ण योजना :		

ख. सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों द्वारा आवेदनों के लिए समर्थन वाले दस्तावेज : (स्कीम का पैरा 8.2.1)

	दस्तावेज	हां/नहीं	अनुबंध सं./पृष्ठ सं.
(क)	नयी परियोजना के मामले में भूमि के आवंटन के समर्थन में साक्ष्य और अभिन्यास योजना तथा पहले से उपलब्ध सुविधाओं और आधारभूत संरचना के ब्यौरे यदि प्रस्ताव वर्तमान प्रेक्षागृह अथवा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र के उन्नयन के लिए है :		
(ख)	सम भाग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पत्र :		

ग. प्रतिष्ठित गैर–लाभकारी संगठनों द्वारा आवेदनों के लिए समर्थन दस्तावेजः (स्कीम का पैरा 8.2.2)

	दस्तावेज	हां/नहीं	अनुबंध सं./पृष्ठ सं.
(क)	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के तहत पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की प्रति।		
(ख)	संगठन के नियम–विनियम, यदि कोई हो, सहित संगम (या न्यास विलेख) के ज्ञापन की प्रति।		
(ग)	प्रत्येक सदस्य के नाम और पते के साथ प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों/पदधारियों/न्यासियों की सूची।		
(घ)	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के (सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित/संपरीक्षित) वार्षिक लेखाओं की प्रति जिसमें पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां भी शामिल हो;		
(ङ.)	संगठन की रूपरेखा जिसमें कार्यालय का विवरण, इसकी क्षमता, उपलब्धियों और पिछले तीन वर्षों से अधिक का इसके कार्य–कलापों का वर्ष–बार ब्यौरा ;		
(च)	आयकर अधिनियम की धारा XII ए, 80जी के तहत पैन कार्ड और पंजीकरण, यदि कोई हो ;		
(छ)	आवेदक संगठन के नाम भूमि/भवन का स्वामित्व दर्शाने वाला स्वामित्व विलेख (पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, विलेख आदि) की प्रति जिसमें यह पुष्टि की गयी हो कि सम्पत्ति का उपयोग वाणिज्यिक/सांस्थानिक उदेश्य के लिए किया जा सकता है। मौजूदा प्रेक्षागृह अथवा बहु–उद्देश्यीय सांस्कृतिक केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रस्ताव के मामले में कहां अभिन्यास योजना, और सुविधाओं का ब्यौरा तथा आधारभूत ढांचा पहले से ही उपलब्ध है, की व्यवस्था की गयी है।		
(ज)	इस दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य कि संगठन ने अपना समभाग जुटा लिया/प्रबंध कर लिया है अर्थात बैंक विवरण, परियोजना पर पहले हुए व्यय का प्रमाण पत्र (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वर्ष–वार विवरण सहित), ऋण स्वीकृति पत्र, अथवा परियोजना के लिए स्वीकृत की जाने वाली निधि सम्बंधी राज्य सरकार/संघ शासित सरकार, स्थानीय निकाय आदि का पत्र		
(झ)	संगठन की ओर से अनुदान के लिए आवेदन, बंध पत्र आदि		

	दस्तावेज	हां/नहीं	अनुबंध सं./पृष्ठ स
	पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला संगठन का प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी बोर्ड/प्रशासकीय निकाय का संकल्प पत्र (निर्धारित प्रारूप में) ;		
(ञ)	मांगी गई सहायता की राशि के लिए बंध पत्र (निर्धारित नामकरण के स्टांप पेपर पर निर्धारित प्रारूप में);		
(ट)	संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक का प्राधिकरण पत्र (निर्धारित प्रारूप में)।		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : (नाम)
स्थान : (पदनाम)

के लिए और उनकी ओर से
(आवेदक संगठन/राज्य/संघशासित सरकार का नाम)

नोट : क्षतिपूर्ति बंध पत्र के प्रारूप, संकल्प पत्र और बैंक प्राधिकरण फार्म क्रमशः अनुबंध I, II, III और IV में है।

15

क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता

1. उद्देश्य

स्कीम का उद्देश्य, राज्य सरकार के तहत सोसायटी या स्वायत्त निकाय द्वारा नए संग्रहालय की स्थापना करना तथा क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विद्यमान संग्रहालयों को सुदृढ़ करने, आधुनिक बनाने तथा देश में संग्रहालय अभियान को और सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. कार्यक्षेत्र

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) के अंतर्गत अथवा इस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों सहित स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, स्थानीय निकायों और साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इन संग्रहालयों में मुख्यतः निम्नलिखित के प्रोत्साहन हेतु संग्रहालय शामिल होंगे :

(क) पुरावशेष

(ख) मुद्राशास्त्र

(ग) चित्रकारी

(घ) नृजातीय संग्रह

(ङ) लोककला

(च) कला और शिल्पकला, वस्त्र, छाप (स्टाम्प) आदि सहित अन्य।

3. पात्रता

3.1 नए संग्रहालय

राज्य सरकार के तहत सोसायटी या स्वायत्त निकाय, जिसकी अपनी भूमि हो, नए संग्रहालयों की स्थापना हेतु आवेदन कर सकता है।

शर्तें :

(i) भूमि, संबंधित सोसायटी स्वायत संगठन के नाम होनी चाहिए।

(ii) पहुंच मार्ग सहित विकसित भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iii) राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन द्वारा चयन की पसंद का औचित्य दिया जाएगा।

(iv) लोक निर्माण विभाग से इस प्रयोजनार्थ योजना एवं प्राक्कलनों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.2 मौजूदा संग्रहालय

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (XXI) के अंतर्गत अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत सभी स्वैच्छिक संस्थाएँ, सोसायटियॉ और न्यास अनुदान के पात्र हैं। इन्हें निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :

1 अनुदान प्राप्ति के लिए पात्र बनने हेतु वह कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिए। तथापि, विशेषज्ञ समिति के विवेक पर तथा स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष की हैसियत से सचिव, संस्कृति के अनुमोदन से अपवादात्मक मामलों में इस शर्त में ढील दी जा सकती है, जिसके संबंध में लिखित में कारण दर्ज किए जाएंगे।

2 उसका एक सुपरिभाषित संविधान होना चाहिए;

3 सहायता की मात्रा, संग्रह की प्रकृति और धारित वस्तुओं की संख्या से सम्बद्ध होगी, जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से परियोजना रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

4 संग्रहालय के रख–रखाव तथा सभी आवर्ती लागत वहन करने में समर्थ होना;

5 जिस कार्य के लिए अनुदान अपेक्षित है, उसे निष्पादित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं, संसाधनों और कार्मिकों की उपलब्धता;

6 उनके कार्य के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट दी जानी चाहिए; और

7 उन्हें वैयक्तिक लाभार्थ नहीं चलाया जाना चाहिए।

अन्य शर्तें :

क) इस स्कीम के तहत कोई भी संगठन, जो विचार हेतु पात्र होगा, उसके पास निम्नानुसार तीन स्पष्ट भागों वाला परियोजना प्रस्ताव होना चाहिए।

   i) संग्रहालय की स्थिति और नैदानिक अध्ययन

   ii) एक परिकल्पना और कार्य नीति जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाए कि किस प्रकार संग्रहालय का आधुनिकीकरण और विकास करने का प्रस्ताव है; और

   iii) एक कार्य योजना जिसमें संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित प्रत्येक उपाय के संबंध में समय–तालिका और विस्तृत लागत विवरण दिया जाना चाहिए।

ख) परियोजना प्रस्ताव के प्रत्येक घटक में आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं का समावेश होना चाहिए, जैसे कि वीथियों का नवीकरण, प्रदर्शन का आधुनिकीकरण, वर्गीकरण और प्रलेखन, संरक्षण, कार्यकलाप, रिजर्व संग्रह का प्रबंधन आदि। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार आनुपातिक संसाधन जुटाए जाएंगे तथा विशिष्ट समय–तालिका का उल्लेख किया जाए।

4. संग्रहालयों का श्रेणीकरण ि इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के प्रयोजनार्थ, संग्रहालयों को दो श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, अर्थात :

   i) उत्कृष्ट संग्रहों वाले विख्यात संग्रहालयों और राज्य संग्रहालयों, जिन्हें इसके बाद श्रेणी–एक के रूप में कहा जाएगा; और

   ii) अन्य संग्रहालय, जिन्हें इसके बाद श्रेणी–दो के रूप में कहा जाएगा।

नियमानुसार, श्रेणी–दो संग्रहालयों की सहायता की मात्रा, श्रेणी–एक संग्रहालयों को दी जाने वाली सहायता का 50 प्रतिशत होगी।

5. वित्तीय सहायता :

5.1 इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत उपर्युक्त वर्णित पात्र संस्थाओं को अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	**प्रयोजन**	**अधिकतम अनुमेय वित्तीय सहायता (लाख रूपए में)**	
		श्रेणी–I हेतु	**श्रेणी–II हेतु**
1.	राज्य सरकार के तहत सोसायटी या स्वायत्त निकाय द्वारा नए संग्रहालयों की स्थापना **टिप्पणी :** 1 यह एकबारगी का अनुदान होगा और आगे और मांग, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। 2. भारत सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित होंगी न कि संग्रहालय के संचालन के लिए।	600.00	300.00
2.	मौजूदा संग्रहालय के बुनियादी ढाँचे का विकास 1. नवीकरण/मरम्मत। 2. वीथियों का विस्तार/आधुनिकीकरण। 3. आरक्षित संग्रह का आधुनिकीकरण। 4. प्रकाशन। 5. संरक्षण प्रयोगशालाएं/संरक्षण परियोजनाएं। 6. संग्रहालय पुस्तकालय। 7. उपस्कर। 8. प्रलेखन। चुनिंदा संग्रहालयों को उक्त सीमा तक सहायता 10 वर्ष में केवल एक बार प्रदान की जाएगी।	500.00	250.00

5.2 सभी प्रयोजनों के लिए अनुदान का अनुपात 80 और 20 का होगा। केन्द्र सरकार द्वारा प्राक्कलित लागत का अधिकतम और 80 प्रतिशत तक प्रदान किया जाएगा और न्यूनतम 20 प्रतिशत और शेष राशि, यदि कोई हो, की व्यवस्था यथा स्थिति राज्य सरकार/संस्था द्वारा की जाएगी।

5.3 तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संग्रहालयों के मामले में, सभी प्रयोजनार्थ, अनुदान की राशि 90 और 10 के अनुपात में होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्राक्कलित लागत का अधिकतम और 90 प्रतिशत तक हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा और न्यूनतम 10 प्रतिशत और शेष, यदि कोई हो, हिस्सा यथास्थिति राज्य सरकार/संस्थान, द्वारा वहन किया जाएगा।

5.4 जहां सरकारी एजेंसी के अलावा अन्य एजेंसियों को कार्य सौंपा गया हो, ऐसे मामलों में एजेंसी का चयन खुली

निविदा और कोटेशन आमंत्रित करके किया जाना चाहिए। इस आशय की रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6. मौजूदा संग्रहालयों के बुनियादी ढाँचे का विकास

विभिन्न उप–शीर्षों के तहत मौजूदा संग्रहालयों के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान प्रदान करने संबंधी मुख्य शीर्ष इस प्रकार होंगे :–

6.1 वीथियों का नवीकरण/मरम्मत, विस्तार और आधुनिकीकरण तथा आरक्षित संग्रहों का आधुनिकीकरण

i) इस प्रयोजनार्थ योजना तथा प्राक्कलन, सरकारी संग्रहालयों के मामले में लोक निर्माण विभाग से तथा विश्वविद्यालय/गैर–सरकारी संगठनों के संग्रहालयों के मामले में लोक निर्माण विभाग/पंजीकृत वास्तुविद से होने चाहिए।

ii) सरकारी संग्रहालयों के मामले में लोक निर्माण विभाग से तथा विश्वविद्यालय/गैर–सरकारी संगठन के संग्रहालयों के मामले में लोक निर्माण विभाग/पंजीकृत वास्तुविद् से कार्य पूरा होने के तीन माह के भीतर एक पूर्णता–सह–मूल्यांकन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.2 प्रकाशन

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायतार्थ पात्र होने वाले प्रकाशन निन्न प्रकार हैं :

(क) सूची–पत्र
(ख) संग्रहालय गाइड
(ग) गैलरी–शीट
(घ) फोटो सूचक कार्ड
(ङ) सचित्र पोस्टकार्ड
(च) संग्रहालय वस्तुओं के प्रिंट वाले फोलियो
(छ) मोनोग्राफ
(ज) लघु–सूची आदि

अंतिम किस्त जारी होने से पहले केन्द्र सरकार को प्रकाशित दस्तावेज की दस प्रतियां भेजी जानी चाहिए। ऐसे प्रकाशित दस्तावेज के आवरण पृष्ठ पर ये लाइन लिखी होनी चाहिए। ''संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित''।

6.3 संरक्षण प्रयोगशाला/संरक्षण अनुदान

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता, निर्धारित प्रपत्र में संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, उनके विस्तार और स्तर उन्नयन के लिए तथा वस्तुओं के संरक्षण के लिए दी जाएगी। अनुदान इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रयोगशाला में उपयुक्त प्रशिक्षित स्टाफ है। जहाँ प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं हो, उन मामलों में जिन व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाएगा, उन्हें निम्नलिखित में से किसी एक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान : कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान, जनपथ, नई दिल्ली।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत न्यास।

(ग) राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(घ) एग्मोर संग्रहालय, चेन्नई।

(ङ) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता।

इस प्रयोजनार्थ इस स्कीम के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र (फार्म–सी) में आवेदन किया जाएगा। अंतिम किस्त से पहले संबंधित संगठन द्वारा संरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

6.4 संग्रहालय पुस्तकालय

अनुदान, मौजूदा संग्रहालय पुस्तकालयों के उन्नयन तथा संग्रह में वृद्धि हेतु भी उपलब्ध होगा।

6.5 उपस्कर

निम्नलिखित उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी :

I. उपस्कर (सामान्य)

(क) प्रदर्शन मदें जैसे कि पीठिकाएँ और पटि्टयाँ

(ख) संग्रहालय वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था

(ग) प्रलेखन के लिए कम्प्यूटर

(घ) कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर्स और स्क्रीन

(ङ) सीसीटीवी

II. सुरक्षा प्रणाली हेतु उपस्कर (केवल श्रेणी–I संग्रहालय के लिए)

डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वाहन निरीक्षण दर्पण, रेडियो सेट, बैग जांच एक्स–रे मशीन, सी सी टी वी तथा रिकॉर्डिंग प्रणाली, दरवाजे के लिए चुम्बक चिटकनी, ग्लास ब्रेक डिटेक्टर, चुम्बक–स्विच, वाइब्रेशन डिटेक्टर, अलार्म प्रणाली, वीडियो मोशन डिटेक्टर, पेसिव इन्फ्रा रेड उपकरण, इन्फ्रा रेड बीम बैरियर्स आदि।

कोई अन्य उपस्कर जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा जरूरी समझा जाए।

संगठन द्वारा अनुदान से खरीदे गए उपस्करों की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

6.6 प्रलेखन

सभी संग्रहालयों को विश्वसनीय और नई प्रौद्योगिकियों जैसे फोटो–प्रलेखन और डिजीटीकरण का इष्टतम प्रयोग करते हुए अपने संग्रह का सम्पूर्ण और वृहत्त प्रलेखन करने का प्रयास करना चाहिए। संस्थानों को इश्तहारों, विवरणिकाओं आदि या अन्य किसी प्रलेखन को प्रकाशित करने के लागत अनुमानों के ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए।

7. समय–सीमा

परियोजना कार्य, पहली किस्त जारी होने के तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि परियोजना

निष्पादन में कोई विलम्ब है, तो विलम्ब का पूर्ण औचित्य देते हुए मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और ऐसा न करने पर इसके बाद किस्त जारी नहीं की जाएगी।

8. अनुदान जारी करने संबंधी प्रकिया

i) सभी प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार का भाग, 2:1:1 के अनुपात में 3 किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त (जो केन्द्र सरकार के भाग का 50 प्रतिशत है), तत्काल विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन पर मंजूर और जारी की जाएगी।

ii) दूसरी किस्त (जो केन्द्र सरकार के भाग का 25 प्रतिशत है), अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से जारी पहली किस्त के 80 प्रतिशत तथा उनके अपने हिस्से के अंशदान का उपयोग किए जाने के बाद जारी की जाएगी।

iii) तीसरी और अंतिम किस्त, जो केन्द्र सरकार के भाग का 25 प्रतिशत होगी, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रथम और द्वितीय किस्त तथा उसके अपने हिस्से का पूर्ण उपयोग किए जाने के बाद ही जारी की जाएगी।

iv) अनुवर्ती किस्त, उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा पूर्व किस्त और संगठन के सदृश अनुपातिक भाग के संबंध में सनदी लेखाकार की किसी फर्म द्वारा लेखाओं का संपरीक्षित विवरण प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। इस विवरण में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि पूर्व किस्तों तथा संस्थान के अनुपातिक भाग का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया था।

v) राज्य सरकार के संग्रहालय से भिन्न किसी अन्य संग्रहालय के मामले में, उस जिले का उपायुक्त (कलेक्टर), जहां संग्रहालय स्थित है, अनुदान के उपयोग का निरीक्षण करे और उपयोग प्रमाण–पत्र का सत्यापन भी करे। दूसरी और अंतिम किस्त, सरकार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

vi) यदि किसी संगठन को दिए गए अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक है तो उसके लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के महालेखाकार द्वारा की जाएगी तथा उपयोग–प्रमाण–पत्र भारत के महालेखाकार से प्राप्त किया जाएगा।

9. इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन, प्रत्येक वर्ष समाचार–पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश से प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। राज्य संग्रहालयों के अलावा अन्य संग्रहालयों के मामले में, इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन, मंत्रालय को अंतिम रूप से संस्तुत किए जाने से पहले उस जिले के उपायुक्त/कलेक्टर, (जहां संग्रहालय विशेष स्थित है) द्वारा प्रायोजित संबंधित राज्य सरकार को किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन, आवेदक के कार्यकलापों तथा उस भूमि की स्थिति के संबंध में टिप्पणी करे जहां संग्रहालय बनाया गया है। यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन वित्त वर्ष के प्रारंभ में जारी किया जाएगा।

10. परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई अंतिम तिथि नियत नहीं होगी। आवेदन पूरे वर्ष प्राप्त किए जाएंगे और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

11. निर्धारित आवेदन–पत्रों (संग्रहालयों की स्थापना हेतु प्रपत्र–I तथा क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रपत्र–II जिनमें अनुबंध भी हैं) के अलावा आवेदक, प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रपत्र में आवेदन करे। ये परियोजना रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उनका अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप–रेखा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप–रेखा में अनुमानित परिवर्तनों का भी उल्लेख होना चाहिए।

12. इस स्कीम के तहत सहायता की मात्रा, संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली कलावस्तुओं की संख्या तथा उनके मूल्य के अनुपात में होगी।

13. आवेदनों की जांच, संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय; निदेशक, एनआरएलसी; महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, योजना आयोग का एक प्रतिनिधि तथा पांच विशेषज्ञ, अधिमानतः प्रत्येक क्षेत्र से एक–एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। विशेषज्ञ समिति, समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता संग्रहालयों का निरीक्षण भी कर सकती है।

14. मूल्यांकन से पहले और उसके बाद के कार्यकलापों, जैसे आवेदनों पर कार्रवाई करना, विशेषज्ञ समिति की बैठकें बुलाना, मूल्यांकन तथा अनुवर्ती दौरे तथा संस्कृति मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अपेक्षित विशेषज्ञों के निरीक्षण करने के लिए, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान या अन्य संस्थानों/संगठनों की सेवाएं ली जाएंगी। इस संबंध में होने वाले व्यय स्कीम निधि से पूरे किए जाएंगे।

15. संग्रहालय स्टाफ के लिए प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इस स्कीम के भाग होंगे। ऐसे प्रशिक्षण, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी उपयुक्त संगठन/संस्थान के माध्यम से समय–समय पर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे संगठन को प्रस्ताव के अभिन्न अंग के रूप में संग्रहालय स्टाफ के लिए प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शामिल करने चाहिए।

टिप्पणी : निधियों के दुरूपयोग या उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर प्रस्तुत न किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और चूककर्ता संगठन का नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा तथा उस पर भविष्य में भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने पर रोक लगा दी जाएगी और साथ ही सरकार द्वारा कानून के तहत समुचित कार्रवाई जाएगी।

नोट : क्षतिपूर्ति बंध पत्र के प्रारूप और बैंक प्राधिकरण प्रपत्र क्रमशः अनुबंध **I** और **II** में उपलब्ध हैं।

प्रपत्र – I

"संग्रहालयों की स्थापना" के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन–पत्र

1. संग्रहालय / संस्था / सोसायटी / न्यास का नाम (साफ अक्षरों में) पत्राचार पता (पिन कोड) (टेलीफोन / फैक्स / ई–मेल पते सहित)

2. पंजीकरण संख्या और तारीख (प्रतिलिपि संलग्न करें)

3. बैंक के ब्यौरे (नाम, शाखा तथा खाता नम्बर)

4. परियोजना प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नम्बर :

5. भूमि के ब्यौरे

   (क) क्षेत्रफल
   (ख) भौगोलिक स्थान और बाधाएं, यदि कोई हो
   (ग) स्वामित्व का प्रमाण
   (घ) भूमि की किस्म / स्थिति : फ्री होल्ड है या पट्टे पर आदि। सक्षम प्राधिकारी द्वारा देयतामुक्त प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए।

   (ङ) शहर / कस्बे से दूरी

6. प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कला वस्तुओं के ब्यौरे

   (क) कला वस्तुओं के ब्यौरे
   (ख) प्राप्ति का स्रोत
   (ग) वर्तमान मूल्य का आकलन, यदि किया गया हो
   (घ) क्या कभी प्रदर्शनी में रखा गया है या नहीं

7. भवन योजनाओं के ब्यौरे :

8. परियोजना ब्यौरे –प्रार्थित सहायता के मदवार ब्यौरे

प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। ये परियोजना रिपोर्ट, संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उनका अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप–रेखा तथा लोक निर्माण विभाग से परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप–रेखा में अनुमानित परिवर्तनों को भी संलग्न किया जाना चाहिए।

9. क्या सरकार के पास सोसायटी या स्वायत्त निकाय को नियमित अनुदान देकर संग्रहालय स्थापित करने के बाद अपने ही खर्च से संग्रहालय संचालित करने के लिए संसाधन हैं। कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

10. संग्रहालय स्थापित करने की अनुमानित लागत :

11. परियोजना पूरी करने का लक्ष्य :

(क) प्रारंभ
(ख) समापन

12. शेष राशि और अपना हिस्सा जुटाने हेतु की गई व्यवस्था

13. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं, अन्यथा अनुदान हेतु प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा :

i) प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। ये परियोजना रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उनका अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप–रेखा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप–रेखा में अनुमानित परिवर्तनों का भी उल्लेख होना चाहिए।
ii) गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा विवरण की प्रतियां।
iii) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट।
iv) लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित योजना तथा प्राक्कलन।
v) परियोजना के वित्त पोषण के अन्य स्रोतों के ब्यौरे।
vi) संगठन के नाम भूमि के स्वामित्व तथा कब्जे संबंधी दस्तावेज़ (सत्यापित हिन्दी/अंग्रेजी)।
vii) भूमि के अधिग्रहण के समय अदा किए गए भूमि मूल्य के ब्यौरे।
viii) नियम 209(1) सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।
ix) बंध–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)
x) बैंक में सीधे अनुदान भेजने का प्राधिकार–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।
xi) संस्था के संगम–ज्ञापन की प्रतिलिपि।
xii) सोसायटी/न्यास के नियमों/कानूनों की प्रतिलिपि।
xiii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
xiv) दर्शकों की अभ्युक्तियों की प्रतिलिपियां।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक :

स्थान :

प्रपत्र – II

"क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण" के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन–पत्र

1. संग्रहालय / संस्था / सोसायटी / न्यास का नाम (साफ अक्षरों में) तथा स्तर (सरकारी या गैर–सरकारी संगठन / निजी) पत्राचार का पता (पिन कोड) (टेलीफोन / फैक्स / ई–मेल पते सहित)
2. पंजीकरण संख्या और तारीख (प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. बैंक के ब्यौरे (नाम, शाखा तथा खाता नम्बर)
4. परियोजना प्रस्ताव – प्रार्थित सहायता के मदवार ब्यौरे

निर्धारित आवेदन–पत्रों के अलावा आवेदक, प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रपत्र में आवेदन करे, ये परियोजना रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उनका अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप–रेखा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप–रेखा में अनुमानित परिवर्तनों को भी संलग्न किया जाना चाहिए।

5. मौजूदा संग्रहालय
   - i) पुनरूद्धार / मरम्मत
   - ii) वीथियों का विस्तार / आधुनिकीकरण
   - iii) रिजर्व संग्रह का आधुनिकीकरण
   - iv) प्रकाशन
   - v) संरक्षण प्रयोगशाला / संरक्षण परियोजनाएं
   - vi) संग्रहालय पुस्तकालय
   - vii) उपस्कर
   - viii) प्रलेखन

(i, ii तथा iii के संबंध में सरकारी संग्रहालय के मामले में लोक निर्माण विभाग से तथा विश्वविद्यालय संग्रहालय / गैर–सरकारी संगठन के मामले में लोक निर्माण विभाग / पंजीकृत वास्तुविद् से अनुमोदित योजना तथा प्राक्कलन के ब्यौरे, अन्यथा अनुदान हेतु प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा)।

6. कुल अनुमानित लागत :
7. शेष राशि जुटाने के लिए की गई व्यवस्था (लागत का 20 प्रतिशत अर्थात् संगठन का अपना हिस्सा)
8. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान / सहायता

क्र.सं.	फाइल संख्या (संस्कृति मंत्रालय का सन्दर्भ)	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत अनुदान	प्राप्त अनुदान

9. निम्नलिखित से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान/सहायता :

i) भारत सरकार का कोई विभाग/मंत्रालय

ii) राज्य सरकार

iii) कोई अन्य स्रोत

10. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने अपेक्षित हैं, अन्यथा अनुदान हेतु प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

i) राज्य सरकार की सिफारिश

ii) प्रत्येक मद के संबंध में विस्तृत प्राक्कलनों वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। ये परियोजना रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उनका अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की मौजूदा दर्शक रूप–रेखा तथा परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी रूप–रेखा में अनुमानित परिवर्तनों को भी संलग्न किया जाना चाहिए।

iii) गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा विवरण की प्रतियां।

iv) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट/कार्यकलाप रिपोर्ट।

v) लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित योजना तथा प्राक्कलन।

vi) संग्रहालय, वीथियों तथा कला वस्तुओं के फोटो।

vii) संग्रहालय के ब्यौरे (अनुबंध क–I)

viii) प्रपत्र–ख, क्या संरक्षण प्रयोगशाला के लिए सहायता मांगी गई है

ix) प्रपत्र–ग, क्या संरक्षण परियोजना के लिए सहायता मांगी गई है

x) नियम 209(1) सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।

xi) बंध–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)

xii) बैंक में सीधे अनुदान भेजने का प्राधिकार–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।

xiii) दर्शकों की अभ्युक्तियों की प्रतिलिपियाँ। उपर्युक्त के अलावा, विश्वविद्यालय/गैर–सरकारी संगठनों/निजी संग्रहालयों आदि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपेक्षित हैं :–

   i) जिला प्राधिकारी (उपायुक्त/कलेक्टर) की सिफारिश।

   ii) संबंधित संस्थान के संगम–ज्ञापन की प्रति।

   iii) सोसायटी/न्यास के नियमों/उप–नियमों की प्रति।

   iv) पंजीकरण प्रमाण–पत्र

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक :

स्थान :

राज्य सरकार के संग्रहालयों से संबंधित विभाग की सिफारिश

(कोई भी भाग रिक्त न छोड़ा जाए)

1. ———————————————————————— का आवेदन–पत्र उस जिले के उपायुक्त/कलेक्टर की रिपोर्ट/टिप्पणियों के आधार पर अग्रेषित और संस्तुत किया जाता है जिस जिले में संग्रहालय विशेष स्थित है (राज्य सरकार के संग्रहालय को छोड़कर)। उपायुक्त की रिपोर्ट/टिप्पणियां भी संलग्न हैं।
2. संस्थान की स्थिति
3. भूमि की स्थिति जहां संग्रहालय स्थित है
4. आवेदन–पत्र की जॉच की गई है और उसे पात्र पाया गया है
5. जिन मदों के लिए अनुदान माँगा गया है, उनके संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियाँ
6. अपना हिस्सा तथा अपेक्षित शेष राशि, यदि कोई हो, जुटाने के लिए संस्थान/संगठन द्वारा किए गए वित्तीय प्रबंध।

तारीख :
स्थान :

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
आवेदन पत्र की सिफारिश करने वाले
अधिकारी की रबड़ मोहर

अनुबंध – क–1

1.	अधिकारी का नाम व पदनाम जो संग्रहालय का प्रशासनिक नियन्त्रक हो (पूरा पता एवं टेलीफोन नम्बर, फैक्स, ई–मेल आदि)	
2.	क्या संग्रहालय का अपना भवन है? यदि हां तो कला वस्तुओं के लिए उपलब्ध कुल फर्श, दीवार क्षेत्रफल	
3.	संग्रहालय के मुख्य खण्डों के नाम तथा वीथियों की संख्या और उनका क्षेत्रफल	
4.	प्रदर्शों की कुल संख्या और उनका स्वरूप। क्या मूल है या प्रतिकृति ?	
5.	आरक्षित भण्डार में रखे गए प्रदर्शों का ब्यौरा क्या उक्त उल्लिखित मदों की कोई वर्गीकृत माल–सूची है।	
6.	क्या कला वस्तुओं का क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया गया है या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इसकी छूट प्राप्त की गई है।	
7.	प्रवेश शुल्क, यदि कोई हो, की दर और देखने का समय तथा साप्ताहिक अवकाश, टिकटों से वार्षिक आय	
8.	दशर्कों की रूपरेखा का ब्यौरा	
9.	नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा तथा उपलब्ध गाइडों की संख्या	
10.	मदवार वार्षिक बजट और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का व्यय	
11.	संगठन की वार्षिक आय और आय का स्रोत	
12.	ऑडिटोरियम आदि जैसी अन्य कोई सुविधा	

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
रबड़ की मोहर

प्रपत्र–'ख'

(प्रपत्र 'क' के साथ जोड़ा जाए)

संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने/उन्नयन करने हेतु परियोजना

1. संग्रहालय का नाम
2. शहर
3. जिला
4. राज्य
5. संग्रह का स्वरूप
6. संग्रह की कुल संख्या
7. संग्रह का महत्व
8. प्रयोगशाला के लिए उपलब्ध प्रशिक्षित स्टाफ संरचना
9. उपस्कर की जांच सूची (कृपया संलग्न सूची में अपेक्षित मदों की संख्या पर सही का निशान लगाएं)
10. प्रयोगशाला में पहले ही पूरे कर लिए गए संरक्षण कार्य की प्रकृति पर रिपोर्ट
11. संस्तुतकर्त्ता अधिकारी की अभ्युक्तियां

संग्रहालय में एक संरक्षण प्रयोगशाला में अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य उपस्कर

संग्रह का स्वरूप

तैल चित्र

इलेक्ट्रिक हॉट, स्पेटूला, पीएच मीटर, बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, अल्ट्रावायलेट लैम्प, इन्फ्रा–रेड व्यूअर, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, स्प्रे गन, वर्क टेबल्स 8 X 4 फीट, थर्मो हाइग्रोग्राफ, व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर, लक्स मीटर, यूवी मॉनीटर, भौतिक रसायन तराजू, हॉट–प्लेट, इलेक्ट्रिक ओवन, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर।

धातुएं

अल्ट्रासोनिक क्लीनर, विब्रो औजार, दंत–औजार, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, थर्मो हाइग्रोग्राफ, व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर, भौतिक रसायन तराजू, इलेक्ट्रिक ओवन, हॉट–प्लेट, रेफ्रिजरेटर, टेबल लैम्प, कैमरा एवं उपांग, धूम्र निष्कर्षक।

कपड़े

धुलाई मेज, वस्त्र स्टैण्ड, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, थर्मों हाइग्रोग्राफ, रेफ्रिजरेटर, टेबल लैम्प, कैमरा एवं उपांग, व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर, भौतिक रसायन तराजू, इलेक्ट्रिक ओवन, हॉट प्लेट, वैक्यूम कलीनर, लक्स मीटर, यू वी मानीटर,

धूम्रीकरण चैम्बर (कीटनाशक एवं फंफूदीनाशक)।

कागज

लाइट टेबल, हस्तचालित प्रेस, हीट लैमिनेटिंग मशीन, पेपर काटने की मशीन, धूम्रीकरण चैम्बर (कीटनाशक एवं फंफूदीनाशक), रेफ्रिजरेटर, टेबल लैम्प, कैमरा एवं उपांग, हॉट प्लेट, लक्स मीटर, यूवी मॉनीटर, धूम्र निष्कर्षक।

काष्ठ

धूम्रीकरण चैम्बर (कीटनाशक एवं फंफूदीनाशक), रेफ्रिजरेटर, टेबल लैम्प, कैमरा एवं उपांग, आई आर लैम्प, वैक्यूम संसेचक उपस्कर, धूम्र निष्कर्षक।

प्रपत्र – 'ग'

(प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न परिशिष्ट)

संरक्षण परियोजना रिपोर्ट

- संग्रहालय का नाम
- संग्रहालय का स्थान राज्य ——————————-------
- केन्द्र/राज्य/स्वायत्त/निजी/विश्वविद्यालय/सोसायटी और अन्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संग्रहालय
- उपचार अपेक्षित संग्रह का स्वरूप
- उपचार अपेक्षित वस्तुओं की मीडियम–वार संख्या (कृपया सही का निशान लगाएं)

चित्र	
रेखाचित्र	
मूर्तिया	
सजावटी कलाएं	
वस्त्र	
टेराकोटा	
अस्त्र	
मानव विज्ञान	
कोई अन्य	

- संरक्षक/रेस्टोरर/तकनीकी सहायक की सामान्य रिपोर्ट
- प्रस्तावित कार्रवाई का तरीका
- क्या परियोजना कार्य राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर/विशिष्ट
- संरक्षण प्रयोगशाला में ली जा सकती है।
- परियोजना का बजट प्राक्कलन
- संबंधित संग्रहालय का वित्तीय योगदान
- अन्य कोई वित्तीय संसाधन
- अन्य कोई सुझाव

हस्ताक्षर, नाम व पदनाम एवं
संगठन की मोहर

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के नियम 209 (1) के अनुसार प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ——— (संगठन का नाम) ने इसी प्रयोजनार्थ या कार्यकलाप हेतु भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं किया है न ही उसके लिए आवेदन किया है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
रबड़ की मोहर

स्थान :
तिथि :

16

नए विज्ञान शहरों और विज्ञान केंद्रों को स्थापित करने संबंधी संशोधित मानदंड/दिशा निर्देश

विज्ञान शहर

1. पृष्ठ भूमि

देश में विज्ञान शहर स्थापित करने के लिए, वर्तमान मानदण्डों पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसने हर दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच की, विशेष रूप से, वर्तमान विज्ञान शहर, कोलकाता के लंबे अनुभव को जांच के समय ध्यान में रखा गया। अंत में, समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि देश में विज्ञान की स्थापना के लिए संशोधित व्यवस्थित मानदंडों की आवश्यकता है। तद्नुसार, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान परियोजना और उनके लिए धन की व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित संशोधित मानदंडों का सृजन करता है :–

2. अवधारणा

अवधारणा के अनुसार, विज्ञान शहर, विज्ञान केंद्र के समान ही होगा। फिर भी, यह अपने आयाम में, विज्ञान के अग्रगामी क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी की ओर केंद्रीभूत तथा आर्थिक रूप से आत्म–निर्भर होगा। इसकी अवधारणा इस प्रकार से विकसित की जाएगी कि दर्शक इसमें अपना लंबा समय व्यतीत कर सकेंगे।

3. मुख्य उद्देश्य

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उद्योग जगत तथा मानव कल्याण में उनके उपयोग को इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रूझान का विकास एवं सृजन हो सके तथा मनुष्यों में एक सामान्य जागरूकता पैदा की जा सके तथा उसको निरंतर अक्षुण्ण रखा जा सके।

(ii) प्रदर्शनियों, सेमीनारों, लोकप्रिय व्याख्यानों, विज्ञान शिविर और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों से, विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों के लाभ के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार/प्रसार करना।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वातावरण का संवर्धन और जन सामान्य की समझ को बढ़ाना।

(iv) विद्यालय और कॉलेजों में दी जाने वाली पूरक विज्ञान शिक्षा और विद्यार्थियों के मध्य, वैज्ञानिक परख और रचनात्मकता की भावना उत्पन्न करने के लिए, विद्यालय–ब्राह्य, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को आयोजित करना।

(v) विज्ञान की शिक्षा/विज्ञान को लोक प्रिय बनाने के लिए संग्रहालय/प्रदर्शों, प्रदर्शन उपकरणों और वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्रियों को डिजाइन करना, विकसित करना व उनका निर्माण करना।

(vi) विज्ञान शिक्षकों/विद्यार्थियों/युवा उद्यमियों/तकनीशियनों/विकलांगों/गृहणियों और अन्य लोगों के लिए, विज्ञान के विशिष्ट विषयों प्रौद्योगिकी और उद्योग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

4. सारांश

विज्ञान शहर की प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं और इसके कार्यकलाप, वैज्ञानिक मूल्यों और प्रस्तुतीकरण की नवीनता का उचित मिश्रण होगा जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के आम व्यक्ति को आकर्षित करने की क्षमता होगी। यह दर्शकों को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करेगा। इनका निर्माण अधोलिखित मुख्य क्षेत्रों में किया जाएगा :–

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रत्यक्ष जानकारी :

- विज्ञान प्रदर्शन हॉल जिसमें वृहत फार्मेट की फिल्में, 3 डी विजन फिल्मों, वास्तविक सदृश अनुभवों, अनुरूपकों व अन्य अनेक उच्च तकनीक वाली प्रणालियों जैसे पारस्परिकता व अनुभव आधारित तथा पूर्ण ध्यान आकर्षित करने वाले प्रदर्शो के माध्यम से रूचिकर व मनोरंजन विषयगत प्रस्तुति से विज्ञान व प्रौद्योगिकी अग्रणी क्षेत्रों व समाज पर उनके प्रभाव की जानकारी देने की व्यवस्था है। भारतीय प्रयास को प्रकाश में लाया जाएगा। बृहद समाज पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो धनात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, उनको प्रकाश में लाने के लिए एक क्षेत्र को चिन्हित किया जा सकता है।
- प्रदर्शित वस्तुएं अपने मूल स्वरूप में विविध विषयक होनी चाहिए और देखते ही मस्तिष्क में प्रभाव डालने वाली उस सीमा तक होनी चाहिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संभावित, अग्रगामी स्थिति को प्रदर्शित करने में समर्थ हों। विषयों को हमेशा के लिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों की खोज सामने आने पर, वे कुछ समय के बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर भी, वर्तमान संदर्भ में, नैनो–प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष मिशन, बायो प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्र, फोटोनिक्स और आप्टिकल फाइबर्स, कम्प्यूटर, भू–विज्ञान, मानव शरीर, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो सूचना शिक्षा, भारी उद्योग, कृषि, पर्यावरण आदि पर विचार किया जा सकता है।
- कारपोरेट निकायों,, अनुसंधान और विकास संस्थानों, वैज्ञानिक विभागों आदि के लिए संबंधित प्रचालन क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित मूलभूत ढाँचा प्रदान किया जाएगा।
- एक बहुउद्देश्यीय प्रयोगों–अर्थात् विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों और विज्ञान फिल्म दिखाना, शैक्षिक, सांस्कृतिक/औद्योगिक/कारपोरेट कार्यक्रमों को आयोजित करना आदि के लिए 600–1000 सीटों वाले सभागार का निर्माण प्रस्तावित है। सभागार की क्षमता, विज्ञान शहर की प्रतिवर्ष 10 लाख दर्शकों के आगमन के आधार पर निश्चित की गई है।

दूसरे संस्थानों को, यहॉ पर किराया भुगतान करके अपने कार्यक्रमों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें सभागार को नियमित रूप से चलाने और प्रचालन जिनमें बिजली के बिल का भुगतान, नगरपालिका का कर संबंधी सभी व्यय आदि शामिल होंगे। यद्यपि, राज्य सरकारों से इस संबंध में, छूट की दरों से बिजली देने और गैर–वाणिज्यिक कर के आश्वासन हेतु प्रयास किए जायेंगे, ऐसे कार्यक्रमों को करने वाले व्यवस्थापकों को सभी कर और स्वामित्व कर वहन करने होंगे।

ख) प्रयोग और पाठ्यक्रम पूरक :

- पारस्परिकता वाले प्रदर्श जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांतों का, रूचिकर और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

- एक सर्व सुलभ प्रयोगशाला जिसमें दर्शकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में अलग–अलग प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होंगे। ये प्रयोग वे स्वयं अपने आप से या विषय के विशेषज्ञों के मार्ग–दर्शन में कर सकेंगे।

(ग) भवन–बाह्य (चहारदीवारी के बाहर) विज्ञान सीखना :

भवन के बाहर, गैर पारंपरिक ढंग से विज्ञान की शिक्षा देने के लिए एक भव्य विज्ञान पार्क को विकसित किया जाएगा। आउटडोर प्रदर्श आंतरिक विषयगत प्रस्तुतियों सं संबंधित होंगे।

(घ) दर्शकों के मनोरंजन की सुविधाएं :

इस क्षेत्र में जल निकाय, प्राकृतिक पगडण्डी, सड़क, रेलगाड़ियों, जलस्रोतों, खाद्य विक्रय केंद्रों, उपहार और स्मृति चिन्हों की दूकानों, भोजनालयों, विश्राम गृहों और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल होगी जिससे केवल दर्शकों की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी बल्कि, उनको लंबे समय तक रोक कर रख सकेंगी।

5. पात्रता के मानदंड और मूल भूत ढाँचा :

(i) विभिन्न स्तरों के वर्गों की मांग के दृष्टिकोण से, देश में कुछ नए विज्ञान शहरों को विकसित किया जा सकता है। विज्ञान शहर या तो राज्य की राजधानी या राज्य के ऐसे महत्वपूर्ण शहर जिसकी आबादी उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की आबादी सहित 50 लाख हो, में होना चाहिए।

(ii) विज्ञान शहर की अवस्थिति का निश्चय करते समय, पहला विचार यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वह कम से कम 10 लाख दर्शकों को प्रतिवर्ष आकर्षित कर सके।

(iii) विज्ञान शहरों की स्थापना, वरीयता पूर्वक केवल उन्हीं स्थानों पर की जाएगी, जहां पर कोई मुख्य विज्ञान केंद्र पहले से ही मौजूद नहीं है।

(iv) राज्य सरकार, अधोलिखित मूलभूत ढाँचा, बिना किसी मूल्य लिए ही प्रदान करेगी :

(क) शहर के बीच में और आसानी से पहुँच वाली पूर्ण रूप से विकसित कम से कम 25 एकड़ भूमि; यद्यपि, सभी प्रदर्शों के प्रति न्याय की दृष्टि से, जिनको खुले मैदान की आवश्यकता होती है, 30 एकड़ भूमि के लिए वरीयता दी जाएगी।

(ख) सड़कों का परस्पर संपर्क, सुगम प्रवेश,

(ग) दूरसंचार सुविधाएं,

(घ) बिजली की नियमित पूर्ति, जलापूर्ति आदि।

(ड.) गंदे जल की निकासी और स्टॉम वॉटर निकासी प्रणाली,

(च) परिवहन की पर्याप्त जन/निजी सुविधाएं।

(v) राज्य सरकारें और उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित सोसायटी/प्राधिकारी समूह केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

राज्य सरकार, जल, बिजली, स्थानीय कर आदि के लिए, शैक्षणिक संस्थानों की तरह, छूट वाली दरों में भुगतान करने के लिए भी उचित प्रावधान करेगी।

6. प्रदर्शनी का क्षेत्रफल :

(क) भवन के अंदर प्रदर्शनियों के लिए भूमि क्षेत्रफल

(अ)	विज्ञान प्रदर्शन हाल –	10000 वर्ग मीटर
(ब)	खुली प्रयोगशाला और पारस्परिक प्रदर्श हाल –	2500 वर्ग मीटर
(स)	प्रवेश प्लाज़ा और दर्शकों की सुविधाएं –	1500 वर्ग मीटर
	कुल योग :	14,000 वर्ग मीटर

(ख) बाह्य प्रदर्शन :

(क) विज्ञान पार्क 4,000 वर्ग मीटर

स्थायी मूलभूत ढाँचा विकसित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्मित और खुले क्षेत्रफलों का अनुपात 15:85 रहे जिससे कि दर्शकों को किसी एक विशेष स्थान पर ही सीमित होकर न रह जाना पड़े और वर्ष के उन विशेष दिनों की भीड़ के समायोजन के लिए पर्याप्त स्थान रह सके। भविष्य में किसी भी विस्तार के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। भूमि के एक भाग को वाणिज्यिक क्षेत्र की तरह विकसित किया जा सकता है, जिसको, विज्ञान शहर की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से दूसरे अभिकरणों (एजेंसियों) को किराए पर दिया जा सकता है।

7. समय अनुसूची :

विज्ञान शहर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कुल समय 48 माह होगा। पहले चरण में, विज्ञान अन्वेषण हाल, जिसमें एक वृहद प्ररूप चल–चित्र प्रक्षेपण इकाई, एक घूर्णनन अनुरूपी और एक 3–डी दृश्य मंच की स्थापना प्रवेश प्लाज़ा के साथ–साथ की जाएगी। इससे, तत्काल, राजस्व की प्राप्ति में और बाद में, कारपोरेट निकायों की सहभागिता में सहायता मिलेगी।

8. वित्तव्यवस्था (2005 की कीमतों पर आधारित) :

नई विज्ञान शहर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण लागत का अनुमानित व्यय 50.00 करोड़ रूपए है। फिर भी, किसी व्यक्तिगत परियोजना का विस्तृत ब्यौरा, निर्माण–स्थल की स्थिति, भवन के मानचित्र और निर्माण की स्थानीय कीमतों के आधार पर तैयार किया जा सकता है। व्यय की विभिन्न मदों का एक सुझावपरक ब्यौरा अधोलिखित रूप में दिया जा रहा है :

(अभ्युक्तियाँ : मदों की कीमत करोड़ रूपयों में दी गई है)

(i) भवनों और अन्य निर्माण कार्यों में व्यय :

(क)	भूमि की कीमत 00.00 वैचारिक, राज्य सरकार, परियोजना के लिए अपने हिस्से के रूप में बिना मूल्य प्रदान करेगी	=	0.00
(ख)	विज्ञान शहर भवन 14,000 वर्ग मीटर, जिसमें आंतरिक (भवन के अंदर) प्रदर्शनी हाल रू. 13,500 प्रति वर्ग मीटर	=	18.90

(ग)	कार / बस खड़ी करने की जगह / अंदर की सड़के / भू–परिदृश्य / जल निकाय / चार दीवारी	=	0.70
(घ)	वातानुकूलन / ऊष्मारोधन / ध्वनिकता	=	2.00
(ड.)	ट्रान्सफार्मर (2 एम डब्ल्यू) यूपीएस / डी.जी.सेट	=	0.70
(च)	कुर्सियां / कार्पेट	=	0.20
(छ)	योजना, पर्यवेक्षण और परामर्श शुल्क	=	1.00
	उप–योग	**=**	**23.50**
(ii)	**प्रदर्शों, उपकरणों और भंडारगृहों पर व्यय :**		
(क)	बृहद प्ररूप चलचित्र प्रक्षेपण इकाई, सहायक उपकरणों सहित	=	6.00
(ख)	अनुरूपक / 3डी चलचित्र मंच	=	2.00
(ग)	प्रदर्श और कला वस्तुएं		
	(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, की जानकारी हेतु विषयगत प्रदर्श।	=	6.60
	(ii) प्रयोग कार्य और पाठ्यक्रम पूरक के लिए पारस्परिकता वाले प्रदर्श	=	1.40
(घ)	प्रक्षेपण–उपकरण, श्रव्य–दृश्य, विद्युतीय संस्थापन आदि		
	(i) आंतरिक और बाह्य प्रद्रर्शन क्षेत्रों के लिए विद्युतीय, संस्थापन, कैम्पस प्रकाश व्यवस्था, बाह्य पी.ए. प्रणाली	=	2.00
	(ii) सभागार के लिए एवी और प्रक्षेपण उपकरण	=	1.00
	(iii) प्रदर्शों के लिए कम्प्यूटर, प्लाज्मा टीवी, अंकीय प्रक्षेपण उपकरण आदि	=	3.00
(ड.)	विविध उपकरण :		
	i) खुली प्रयोगशाला के लिए उपस्कर और उपकरण	=	1.00
	ii) कार्यशाला के औजार और मशीनें	=	0.50
(च)	योजना, मानचित्र और विकास की लागत	=	1.00
(छ)	प्रदर्शों की लागत सहित विज्ञान पार्क के विकास की लागत	=	1.00
(ज)	श्रमिक घटक का पूँजीकरण	=	1.00
	उप–योग	**=**	**26.50**
	योग	**=**	**50.00**

iii. उपर्युक्त मद (ii) में विदेशी आदान–प्रदान घटक शामिल है

(क)	वृहद प्ररूप चलचित्र प्रक्षेपण इकाई, सहायक उपकरणों सहित	=	6.00
(ख)	अंतरिक्ष कैपसूल (अनुरूपक)	=	2.00
(ग)	विविध, अन्य उपकरण	=	0.5
	योग	**=**	**8.50**

iv) विदेशी विशेषज्ञों के लाने या विदेशी सुविज्ञता के क्रय करने में कोई भी विदेशी आदान–प्रदान शामिल नहीं है। उपर्युक्त अनुमान केवल बजट के उद्देश्यों के लिए है और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए विस्तृत लागत मूल्यों के अनुमानों को, परियोजनाओं के मास्टर योजनाओं के तैयार होने के बाद, आकलित कर लिया जाएगा।

9. धन–व्यवस्था

(i) नए विज्ञान शहरों के लिए केंद्रीय सरकार की आर्थिक भागीदारी, केवल 30.00 करोड़ रू. तक सीमित रहेगी (50.00 रू. का 60 प्रतिशत)।

(ii) विज्ञान शहर की स्थापना के लिए शेष धन 20.00 करोड़ और 25 एकड़ भूमि की व्यवस्था, राज्य सरकार, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु करेगी। राज्य सरकारों के 20.00 करोड़ रू. का सहयोग स्वयं उनके द्वारा या किसी प्राइवेट कारपोरेट अभिकरणों या दोनों के संयुक्त प्रयास द्वारा पूरा किया जा सकेगा।

(iii) प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, राज्य सरकार, उस वर्ष के लिए (20.00 करोड़ का भाग) अपना हिस्सा पहले ही प्रदान कर देगी और केंद्रीय सरकार भी, अपने हिस्से का आनुपातिक भाग, एक बार में ही (50.00 करोड़ रू. के 60:40 के अनुपातिक दर के आधार पर) जारी कर देगी।

(iv) पूँजी व्यय की वर्षवार, चरण–सारिणी

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	**स्रोत**		**योग**
	भारत सरकार	**राज्य सरकार**	
प्रथम वर्ष	3.00	2.00	5.00
द्वितीय वर्ष	9.00	6.00	15.00
तृतीय वर्ष	11.00	6.00	17.00
चतुर्थ वर्ष	7.00	6.00	13.00
योग	**30.00**	**20.00**	**50.00**

10. प्रबंधन और परिचालन :

i) नए विज्ञान शहरों को, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई ऐसी सोसाइटियों द्वारा चलाया और

प्रबन्धित किया जाएगा, जिससे ये नए विज्ञान शहर, स्वतंत्र रूप से स्वायत्त शासित निकाय के रूप में कार्य कर सकें।

तकनीकी मार्ग दर्शन और प्रदर्शों के विकास में परामर्श और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में एनसीएसएम को सामान्य भुगतान किया जाएगा। इन सोसाइटियों को परियोजना के प्रारंभ होने के पूर्व ही बनाया जाएगा, जिससे वे मौद्रिक अनुदान केंद्र और राज्य सरकार, दोनों से प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, और प्राइवेट/कारपोरेट/औद्योगिक स्रोतों से वित्तीय सहायता तथा आर्थिक संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकें।

ii) सभी विज्ञान नगरों का सर्वोत्तम संभाव्य तरीकों से रख–रखाव किया जाएगा जिससे वे स्वयं ही, सभी परिचालनों को बनाए रखने के निमित्त, पर्याप्त धन का आगमन सुनिश्चित कर सकें। फिर भी, भविष्य के विकास के लिए पूँजी अनुदान को विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है। कारपोरेट निवेश का विचार दो रूपों में किया जा सकता है– या तो पूँजी अनुदान या, यदि यह नहीं आने की स्थिति में है तो सुविधाओं और मूलभूत ढाँचे के लगातार कई वर्षों के सदुपयोग से सृजित, राजस्व की सहायता से।

11. मंत्रालय के अनुमोदन संबंधी पूर्वापेक्षाएं :

i) **व्यवहार्यता रिपोर्ट :** किसी भी विज्ञान शहर की स्थापना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाते हैं। अध्ययन में यह सावधानीपूर्वक निश्चिय करना आवश्यक होगा कि क्या प्रस्तावित विज्ञान शहर में यह योग्यता/क्षमता है कि वह प्रतिवर्ष 10 लाख दर्शकों को आकर्षित सके और उसके आधार पर क्या उसमें ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेगा। व्यावसायिक परामर्श सेवादाताओं को, एनसीएसएम के सक्रिय सहयोग सहित, अध्ययन के कार्य में लगाया जाएगा। एनसीएसएम को परामर्श देने के लिए उचित शुल्क देय होगा।

ii) विज्ञान शहर में, यदि आवश्यकता पड़ती है तो, बाद के दिनों में, माड्यूल के लिए प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

12. परियोजना का कार्यान्वयन :

नई विज्ञान नगर परियोजना का कार्यान्वयन, उनके राज्यों द्वारा बनाई गई संबंधित सोसाइटियों द्वारा किया जाएगा। यदि एनसीएसएम से परामर्श लेने का प्रयास किया जाता है तो वह तकनीकी मार्ग दर्शन और मानचित्र, प्रदर्शन सामग्री के विकास और संस्थापन तथा उपकरणों के प्राप्त करने तथा उनके प्रचालन तक सीमित रहेगा। कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी, एनसीएसएम से परामर्श लेने का एक भाग होगा।

13. निगरानी :

विज्ञान शहर की परियोजना की निगरानी, भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार, उनके प्राइवेट/कारपोरेट भागीदार (यदि कोई हों), एनसीएसएम और शिक्षा–क्षेत्र के व्यक्तित्व, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र के कम से कम 5 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से संबंधित राज्यों द्वारा बनाई गई उच्च स्तर की सोसाइटियों द्वारा की जाएगी।

विज्ञान के केंद्र

1. प्रस्तावना

1970 के दशक के प्रारंभ में गठित विशेष कार्य बल ने विज्ञान योजना आयोग द्वारा संग्रहालयों के कार्यकलापों का मूल्यांकन किया और केंद्रों के विकास, निरंतर पोषण और इनके उचित प्रयोग के संबंध में बहुत सी सिफारिशें की। इससे यह बात प्रकाश में आई कि विज्ञान संग्रहालयों में, विज्ञान के प्रति जागरूकता और लोगों में वैज्ञानिक रूझान पैदा करने की अपार क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ, विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रो के विकास के लिए 3 स्तरों– राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर विज्ञान संग्रहालय/केंद्रों की स्थापना, देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों की सेवा के संबंध में थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने के समय में यह अनुभव किया गया कि यद्यपि उत्तर–पूर्वी राज्य अपने आकार–प्रकार में छोटे हैं, फिर भी उनकी विशिष्ट पहचान राज्य के रूप में थी। परिणामस्वरूप, इन केंद्रों को उपक्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों का नाम दिया गया। वर्तमान समय में बहुत से नामकरण उपलब्ध हैं जो विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों को वर्गीकृत करते हैं। ऐसे भिन्न–भिन्न नामकरण राज्य सरकारों या अन्य अभिकरण, जो विज्ञान केंद्रों की स्थापना में रूचि रखते हैं, उन्हें दुविधा में डाल सकते हैं। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि विज्ञान केंद्रों के विभिन्न नामकरणों के स्थान पर, अकेला शीर्षक **"विज्ञान केंद्र"** पर विचार किया जा सकता है और विज्ञान केंद्र स्थापना करने के मानदंडों को उस स्थान की जनसंख्या, जहॉ पर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, के आधार पर तैयार किया जाए। संस्कृति मंत्रालय ने, विज्ञान केंद्र परियोजना और उनकी धन–व्यवस्था के लिए, अधोलिखित संशोधित मानदंडों को बनाया है :–

2. उद्देश्य

विज्ञान केंद्र के मूल रूप से अधोलिखित उद्देश्य होंगे :–

- इस उद्देश्य से विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास व उद्योग तथा मानव कल्याण में उसके उपयोग को प्रस्तुत करना कि लोगों में वैज्ञानिक रूझान व सोच विकसित की जा सके और उसमें सामान्य जागरूकता का सृजन व समपोषण किया जा सके।
- उस क्षेत्र के विद्यार्थियों और सामान्य व्यक्तियों में, प्रदर्शनियां, सेमीनार, प्रसिद्ध प्रवचनों, विज्ञान कैम्पों और बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।
- विद्यार्थियों को विद्यालयों और कॉलजों में दी जाने वाली विज्ञान की शिक्षा के पूरक के रूप में, विद्यालय के बाहर के शिक्षा संबंधी कार्यकलाप, जो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जाँच–परख की भावना और रचनात्मकता को बढ़ाएँ, के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना।
- विज्ञान संग्रहालय के प्रदर्शों को रेखांकित, विकसित और रूपांकित करना, विज्ञान शिक्षा के उपकरणों और वैज्ञानिक शिक्षण सामग्री को प्रयोग में लाकर प्रदर्शित करना तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाना।
- विज्ञान शिक्षकों/विद्यार्थियों/युवा उद्यमियों/तकनीशियनों/विकलांगों/गृहणियों तथा अन्य बहुत से लोगों के लिए विज्ञान के विशिष्ट विषयों, प्रौद्योगिकी और उद्योग पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

3. अवधारणा

एक विज्ञान केंद्र, संपूर्ण मानव समुदाय में जानकारी विषयक जाँच–परख की भावना को जागृत करना, रचनात्मक प्रतिभा को पोषित करना और वैज्ञानिक मनोदशा का निर्माण करने के लिए प्रयोग पर आधारित सीखने की लालसा को उत्पन्न करता है। इसके दो–मुखी संवाद चैनलों से, विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ है– प्रदर्श और कार्यकलाप।

जबकि, प्रदर्श, आंतरिक और बाह्य–दोनों, अधिकाशतः परस्पर आश्रयी हैं, प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करके दिखाने वाले और शिक्षण कार्यक्रम भी, पूर्णरूप से सहयोगी हैं और इनसे बच्चे और वयस्क, समान रूप से, आनंद और मनोरंजन के माध्यम से विज्ञान के मौलिक स्वरूप को समझने मे सहायता प्राप्त करते हैं। विज्ञान को, सर्वोत्तम रूप में, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से समझा जाता है। विज्ञान की शिक्षा, इसलिए, आवश्यक रूप से सामने प्रस्तुत, प्रयोगशीलता पर आधारित होनी चाहिए और पाठ्य–पुस्तकों के अध्ययन की परिसीमा में बंधकर नहीं रह जाना चाहिए। देश में वैज्ञानिक निरक्षरता को देखते हुए भारत में यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे रूप में, व्यवहारिक सुविधाओं के माध्यम से 'विज्ञान को करना' जैसी संभावना को प्रशस्त करता है, जो दर्शकों को बहुत से प्रायोगिक विकल्प प्रस्तुत करती हैं, जिनके माध्यम से, वे अपने आप में वैज्ञानिक अवधारणा की खोज कर सकते हैं। हमारे देश में औपचारिक विज्ञान शिक्षा के पूरक के रूप में, शिक्षा का ऐसा तरीका बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है।

4. वास्तविक और वित्तीय आवश्यकताएं

श्रेणी – I

(क) : एक शहर/कस्बा, जिसकी जनसंख्या 15 लाख या उससे अधिक है, में स्थापित विज्ञान केंद्र

(i) भूमि :

कम से कम 7 एकड़ विकसित भूमि (जिसमें बिना किसी निचले क्षेत्र और समुचित समतल आकार को वरीयता दी जाएगी) राज्य सरकार द्वारा बिना मूल्य प्रदान की जाएगी।

(ii) पूँजी–व्यय :

8.50 करोड़ रू. जिसमें से 4.25 करोड़ रू. राज्य सरकार प्रदान करेगी और भारत सरकार, सम अनुदान के बराबर, पूँजी व्यय के अनुसार प्रदान करेगी। व्यय में, भवन का निर्माण, विज्ञान पार्क का विकास, प्रदर्शों की सजावट और स्थापना, तारामंडल की स्थापना, शिक्षा के कार्यकलापों का संवर्धन, चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाई आदि समाहित रहेंगे। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए 4.25 करोड़ रूपये सहित 7 एकड़ भू–खंड का प्रबंध, बिना मूल्य राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार की 4.25 रूपये की सहयोग राशि का प्रबंध स्वयं सरकार द्वारा या प्राइवेट/कारपोरेट अभिकरण या इन दोनों के संयुक्त प्रयास से किया जा सकता है।

(iii) लागत का विस्तृत ब्यौरा (रूपये करोड़ में)

परियोजना की संपूर्ण लागत : 8.50

1. भवन

–	(मुख्य भवन, जिसमें निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर, सिविल, निर्माण जिसमें नल–पाईप व सेनेटरी कार्य शामिल हैं)	=	4.00
–	विद्युतीय कार्य, जिसमें वातानुकूलन शामिल है	=	0.18
–	लिफ्ट और अग्निशमन	=	0.16
–	सभागार के लिए कुर्सियां	=	0.02
–	वास्तुकार शुल्क	=	0.14
	योग	**=**	**4.50**

2. वीथी प्रदर्श

– तीन विषयगत वीथियां	=	2.00
– विज्ञान पार्क (लगभग 11200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, परिपथ और आवश्यक प्रदर्श	=	0.60
– इनफ्लैटेबिल डोम प्लैनीटैरियम सिस्टम (तारामंडल)	=	0.05
– पूर्णरूप से परिचालित प्रदर्शों को संवर्धित करने वाली प्रयोगशाला	=	0.10
– चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाई, बस एवं संबंधित प्रदर्शों सहित	=	0.40
– अन्य सुविधायें जैसे पुस्तकालय, सभाभवन, भंडारगृह और कार्यालय आदि सभी आवश्यक मूलभूत ढॉचों सहित	=	0.40
– भर्तीशुदा कर्मचारियों के, प्रशिक्षण और अन्य व्यय	=	0.50
– 3डी थिएटर सुविधा	=	0.40
योग	**=**	**4.00**
महायोग	**=**	**8.50**

IV. पूंजीगत व्यय के वर्षवार चरण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	स्रोत		योग
	भारत सरकार	राज्य सरकार	
प्रथम वर्ष	1.50	1.50	3.00
द्वितीय वर्ष	2.00	2.00	4.00
तृतीय वर्ष	0.75	0.75	1.50
योग	**4.25**	**4.25**	**8.50**

V. आवर्ती व्यय :

आवर्ती व्यय पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में, एक विज्ञान केंद्र के लिए औसत वार्षिक व्यय 55.00 और 65.00 लाख रूपये के बीच है। केंद्र के रख–रखाव और वर्ष पर्यन्त कार्यकलापों के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रावधान, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

VI. परिचालन :

विज्ञान केंद्र का परिचालन और रख–रखाव राज्य सरकार द्वारा, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। सोसाइटी का गठन, राज्य सरकार द्वारा, परियोजना की पूँजी–लागत के हिस्से के रूप में निधि जारी करने के बाद ही तत्काल कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार और विज्ञान संग्रहालय की राष्ट्रीय

परिषद का एक प्रतिनिधि इस सोसाइटी या नियंत्रक परिषद का पदेन सदस्य होगा। सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगी कि विज्ञान केंद्र, अपने उद्‌देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप, बिना उससे विचलित हुए कार्य करता रहे। राज्य सरकार द्वारा, इस प्रकार गठित पंजीकृत सोसाइटी, आवश्यक 20 कर्मचारी सदस्यों के भर्ती की प्रक्रिया को अधोलिखित सारिणी के अनुसार पूरा करेगी :–

स्रोत :

VII- भर्ती की अनुसूची :–

क्र.सं.	**राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के तीन माह के अंदर चयनित करके नियुक्त करने हेतु**		**राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के एक वर्ष के अंदर चयनित और नियुक्त करने हेतु**	
01	संग्रहाध्यक्ष	02	सहायक (सामान्य)	01
02	शिक्षा सहायक	02	उच्च श्रेणी लिपिक	01
03	तकनीकी सहायक	01	कनिष्ठ आशुलिपिक	01
04	तकनीशियन	08	अवर श्रेणी लिपित	02
05	–	–	चालक	02
	योग	**13**	**–**	**07**
	महायोग	**20**		

केंद्र के लिए सोसाइटी द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय केंद्र विज्ञान संग्रहालय द्वारा दिया जाएगा।

VIII- समय– अनुसूची : विज्ञान केंद्र के संबंध में, केंद्र की स्थापना के लिए अपेक्षित समय 33 माह है।

IX- विषय– वस्तु :

भवन का निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर (लगभग) होगा, जिसका 1800 वर्गमीटर, प्रदर्शों के प्रदर्शन हाल (कमरे) के रूप में 1200 वर्गमीटर दर्शकों के कार्यकलाप के क्षेत्र के रूप में और शेष 1000 वर्गमीटर, प्रदर्शों की विकासशील प्रयोगशाला आदि के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। भू–तल के भावी विस्तार की संभावना का प्रावधान रखा जाएगा।

विज्ञान केंद्र में, सामान्य रूप से अधोलिखित वीथियां और सुविधाएं स्थापित की जाएंगी :

स्थायी वीथियां :–

- **विषयगत वीथियां :** केंद्र में दो विशयगत वीथियां होंगी। केन्द्र की वीथियां वैज्ञानिक महत्व और सामाजिक सरोकारों के भावों को प्रकट करने वाली, विविध विषयों से संबंधित होंगी। प्रदर्श अधिकांशतः परस्पर आश्रयी होंगी। इनमें, दृश्यों, उदाहरणात्मक और कलावस्तुओं को मिलाकर पूर्णता प्राप्त होगी। वीथियां विद्यार्थियों और सामान्य व्यक्तियों को सहज बोधगम्य रूप में, सभी यथार्तत विषयों के भिन्न–भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगी।
- **मनोरंजक विज्ञान :** इस वीथी में परस्पर आश्रयी प्रदर्श का एक समूह, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, विद्युत विज्ञान, जीवन विज्ञान, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी होंगे। प्रदर्श विद्यार्थियों

को पाठ्यक्रमों में सहायता और दर्शकों को विज्ञान सीखने में, मनोरंजन प्रदान करेंगे।

अस्थायी प्रदर्शनी हाल :

इस हाल में, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रदर्शों का प्रदर्शन, कुछ समय के अंतराल में और भिन्न–भिन्न अवसरों पर किया जाएगा।

आउटडोर विज्ञान पार्क

विज्ञान को चार दीवारी के बाहर प्रस्तुत किया गया है। परस्पर आश्रयी प्रदर्शों को, पार्क की, प्रचुर हरियाली में सौन्दर्यपूर्वक सजाकर रखा गया है। विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखने के समय, बच्चे उनके साथ खेल सकते हैं। जल निकाय, एवियरी, एनीमैलोरियम, जड़ी–बूटियों और चिकित्सीय पौधों का कोना, पिकनिक क्षेत्र आदि दर्शकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण हैं।

तारामंडल :

तारामंडल, खगोल विज्ञान की परस्पर आश्रयी शिक्षा प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। केंद्र में, कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा।

शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम :

केंद्र में नियमित रूप से, विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान, लोकप्रिय व्याख्यान, रचनात्मक योग्यता कार्यक्रम, टेलीस्कोप से आकाश का निरीक्षण, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान पहेली, विज्ञान सेमीनार, विज्ञान मेले, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, अंधविश्वास विरोधी कार्यक्रम, विज्ञान चित्र प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम, विद्यार्थियों, शिक्षकों और सामान्य व्यक्तियों के लिए आयोजित किए जाएंगे। इन उद्देश्यों के लिए एक प्रशिक्षण हाल और एक 150 कुर्सियों वाला सभा भवन प्रयोग में लाया जायेगा। यहॉ पर एक आदर्श विद्यालय विज्ञान केंद्र होगा जहॉ पर, विद्यार्थी, विज्ञान में प्रयोग और विज्ञान माडलों की सजावट के माध्यम से विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखेंगे और इनको शिक्षण की सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इससे विद्यालय में दी गई विज्ञान की औपचारिक शिक्षा में पूरक शिक्षा के रूप में सहायता प्राप्त होगी। इसमें बच्चों के कार्यकलाप के लिए भी एक कोना बनाया जाएगा।

प्रदर्श विकास की प्रयोगशाला :

भविष्य में, इसको प्रदर्शों के नियमित रख–रखाव और संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्रयोगशाला, औजारों, फिटिंग मशीनरी, बढ़ईगीरी, शीटमेटल, वेलडिंग, विद्युतीय, इलैक्ट्रानिक औरा चित्रकारी के कार्यो से संबंधित उपकरणों से लैस होगी।

चल विज्ञान प्रदर्शनी :

केंद्र की चल विज्ञान प्रदर्शनी बस, पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों की यात्रा करेगी और प्रासंगिक विज्ञान और पर्यावरणीय विषयों पर, वर्ष पर्यन्त, प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी।

अन्य सुविधाएं

कंप्यूटर प्रशिक्षण–कमरा, विज्ञान पुस्तकालय, सभागार, कार्यालय भण्डार गृह आदि।

कार्यक्रम अनुसूची		आर्डर देने की तारीख से
(क)	भवन का निर्माण	24 माह
(ख)	विज्ञान पार्क को विकसित करना	12 माह
(ग)	प्रदर्शों को सजाना	30 माह
(घ)	प्रदर्शों को स्थापित करना	03 माह
(ङ)	केन्द्र का खोलना	33 माह (लगभग)

(xi) धन की आवश्यकता :

विज्ञान केन्द्र परियोजना की पूंजी–लागत 8.50 करोड़ रूपये होगी, जिसको राज्य सरकार और भारत सरकार के मध्य, 50–50 के अनुपात में सहभागिता के आधार पर निश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार, विज्ञान केन्द्र द्वारा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के 60 दिनों के अन्दर, अपना 50% हिस्सा (4.25 करोड़ रूपये) जारी कर देगी।

सरकार से अदेयता प्रमाण पत्र :

विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अन्य विधिक अदेयता प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रधिकारियों के अनुमोदन, जो राज्य सरकार/अन्य निकायों आदि से सम्बंधित हैं, राज्य सरकार से प्राप्त करने होंगें।

श्रेणी–II

(ख) विज्ञान केन्द्र जो किसी शहर/कस्बे में, जिसकी जनसंख्या 5 और 15 लाख के मध्य है और वे जो किसी पहाड़ी भू–भाग द्वीप समूह क्षेत्र में हैं।

i) भूमि :

कम से कम 5 एकड़ (बिना किसी निचले तल के और समान आकार को वरीयता) विकसित भूमि, राज्य सरकार द्वारा बिना मूल्य, प्रदान की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीप समूह क्षेत्रों आदि के लिए 2.5 एकड़ स्वीकार्य होगी, बशर्ते, भूमि के आस–पास का क्षेत्र अच्छा हो।

ii) पूॅंजी–व्यय :

विज्ञान केन्द्र की पूॅंजी–लागत सामान्य रूप में, 2.60 करोड़ रूपये होगी। फिर भी, पहाड़ी भू–भाग, द्वीप समूह क्षेत्रों ओर पिछड़े हुए क्षेत्रों, जहां पर दुर्गम रास्तों के कारण, प्रवेश करना कठिन है, वहां पर, विज्ञान केन्द्री की पूंजी लागत 3 करोड़ रूपये होगी। राज्य सरकार 1.30 करोड़ रूपये की निधि की व्यवस्था (1.50 करोड़ रूपये, पहाड़ी, तराइयों, आइलैंड क्षेत्रों और पिछड़े हुए इलाकों के लिए) सहित 5 एकड़ का भूमि खण्ड, बिना मूल्य लिए हुए, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार की सहयोग राशि 1.30 करोड़ रूपये या 1.50 करोड़ रूपये जैसा भी मामला हो, स्वयं उसके द्वारा या प्राइवेट/कारपोरेट अभिकरण या दोनों के संयुक्त प्रयास से एकत्रित की जाएगी। पूॅंजी व्यय में, भवन निर्माण, विज्ञान पार्क का संवर्धन, प्रदर्शों की सजावट और स्थापना, तारामण्डल की स्थापना, शैक्षणिक कार्यकलापों का विकास आदि शामिल है।

iii) लागत का विस्तृत ब्यौरा :

परियोजना की सम्पूर्ण लागत : 2.60 से 3.00 करोड़ रूपये

यदि भूमि पहाड़ी भू–भाग में स्थित है तो लागत भिन्न हो सकती है।

भवन

–	(मुख्य भवन, 1024 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल, सिविल निर्माण सहित, जिसमें नल–पाइप व सैनेटरी शामिल है)	=	1.40
–	विद्युत कार्य, वातानुकूलन सहित	=	0.10
–	सभागार के लिए कुर्सियां	=	0.01
–	वास्तुकार शुल्क :	=	0.04
	योग	**=**	**1.55**

वीथी प्रदर्श :

–	दो विषयगत वीथियां :	=	0.90
–	विज्ञान पार्क (लगभग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, परिपथ और आवश्यक प्रदर्शों सहित	=	0.05
	इन्फलेटेबल डोम तारा मंडल प्रणाली (तारा मण्डल)	=	0.04
–	पूर्ण परिचालित, प्रदर्श विकास प्रयोगशाला :	=	0.04
–	अन्य सुविधाएं, जैसे–पुस्तकालय, सभागार, भण्डार गृह और कार्यालय आदि, सभी मूलभूत ढॉचागत आवश्यकताओं सहित :	=	0.01
–	भर्ती किए गए कार्मिकों का प्रशिक्षण और विविध व्यय :	=	0.01
	योग :	**=**	**1.05**
	महायोग :	**=**	**2.60**

iv) पूँजी–व्यय के वर्षबार चरण **(करोड़ रूपये में)**

स्रोत	**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**योग**
भारत सरकार	1.00	0.30	1.30
राज्य सरकार	1.00	0.30	1.30
योग	**2.00**	**0.60**	**2.60**

v) आवर्ती व्यय :

आवर्ती व्यय, सम्पूर्ण रूप में, राज्य सरकार वहन करेगी। वर्तमान समय में, एक विज्ञान–केन्द्र का वार्षिक आवर्ती व्यय औसत रूप में, 25.00 करोड़ रूपये और 30.00 करोड़ रूपये के मध्य है। विज्ञान–केन्द्र के रख–रखाव और वर्ष पर्यन्त कार्यकलापों के सम्बन्ध में, प्रत्येक वर्ष के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

vi) परिचालन :

विज्ञान केन्द्र का परिचालन और रख–रखाव, इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा परियोजना की अपनी, पूँजी लागत की हिस्सेदारी के रूप में, धन राशि जारी करने के तुरंत बाद में, सोसाइटी का गठन कर लिया जाएगा। भारत सरकार और विज्ञान संग्रहालयों की राष्ट्रीय परिषद का एक प्रतिनिधि, इस सोसाइटी या इसकी नियंत्रक परिषद का पदेन सदस्य होना चाहिए। सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि विज्ञान–केन्द्र का कार्य, इसके अपने उद्देश्य के अनुसार, बिना किसी विचलन (नियमों के विपरीत) के, सम्पन्न हो रहा है।

vii) भर्ती अनुसूची :

राज्य सरकार द्वारा, इस प्रकार बनाई गई सोसाइटी, अपेक्षित 09 कर्मचारियों की भर्ती–प्रक्रिया को, अधोलिखित तालिका के अनुसार, पूरा करेगी :

क्र.सं.	राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी करने के 3 माह के अन्दर भर्ती करके नियुक्त करने हेतु		राज्य सरकार द्वारा धन राशि जारी करने के एक वर्ष के अन्दर भर्ती करके नियुक्त करने हेतु	
01	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	अवर श्रेणी लिपिक	02
02	शिक्षा सहायक	01	चालक	01
03	तकनीशियन	04	–	–
	योग	**06**	**–**	**03**
	महायोग	**09**	**–**	**–**

केन्द्र के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य, राष्ट्रीय परिषद, विज्ञान संग्रहालय करेगी।

viii) समय अनुसूची :

विज्ञान–केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक समयः 27 माह (लगभग) है।

(ix) विषय– वस्तु :

भवन का निर्मित क्षेत्र 1024 वर्ग मीटर (लगभग) होगा जिसमें से 512 वर्ग मीटर क्षेत्र का इस्तेमाल प्रदर्श प्रदर्शन हॉल, 216 वर्ग मीटर क्षेत्र, दर्शक कार्यकलाप क्षेत्र तथा शेष 216 वर्ग मीटर क्षेत्र, प्रदर्श विकास प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए किया जाएगा। सामान्यतः भवन के समान क्षेत्रफल के 4 हॉल होते हैं। इनमें से 2 हॉलों का इस्तेमाल प्रदर्शनी हॉलों के लिए होता है, तीसरे हॉल में ऑडिटोरियम, तारामण्डल (गैर–सपाट, गुम्बद तारामण्डल), कम्प्यूटर प्रशिक्षण हॉल आदि होते हैं तथा चौथे हॉल का इस्तेमाल कार्यालय, भण्डार, सम्मेलन कक्ष/पुस्तकालय तथा वयस्क कार्यकलाप क्षेत्र के लिए होता है। सामान्यता विज्ञान केन्द्र में निम्नलिखित वीथियां व सुविधाएं होंगी :

स्थायी वीथियां :

- **विषय आधारित वीथी :** केन्द्र की मुख्य वीथी वैज्ञानिक महत्व के विषय तथा पर्यावरण, वन, प्राकृतिक संसाधन, स्वदेशी प्रौद्योगिकी जैसी सामाजिक प्रासांगिकता पर आधारित होगी जो स्थानीय संसाधनों तथा उनके उचित उपयोग की झलकी प्रस्तुत करेंगी। प्रदर्श, अधिकांशतः पारस्परिकता वाले तथा दृश्यों, चित्रों तथा कला वस्तुओं से युक्त होंगे।

- **मनोरंजन विज्ञान :** इस वीथी में शारीरिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भू–विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर पारस्परिकता वाले प्रदशों का समूह होगा। इन प्रदर्शों से विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या सहायता मिलेगी और साथ ही ये प्रदर्श, दर्शकों के लिए विज्ञान शिक्षण के लिए मनोरंजक सिद्ध होंगे।

आउटडोर विज्ञान पार्क : इसमें चार दीवारियों से बाहर विज्ञान प्रस्तुत किया जाएगा। पारस्परिकता वाले प्रदर्श पार्क की भरपूर हरियाली में सुन्दर ढंग से रखे जाएंगे। बच्चे इन प्रदर्शों से खेलने के साथ–साथ विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जल–भण्डार, पक्षीशाला, पशुशाला, जड़ी–बूटी व औषधि पादप खण्ड, दर्शकों के लिए पिकनिक क्षेत्र आदि इन वीथियों के अतिरिक्त आकर्षण हैं।

तारामण्डल :

गैर–सपाटीय गुम्बद तारामण्डल खगोल विज्ञान के पारस्परिक शिक्षण का उत्कृष्ट माध्यम प्रदान कर सकते हैं।

शैक्षिक व प्रशिक्षण कार्यक्रम :

केन्द्र, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम लोगों के लिए विज्ञान प्रदर्शन, व्याख्यान, लोकप्रिय विज्ञान, सृजनात्मक योग्यता कार्यक्रम, टेलीस्कोपों से नभ अवलोकन, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान सेमिनार तथा विज्ञान मेले, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय जागरूकता कार्यक्रम, अंध विश्वास विरोधी कार्यक्रम, विज्ञान फिल्म शो आदि जैसे शैक्षिक कार्यक्रम का नियमित आयोजन करेगा। इन प्रयोजनों से 150 सीटों वाले आडिटोरियम तथा प्रशिक्षण हॉल का इस्तेमाल किया जाएगा।

एक मॉडल स्कूल विज्ञान केन्द्र होगा जिसमें विद्यार्थी विज्ञान में प्रयोग व विज्ञान मॉडलों, जिनका इस्तेमाल शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जा सकता है, के निर्माण के माध्यम से विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्त सीखेंगे। इससे स्कूलों में दी जा रही औपचारिक विज्ञान शिक्षा की पूर्ति होगी। केन्द्र में एक बाल कार्यकलाप कोना भी होगा।

प्रदर्श विकास प्रयोगशाला :

इस प्रयोगशाला का इस्तेमाल भविष्य में प्रदर्शों के नियमित रख–रखाव तथा प्रदर्शों व किटों के विकास के लिए किया जाएगा।

अन्य सुविधाएं :

अस्थायी प्रदर्शनी हॉल, विज्ञान पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, कार्यालय, भण्डार आदि।

x) कार्यक्रम अनुसूची :

	कार्यक्रम अनुसूची	**आर्डर देने की तारीख से**
क	भवन का निर्माण	18 माह
ख	विज्ञान पार्क का विकास	12 माह
ग	प्रदर्शों का निर्माण	24 माह
घ	प्रदर्शों की स्थापना	03 माह (अन्य सुविधाएं पूरी करने के बाद)
ङ	केन्द्र खोलना	27 माह (लगभग)

xi) निधियों की आवश्यकता :

सामान्यतः विज्ञान केन्द्र के लिए पूंजीगत लागत 50 और 50 प्रतिशत के आधार पर भारत सरकार व संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राज्य सरकार अपना सम्पूर्ण हिस्सा, परियोजना के लिए सरकार की वचनबद्धता का पत्र मिलने के 60 दिन के भीतर तथा परियोजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जारी करेगी।

xii) सरकार से अदेयता प्रमाण–पत्रः

विज्ञान पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों/अन्य निकायों आदि द्वारा अपेक्षित सभी सांविधिक अनापत्तियां तथा अनुमोदन, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

विशेष नोट :

1. विज्ञान केन्द्र की भूमि एनसीएसएम के परामर्श व अनुमोदन से चुनी जाएगी।
2. विज्ञान केन्द्र के लिए निर्दिष्ट भूमि किसी भी भार और अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। ऐसी भूमि निकट क्षेत्र में उपलब्ध बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन तथा दूरसंचार सुविधाओं से युक्त पूर्णतः विकसित भूमि होगी। यह भूमि सड़कों से अच्छी तरह जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वहां पहुँचना और आसान हो और वाहन आदि वहां जा सकें।
3. उपर्युक्त प्रस्ताव में यथा उल्लिखित कोर स्टाफ के अलावा, अन्य अनिवार्य सेवाओं की बाहर से व्यवस्था की जा सकती है।
4. विज्ञान केन्द्र भवन का विकास मॉड्यूलर रूप में किया जाएगा ताकि स्थानीय जनसंख्या वृद्धि व केन्द्र में दर्शकों की संख्या के आधार पर भावी विस्तार, यदि आवश्यक हो, की गुँजाइश रहे।
5. पर्वतीय भू–भागों, द्वीप समूह भू–क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों आदि में स्थित विज्ञान केन्द्रों के लिए पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए भारत सरकार व संबंधित राज्य सरकार के बीच 90 और 10 प्रतिशत के अनुपात के आधार पर विचार किया जा सकता है।

17

राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता–अनुदान

1. नाम

इस स्कीम को 'राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता–अनुदान प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जाना जाएगा।

2. उद्देश्य

(i) उन सुविख्यात राष्ट्रीय विभूतियों की भूमिका को याद करना जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में योगदान किया है और इसमें ऐतिहासिक भूमिका अदा की है;

(ii) उनके जीवन और कार्यकलापों तथा भारतीय विरासत के प्रति उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना;

(iii) उन्होंने जिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का योगदान किया, उनकी व्याख्या और सम्प्रेषण करना;

(iv) विशेषकर नौजवान पीढ़ी को जागरूक करके, राष्ट्र के प्रति ऐसी विभूतियों के योगदान की चेतना का सृजन करना।

3. कार्यक्षेत्र

(i) यह स्कीम निम्नलिखित तीन वर्गों के अन्तर्गत स्मारकों हेतु वित्तीय सहायता को कवर करेंगी :–

(क) केन्द्र सरकार की पहल पर स्थापित स्मारक,

(ख) राज्य सरकार और/अथवा नगर निकायों की पहल पर स्थापित स्मारक; और

(ग) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित स्मारक।

(ii) जहाँ तक प्रवर्ग (क) का संबंध है, साधारणतया संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार निर्णय लेगा तथा अपने स्वयं के बजट से निधियॉ प्रदान करेगा।

(iii) जहाँ तक स्मारक स्थापित करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध का प्रश्न है, सहायता की मात्रा के संबंध में सामान्यतः अलग–अलग मामलों के गुणावगुणों पर निर्णय किया जाएगा।

(iv) स्वैच्छिक संगठनों/नगर निकायों के मामले में केन्द्र सरकार का अनुदान, केवल अनुदान के अनुपूरक के रूप में दिया जाएगा, जो राज्य सरकार से प्राप्त हो।

(v) स्कीम ऐसे संगठनों पर लागू नहीं होगी जो धार्मिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

4. सहायता राशि की मात्रा

(i) एक स्मारक के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपये होगी।

(ii) वित्तीय सहायता की राशि का निर्णय मामले के गुणावगुण आधार पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।

(iii) 3(i) (ख) और 3(i) (ग) के मामले में, सहायता, समुचित किस्तों में और केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा संस्वीकृत पिछली किस्तों का उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।

(iv) इस मंत्रालय में लेखों के संपरीक्षित विवरण, उपयोग प्रमाण–पत्र और लोक निर्माण विभाग/सिविल अभियन्ता (भवन के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान के मामले में) से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम किस्त जारी की जाएगी।

5. स्वैच्छिक संगठनों/नगर निकायों के मामले में पात्रता का मापदण्ड

(i) आवेदक एजेंसी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत अथवा इस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत एक सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व, इसे कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप मामलों में, भारत सरकार द्वारा ऐसी अवधि में ढील दी जा सकती है।

(iii) आवेदक एजेंसी अखिल भारतीय स्वरूप की होनी चाहिए।

(iv) इसे वित्तीय रूप से मजबूत, सुविधाओं, संसाधनों और कार्मिकों से युक्त होना चाहिए ताकि स्मारक, जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है, का रख–रखाव किया जा सके।

(v) सरकार की नीति को दृष्टि में रखते हुए, उन संस्थाओं/संगठनों को वरीयता दी जायेगी, जो विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं न कि मात्र नये स्मारक स्थापित करने के लिए।

(vi) विहित सीमा के भीतर विद्यमान स्मारकों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए कुछ सहायता पर विचार किया जायेगा।

(vii) नये भवनों के निर्माण हेतु अनुदान नहीं दिए जायेंगे।

(viii) आवेदन–पत्र अनिवार्यतः राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ भेजे जायेंगे।

(ix) राज्य की केवल एक सोसायटी/न्यास पर विशिष्ट स्मारक हेतु अनुदान के लिए विचार किया जायेगा।

6. प्रक्रिया

आवेदन–पत्र निम्नांकित कागजातों के साथ संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए :–

(i) संगठन का संविधान।

(ii) प्रबंधन मंडल की संरचना और प्रत्येक सदस्य का विवरण।

(iii) उपलब्ध अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट की प्रति तथा साथ ही पिछले तीन वर्षों के लिए संस्थान/संगठन के आय और व्यय का विवरण और किसी सनदी लेखाकार अथवा सरकारी लेखा परीक्षक से प्रमाणित पिछले वर्ष के तुलन–पत्र की प्रति।

(iv) राज्य–सरकार की सिफारिश।

(v) परियोजना, जिसके लिए सहायता माँगी गई है, का एक विस्तृत विवरण और इसके कार्यान्वयन की समय–सूची।

(vi) परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ की अर्हताएं और अनुभव।

(vii) परियोजना का वित्तीय विवरण, जिसमें पृथक रूप से आवर्ती और अनावर्ती व्यय का मद–वार ब्यौरा हो और स्रोत, जिससे प्रतिभागी निधियाँ प्राप्त की जायेंगी।

(viii) संबंधित सोसाइटी/न्यास के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।

7. विशेष प्रावधान

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपने चयन द्वारा किसी भी एजेंसी के माध्यम से या सीधे संबंधित विषय पर कोई भी परियोजना शुरू कर सकता है और उस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम से परियोजना के लिए ऐसी किसी भी राशि का वित्त पोषण कर सकता है जो वह उचित समझे।

18

रबीन्द्रनाथ टैगोर के 150 वर्ष मनाने के लिए गैर लाभकारी संगठनों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता

संक्षिप्त नाम : टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस)

1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं जयन्ती मनाने का निर्णय किया है और राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम व परियोजनाओं की योजना बनाने व उन्हें शुरू करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति तथा वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति गठित की है। राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय किया है कि समुचित स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में संस्कृति मंत्रालय, सिविल सोसायटी संगठनों की पहलों में सहायता करे। राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने यह निर्णय किया है कि मंत्रालय, अपनी सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम की तर्ज पर प्रचालन के विकेन्द्रीकृत ढांचे के साथ एक स्कीम शुरू करे और इसलिए यह स्कीम तैयार की गई है।

2. शीर्षक

इस स्कीम को "रबीन्द्रनाथ टैगोर के 150 वर्ष मनाने के लिए गैर लाभकारी संगठनों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम** के नाम से जाना जाएगा और इसका संक्षिप्त नाम 'टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस)' है।

3. विस्तार

यह स्कीम तत्काल प्रभाव से लागू होगी और देश के सभी भागों में उपलब्ध होगी तथा यह, इसकी अधिसूचना की तारीख से मई, 2012 तक चालू रहेगी।

4. विषय–क्षेत्र

इस स्कीम में सोसायटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय के केन्द्रों व संस्थानों सहित) स्कूलों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों आदि सहित सभी तरह के 'गैर–लाभकारी' संगठनों को सहायता शामिल होगी। संबंधित संगठन, आवेदन करने से पहले कम से कम तीन वर्ष तक कार्य कर रहा होना चाहिए और उसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI वां) न्यास अधिनियम, कम्पनी अधिनियम या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम, अधिसूचना या आदेश के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उसे अनिवार्यतः कला व संस्कृति के क्षेत्र में अधिमानतः प्रतिष्ठित कवि टैगोर व उनकी कृतियों से सम्बद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक अनुभव व सुविज्ञता होनी चाहिए, या उसे आवेदन से पहले कम से कम तीन वर्ष से शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा होना चाहिए।⊠

तथापि, यह स्कीम धार्मिक या राजनैतिक संगठनों के लिए नहीं होगी। यह स्कीम व्यक्तियों के लिए भी नहीं

होगी परन्तु इस स्कीम के तहत सुप्रसिद्ध एकल कलाकार विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते कि संबंधित जेडटीसीसी इस आशय से पूर्णतः संतुष्ट हो कि ऐसे एकल कलाकार उच्च प्रतिष्ठा वाले हैं और विशेष सम्मान के पात्र हैं।

5. पात्रता

क) अनुदान का पात्र होने के लिए आवेदक संगठन का उचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय या शासी परिषद होनी चाहिए जिसकी शक्तियां, कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियां लिखित संविधान के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित व निर्धारित हों।

ख) संगठन को परियोजना लागत के कम से कम 25 प्रतिशत भाग के लिए बराबरी के संसाधनों का समझौता किया हुआ होना चाहिए या उसे उसकी योजना बनाई हुई होनी चाहिए।

ग) संगठन के पास उस कार्यक्रम/प्रस्ताव को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक शक्ति व अनुभव होना चाहिए जिसके लिए उसने अनुदान की मांग की है।

घ) संगठन के पास विभिन्न क्षेत्रों में टैगोर व उनकी कृतियों से सम्बद्ध क्षेत्रों में ज्ञान व व्यावसायिक अनुभव तथा सुविज्ञता होना अनिवार्य है।

निम्नलिखित संगठनों को वरीयता दी जाएगी :

(i) टैगोर से संबंधित विषयों पर लम्बे समय से काम करना।

(ii) सुझाए गए समारोह या कार्यक्रम में सुविज्ञता का रिकार्ड

(iii) भारत सरकार द्वारा आयोजित स्मरणोत्सव के दायित्व के अनुरूप कार्यक्रम निष्पादित करने की क्षमता।

6. कार्यकलापों की किस्म जिनके लिए सहायता दी जानी है

अनुदान, रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती उपयुक्त ढंग से मनाने तथा उनकी स्थायी व अद्धितीय विरासत को अमर बनाने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ–साथ सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण व संवर्धन से सम्बद्ध किसी भी क्षेत्र/विषय से संबंधित निम्नलिखित किस्म के कार्यक्रमों या प्रस्तावों तथा अन्य बहुसृजनात्मक प्रयासों में सहायता करने के लिए प्रदान किया जाएगा :

क. व्याख्यान, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, परिसंवाद;

ख. कवि व लेखक सम्मेलन, उत्सव आदि;

ग. सांस्कृतिक शो का निर्माण और/या प्रस्तुति;

घ. प्रदर्शनियां;

ड. वृत्त चित्र, ऑडियों–विजुअल प्रस्तुतियां (सीडी, डीवीडी, डिजिटल उत्पाद) ;

च. प्रकाशन;

छ. ऐसे अन्य कोई भी स्मारक प्रस्ताव जिन्हें सहायता के योग्य माना जाए और जिन्हें जेडटीसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

निम्नलिखित कार्यक्रमों को वरीयता दी जाएगी

(i) टैगोर पर ऐसी परियोजनाएं जिनका प्रसार भारत व विश्व के विभिन्न भागों में होगा।

(ii) बांग्ला भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं में टैगोर की किसी भी कृति (किसी भी रूप में) के निर्वचन/पुनः निर्वचन/रूपान्तरण

(iii) समकालीन प्रासंगिकता के निम्नलिखित विषयों पर टैगोर के अग्रणी योगदानों का स्मरण करवाने वाले व इन पर बल देने वाले कार्यक्रम :

(क) लिंग संबंधी असमानताएं

(ख) कृषि संबंधी विकास

(ग) सहकारी आंदोलन

(घ) ग्रामीण पुनर्निर्माण

(ड.) ग्राम व शिल्प उद्यम

(च) जातिगत भेदभाव व इसके प्रतिकूल प्रभाव

7. सहायता की मात्रा

उपर्युक्त पैरा 6 के तहत विशिष्ट प्रस्तावों या कार्यक्रमों के लिए अनुदान, प्राक्कलित लागत के 75 प्रतिशत भाग तक ही दिया जाएगा परन्तु प्रति प्रस्ताव या कार्यक्रम की अधिकतम राशि 5.00 लाख रू. होगी।

ऐसे पात्र मामलों में जब संगठन (भारत में) का प्रस्ताव देश के भीतर व पड़ोसी देशों, दोनों में समारोह आयोजित करने का हो तो अनुदान की राशि, ऐसे एकीकृत परियोजना प्रस्तावों के देशी घटक और विदेशी घटक के लिए अधिकतम उप–सीमा 5–5 लाख रू. अर्थात् 10 लाख रू. तक बढ़ाई जा सकती है।

मंत्रालय, निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन उत्कृष्ट योग्यता व प्रासंगिकता के किसी भी प्रस्ताव के लिए सहायता (केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों में तथा जेडटीसीसी द्वारा सशक्त सिफारिश किए जाने की स्थिति में) बढ़ा सकता है।

8. स्वीकृति संबंधी पद्धतियॉं

(क) यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय के प्राधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय टैगोर स्मरणोत्सव कार्यालय (जेडटीसीओसी) के नाम से विकेन्द्रीकृत तरीके से चलाई जाएगी।

(ख) इस प्रयोजनार्थ, 8 जेडटीसीओ स्थापित किए गए हैं जिनके नाम (मुख्यालय) व क्षेत्राधिकार इस प्रकार हैं:

1. **दिल्ली क्षेत्र (दिल्ली)** : गुडगांव, नौएडा, फरीदाबाद व गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2. **पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)** : पश्चिम बंगाल, ओडिसा, झारखण्ड, बिहार, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह;
3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र (गुवाहाटी)** : अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा;
4. **उत्तर मध्य क्षेत्र (इलाहबाद)** : उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर), उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़;

5. **उत्तर क्षेत्र (चण्डीगढ़)** : पंजाब, हरियाणा, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर), जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़;

6. **पश्चिम क्षेत्र (उदयपुर)** : राजस्थान (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर), गुजरात, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव;

7. **दक्षिण मध्य (मुम्बई)** : मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा; और

8. **दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)** : तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, लक्षद्वीप।

(ग) प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता का अनुदान व उसकी मात्रा, प्रत्येक जेडटीसीओ के लिए क्षेत्रीय स्तर पर उसे, स्कीम के कार्यान्वियन में सहायता करने व सलाह देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। इन क्षेत्रीय समितियों को क्षेत्रीय टैगोर स्मरणोत्सव समितियां (जेडटीसीसी) कहा जाएगा।

(घ) जेडटीसीओ का कार्यकारी प्रमुख संबंधित जेडटीसीसी का संयोजक होगा और वह जेडटीसीसी की सिफारिश पर स्कीम के तहत अनुमान मंजूर करेगा।

(ड.) जब तक कि अन्यथा आदेश न हो, क्षेत्रों की संरचना, उनके मुख्यालय, तथा संबंधित जेडटीसीओ की सूची (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट) में दिए अनुसार होगी। जेडटीटीसी की संरचना का सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा तथा इसे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट (indiaculture.gov.in) पर डाला जाएगा।

9. लेखाकरण संबंधी पद्धतियां

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में अलग लेखे रखे जाएंगे; और

क) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके विवेक पर उसके नामिती द्वारा किसी भी समय अनुदानग्राही संगठन के लेखाओं की संपरीक्षा की जा सकेगी।

ख) अनुदानग्राही संगठन, जेडटीसीसी या अन्यथा किसी माध्यम से भारत सरकार को सनदी लेखाकार या सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा संपरीक्षित लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा और जिसमें अनुमोदित प्रस्ताव पर किए गए व्यय व सरकारी अनुदान के उपयोग का उल्लेख होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदानग्राही संगठन तत्काल भारत सरकार की प्रचलित ब्याज दर सहित प्राप्त अनुदान की सम्पूर्ण राशि लौटाने की व्यवस्था करेगा बशर्ते कि उसे सरकार द्वारा इसकी विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

ग) अनुदानग्राही संगठन की, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भी समय आवश्यक समझे जाने पर उसके किसी भी अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त समिति के माध्यम से या सरकार द्वारा तय किसी भी अन्य तरीके से समीक्षा की जा सकेगी।

घ) अनुदानग्राही संगठन, विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी प्रतिनिधि मण्डल को आमंत्रित नहीं करेगा जिसका आवेदन अनिवार्यतः संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा।

ड.) अनुदानग्राही संगठन पर ऐसी अन्य शर्तें लागू होंगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा लगाई जाएंगी।

10. आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी पद्धति

मंत्रालय की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों आदि में स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन, स्कीम के प्रचालन के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है (विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार)। सभी आवेदन, संबंधित क्षेत्र के जेडटीसीसी को संबोधित किए जाएंगे तथा अनुसूची में उल्लिखित संबंधित जेडटीसीओ को भेजे जाएंगे।

11. आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र/अधिनियम/सरकारी संकल्प या आदेश, जिनके जरिए संगठन, कानूनी निकाय बना, की प्रतिलिपि

(ख) संगठन का संविधान, संगम ज्ञापन, नियम व विनियम, जहां लागू हो।

(ग) प्रबंधन बोर्ड और/या शासी निकाय की वर्तमान संरचना।

(घ) उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

(ड.) निम्नलिखित सहित विस्तृत प्रस्ताव :

(i) उस प्रस्ताव का विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा इसकी अवधि और परियोजना के लिए लगाए जाने वाले स्टाफ, यदि कोई हो, की अर्हताएं व अनुभव; और

(ii) प्रस्ताव का वित्तीय विवरण जिसमें मदवार ब्यौरा तथा उन स्रोतों का उल्लेख हो जिनसे प्रतिभागी निधियां प्राप्त की जाएंगी।

(च) आवेदक संगठन की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण तथा सनदी लेखाकार या सरकारी लेख परीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रतिलिपि।

(छ) आवेदक संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(ज) निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का विवरण ताकि मंजूर निधियों का इलेक्ट्रानिक अन्तरण किया जा सके।

नोट :

व्यक्तिगत कलाकारों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से बिंदु (क) से (घ) तक उल्लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी और इसके बजाय आवेदक अपने व्यक्तिगत ब्यौरे तथा गत एक वर्ष में उसके द्वारा किए गए कार्य/दी गई कला प्रस्तुति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा/करेगी। इसी प्रकार उक्त (च) और (छ) में उल्लिखित दस्तावेजों के बजाय व्यक्तिगत आवेदक गत तीन वर्षों की अपनी आय और व्यय का विवरण तथा अंतिम बार भरी गई आयकर विवरणिका तथा व्यक्तिगत हैसियत में क्षतिपूर्ति बंध–पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा/करेगी।

12. किस्तें

अनुदान 75 प्रतिशत की पहली किस्त (पहली किस्त प्रस्ताव मंजूर किए जाने के समय जारी की जाएगी) तथा 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त (दूसरी किस्त प्रस्ताव/कार्यक्रम पूरा होने तथा वास्तविक व्यय का विवरण व उपयोग प्रमाण पत्र तथा स्वीकृतिदाता प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार संबंधित संगठन की हिस्सेदारी के ब्यौरे सहित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाएगी) अर्थात दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

13. भुगतान का तरीका

सरकार, प्रत्येक जेडटीसीओ को निधियां सौंपेगी और ये जेडटीसीसी की सलाह पर स्कीम के प्रयोजनार्थ संयोजक, जेडटीसीसी द्वारा आहरित व वितरित की जाएंगी। सभी भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक अन्तरणों या अनुदानग्राही संगठन के नाम व बैंक खाता संख्या सहित चेकों के माध्यम से किए जाएंगे।

13क. प्रशासनिक व्यय

प्रत्येक जेडटीसीओ को सौंपी गई निधियों के 2 प्रतिशत तक भाग की राशि को अलग रखा जाएगा तथा इसका उपयोग, स्कीम के तहत परियोजनाओं की मंजूरी, निगरानी, कार्यान्वयन, निरीक्षण, समीक्षा आदि सहित स्कीम के संचालन से सम्बद्ध व्ययों, जैसा भी इस प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, जेडटीसीसी की बैठकों के आयोजन तथा सचिवालयी सहायता व परामर्शी सेवाएं, यदि कोई हो, के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

14. कार्यक्रम/परियोजना की रिपोर्ट

स्कीम के तहत निष्पादित कार्यक्रम की जिल्दबंद मुद्रित रिपोर्ट की तीन प्रतियां – एक प्रति संबंधित जेडटीसीओ को तथा दो प्रतियां संस्कृति मंत्रालय के एस एण्ड एफ अनुभाग (जिसमें से एक प्रति आगे संस्कृति मंत्रालय के सी एण्ड एम अनुभाग को भेजी जाएगी) प्रस्तुत की जाएंगी।

15. अपूर्ण आवेदन

ऐसे अपूर्ण व अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र

टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस)

उपर्युक्त उल्लिखित स्कीम के तहत सोसायटियों, न्यासों, कम्पनियों तथा विश्वविद्यालयों (विभागों को छोड़कर विश्वविद्यालय के केन्द्रों व संस्थानों सहित) अनुसंधान संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों आदि सहित गैर–लाभकारी संगठनों से रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं जयन्ती मनाने के लिए उनके द्वारा आयोजित व्याख्यानों सेमिनारों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक शो, साहित्यिक उत्सवों, प्रदर्शनियां आदि की सहायता के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदक संगठन, संलग्न प्रोफार्मा में पूरी तरह से भरे गए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय टैगोर स्मरणोत्सव समिति (जेडटीसीसी) के आयोजक को भेज सकते हैं, जिसके ब्यौरे विस्तृत स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र /अधिनियम/सरकारी संकल्प या आदेश, जिनके जरिए संगठन, कानूनी निकाय बना, की प्रतिलिपि।
2. संगठन का संविधान, संगम ज्ञापन, नियम व विनियम (विश्वविद्यालयों और उनके केन्द्रों/संस्थानों को छोड़कर)
3. प्रबंधन बोर्ड और/या शासी निकाय की वर्तमान संरचना (विश्वविद्यालयों और उनके केन्द्रों/संस्थानों को छोड़कर)
4. उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि।
5. निम्नलिखित सहित विस्तृत प्रस्ताव
   (क) उस प्रस्ताव का विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा इसकी अवधि और प्रस्ताव के लिए लगाए जाने वाले स्टाफ, यदि कोई हो, की अर्हताएं व अनुभव; और
   (ख) प्रस्ताव का वित्तीय विवरण जिसमें मदवार ब्यौरा तथा उन स्रोतों का उल्लेख हो जिनसे प्रतिभागी निधियां प्राप्त की जाएंगी।
6. आवेदक संगठन की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण तथा सनदी लेखाकार या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन– पत्र की प्रतिलिपि।
7. (i) आवेदक संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में क्षतिपूर्ति बंध पत्र
   (ii) बंध पत्र (निर्धारित प्रोफार्मा में) में उल्लिखित विधिवत रूप से भरा गया संकल्प।
8. निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का विवरण ताकि मंजूर निधियों का इलेक्ट्रानिक अन्तरण किया जा सके।

(अपूर्ण व अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा)

टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम हेतु आवेदन पत्र

1. संगठन का नाम :
2. डाक पता (टेलीफोन/फैक्स/ई–मेल पते सहित) :
3. संगठन की स्थापना व पंजीकरण की तिथि :
   (विश्वविद्यालयों और उनके केन्द्रों/संस्थानों को छोड़कर)
4. संगठन का पंजीकरण नम्बर (पंजीकरण प्रमाण पत्र व
   संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न की जाए) :
   (विश्वविद्यालयों और उनके केन्द्रों/संस्थानों को छोड़कर)
5. एनजीओ भागीदारी प्रणाली द्वारा जारी विशिष्ट :
   पहचान (आईडी) (विश्वविद्यालयों और उनके
   केन्द्रों/संस्थानों को छोड़कर)
6. स्थायी खाता नम्बर (पैन) (आयकर) :
7. बैंकर का नाम व संगठन का बैंक खाता नम्बर :
8. संस्थान/संगठन का संक्षिप्त विवरण, इसके उद्देश्य व कार्यकलाप :
9. परियोजना का शीर्षक जिसके लिए सहायता :
   मांगी गई है तथा इसके निष्पादन की तिथि या अवधि
10. परियोजना की रूपरेखा (विस्तृत परियोजना प्रस्ताव संलग्न किया जाए) :
11. परियोजना की कुल अनुमानित लागत :
    (विस्तृत परियोजना
    प्रस्ताव में शामिल किए जाने हेतु मदवार ब्यौरा संलग्न किया गया हो)
12. संस्कृति मंत्रालय से प्रार्थित सहायता की राशि :
13. परियोजना हेतु वित्त के अन्य स्रोतों का ब्यौरा :
    (बराबरी का हिस्सा)
14. संस्कृति मंत्रालय से गत तीन वर्षों के दौरान :
    प्राप्त सहायता की मात्रा
15. क्या विगत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का
    संपरीक्षित विवरण तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं
    (यदि हां तो उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं)।

16. मैं यह प्रमाणित और घोषित करता हूँ कि :

1. उपर्युक्त प्रस्तुत विवरणों का ब्यौरा सत्य है
2. संस्थान/संगठन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन करेगा।

हस्ताक्षर : ____________________

नाम : ---____________________

पदनाम : ____________________

कार्यालय मोहर : ____________________-

नोट : कृपया संलग्न जांच सूची फार्मेट में यथा उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न करें और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें।

जांच सूची

(आवेदन के साथ संलग्न किए जाने हेतु)

क्रम संख्या	अपेक्षित सूचना/दस्तावेज	क्या सूचना दी गई है / दस्तावेज संलग्न किए गए हैं (कृपया हां/ना या लागू नहीं लिखें)
1.	पंजीकरण संख्या	
2.	संलग्न किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र व संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि लागू हो)	
4.	टाइप–लिखित अधिकतम 150 शब्दों में परियोजना प्रस्ताव की रूपरेखा	
5.	प्रस्तावित परियोजना की लागत के पूर्ण विवरण सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव	
6.	विगत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के संबंध में लेखाओं का संपरीक्षित विवरण तथा प्रमाण पत्र।	
7.	संगठन के गत तीन वर्षों की प्राप्ति व भुगतान लेखे तथा तुलन पत्र और लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
8.	क्या विधिवत रूप से भरा गया क्षतिपूर्ति बंध–पत्र (फार्मेट के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
9.	क्या विधिवत रूप से भरा गया बैंक प्राधिकार पत्र (फार्मेट के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
10.	क्या विधिवत रूप से भरा गया संकल्प (फार्मेट के अनुसार) संलग्न किया गया है।	
11.	क्या एनजीओ भागीदारी प्रणाली द्वारा जारी विशिष्ट पहचान (आईडी) संलग्न की गई है।	

हस्ताक्षर : ____________________

नाम : ____________________

पदनाम : ____________________

कार्यालय मोहर : ____________________

नोट : ''क्षतिपूर्ति बंध–पत्र, संकल्प तथा बैंक प्राधिकार पत्र के फार्मेट तथा एनजीओ भागीदारी संबंधी परामर्शी टिप्पणी क्रमश अनुबंध–I, II, III तथा IV में दिए गए हैं।''

बंध–पत्र, संकल्प और बैंक प्राधिकार भरते समय निम्नलिखित बिन्दु नोट किए जाएं

(i) बंध–पत्र 20/– रू. के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए।

(ii) अनुदानग्राही, बंध–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(iii) दो साक्ष्यों के नाम व हस्ताक्षर तथा उनके पतों का बंध–पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iv) संकल्प का फार्मेट सही तरीके से भरा जाना चाहिए और इस पर संगठन के अध्यक्ष/तथा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(v) बैंक प्राधिकार –पत्र **(यह फार्मेट "डाउनलोड फार्म" लिंक के ठीक नीचे उपलब्ध है)** के सभी कॉलम समुचित रूप से भरे जाएं और इसे बैंक प्रबंधक/प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाए।

अनुबंध – I

बन्ध–पत्र

यह सबको ज्ञात हो कि ———————————— समिति (पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दिए अनुसार संगठन का नाम), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 दिनांक ————————— के पंजीकरण संख्या —— ————————— के तहत पंजीकृत (पंजीकरण प्राधिकारी का नाम व पता) (संस्थान/एसोसिएशन) जिसका कार्यालय ——————————राज्य में ———————————————— में स्थित है (जिसे आगे अनुदान प्राप्तकर्ता कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें आगे सरकार कहा गया है) के नाम प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित ———————————— रू. (————————————————————: i,) की राशि, मांग पर अबिलम्ब राष्ट्रपति को अनुदान प्राप्तकर्ता तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उपस्थित व्यक्तियों के साक्ष्य में उक्त राशि लौटाने तक अप्रतिबंध रूप से प्रतिभू एवं बंधक है।

2. इस बंध–पत्र पर वर्ष दो हज़ार और ——————————— में ————————————---——— के दिन —— ———————————————— को हस्ताक्षर किए गए।

3. जबकि अनुदानप्राप्तकर्ता ने दिनांक ———————————————— के अपने पत्र सं. ——————————— ——————————— के जरिए ——————————— रु. के अनुदान हेतु ———————————————— मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सरकार को एक अनुरोध प्रस्ताव भेजा है, अनुदान प्राप्तकर्ता, सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव में किए गए अनुरोध के अनुसार ————————— रु. की समग्र राशि के संबंध में —— ——————————— मंत्रालय, भारत सरकार के नाम अग्रिम रूप से यह बन्ध–पत्र निष्पादित करने पर सहमत है। अनुदान प्राप्तकर्ता प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/संस्तुत किसी भी राशि को स्वीकार करने का इच्छुक है। अनुदान प्राप्तकर्ता वचनबद्धता के साथ प्रस्तावित राशि व इस बंध–पत्र को इस इच्छा से निष्पादित कर रहा है कि वह इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/संस्तुत वास्तविक राशि, जो भी कम हो, द्वारा बाध्य होगा। अनुदान प्राप्तकर्ता सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले "संस्तुति–पत्र" में उल्लिखित सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी इच्छा से स्वीकार करता है।

4. अब उक्त लिखित बाध्यता की शर्त ऐसी है कि यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान–पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत् रूप से पूरा करता है और उनका अनुपालन करता है तो उक्त लिखित बंध–पत्र या दायित्व अप्रभावी होगा, परन्तु अन्यथा स्थिति में यह बाध्यता पूर्णतः प्रवृत्त, एवं विद्यमान रहेगी। यदि उस अवधि के भीतर, जिसमें अनुदान का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, के समाप्त होने के बाद अनुदान का कोई भाग अप्रयुक्त रह जाता है तो अनुदान प्राप्तकर्त्ता प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की दर से अप्रयुक्त शेष राशि लौटाने पर सहमत है जब तक कि संस्तुत प्राधिकारी अनुदान की उक्त राशि को आगामी वित्त वर्ष में अग्रेषित करने पर सहमत न हों। अनुदान की राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित वापिस की जाएगी।

5. सोसायटी/न्यास, मुख्यतः सरकारी अनुदान से सृजित/अधिग्रहीत/निर्मित सम्पत्ति/भवन या अन्य परिसम्पत्तियों के अनधिकृत उपयोग (जैसे उस प्रयोजन से इतर ऐसे किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन या उससे कम हेतु परिसर को किराए पर देने या उसका उपयोग करना जिसके लिए अनुदान अभिप्रेत था) से

प्राप्त या उत्पन्न होने वाले/प्राप्त किए गए या उत्पन्न किए गए ऐसे सभी धन या अन्य लाभ की वित्तीय राशि को सरकार को लौटाने/अदा करने पर सहमत तथा वचनबद्ध है। ———————————— संस्कृति मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष का निर्णय, सरकार को वापिस अदा किए जाने हेतु उक्त धन से संबंधित सभी मामलों के बारे में अंतिम होगा और यह सोसायटी/न्यास के लिए बाध्यकारी होगा।

6. अनुदान प्राप्तकर्त्ता की कार्यकारी समिति के सदस्य :

(क) संस्तुति–पत्र में विनिर्दिष्ट लक्षित तारीखों के संबंध में सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेंगे।

(ख) अनुदान की राशि का उपयोग अन्यत्र, अन्य संस्थान या संगठनों के लिए नहीं करेंगे या संबंधित स्कीम या कार्य के निष्पादन को उक्त संस्थान या संगठन को नहीं सौंपेंगे।

(ग) सहायता अनुदान को शासित करने वाले करार में विनिर्दिष्ट अन्य किसी शर्त का पालन करेंगे।

यदि अनुदान प्राप्तकर्त्ता, बन्ध–पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है या शर्तों का उल्लंघन करता है तो, बन्ध–पत्र पर हस्ताक्षरकर्त्ता संयुक्त रूप से और गंभीरता से समग्र अनुदान या उसके भाग को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भारत के राष्ट्रपति को लौटाने के लिए बाध्य होंगे। इस बन्ध–पत्र का स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

7. उपस्थित व्यक्ति इस बात के भी साक्ष्य हैं कि :

i) इस संबंध में ———————————— मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुदान प्राप्तकर्त्ता पर बाध्य होगा कि क्या संस्तुति–पत्र में उल्लिखित किसी शर्त और निबंधन को भंग किया गया है या उसका उल्लंघन किया गया है; और

ii) इन दस्तावेज़ों पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस साक्ष्य में कि इन दस्तावेज़ों को निम्नानुसार अनुदान प्राप्तकर्त्ता की ओर से और अनुदान प्राप्तकर्त्ता के न्यासी निकाय कार्यकारी समिति द्वारा पारित दिनांक ———— के संकल्प संख्या ———— के अनुसरण में उक्त उल्लिखित तारीख को निष्पादित किया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(   )

कृते एवं आवेदक की ओर से अनुदान प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

अनुदान प्राप्तकर्त्ता का नाम (एसोसिएशन,यथा पंजीकृत)	1. एसोसिएशन की पंजीकरण संख्या
पूरा डाक पता ————————---——	2. पंजीकरण की तारीख ————————
टेलीफोन नं./मोबाइल नम्बर ——————--	3. पंजीकरण प्राधिकारी ————————
ई–मेल पता (यदि कोई हो) ————————	4. डाक पता ————————————
फैक्स नम्बर ————————————	5. पंजीकरण प्राधिकारी का टेलीफोन नं./ई–मेल आदि

गवाह का नाम एवं पता (की उपस्थिति में)

i)

ii)

(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति और उनकी ओर से स्वीकार किया गया

पदनाम : ——————————————
दिनांक : ——————————————
नाम एवं पता ————————————

अनुदान प्राप्तकर्त्ता संगठन को यह दस्तावेज भेजने से पहले अनिवार्यतः निम्नलिखित बिंदुओं को नोट करना चाहिए/उनकी जांच करनी चाहिए।

i) बंध–पत्र 20/– रू. के गैरः न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसे मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ii) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को बंध–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।

iii) बंध–पत्र में दो साक्ष्यों के नाम, हस्ताक्षर व उनके पूरे पते दिए जाने चाहिए।

अनुबंध – II

संकल्प

———————————— की कार्यकारी समिति की बैठक ———------------———————— को आयोजित की गई तथा उसमें यह संकल्प किया गया कि ———————————————— की स्कीम में निर्धारित निबंधन व शर्तें तथा मंजूरी – पत्र, जो संस्कृति मंत्रालय, हमारे आवेदन के अनुसरण जारी करे, स्वीकार है और स्वीकार्य होंगे तथा समिति, श्री/श्रीमती ————————————————, अध्यक्ष/ सचिव को आवेदन–पत्र, क्षतिपूर्ति बंध –पत्र बैंक प्राधिकार –पत्र, आदि पर संगठन की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर (नीली स्याही से)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पते व कार्यालय मोहर सहित)

स्थान :
तिथि :

विशिष्ट टिप्पणी % अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर की प्रविष्टियां कर ली गई हैं।

अनुबंध –III

बैंक प्राधिकार–पत्र

(मैं/हम ------------------------) (संगठन/सोसायटी/एनजीओ/व्यक्ति का नाम) ---------------------- संस्कृति मंत्रालय, द्वारा संगठन को प्रदत्त सहायता अनुदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे/मेरे/हमारे बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

भुगतान प्राप्तकर्त्ता के ब्यौरे	
अनुदानप्राप्तकर्त्ता का नाम (बैंक खाते में नाम के अनुसार)	
पता	
जिला और पिन कोड	
राज्य	
टेलीफोन नम्बर (एस टी डी) सहित	
मोबाईल नम्बर	
ई–मेल पता (यदि कोई हो)	
बैंक ब्यौरे	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा (पूरा पता व टेलीफोन नं.)	
बैंक खाता संख्या	
खाते की किस्म	
उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण का तरीका : ई सी एस/ आर टी जी एस/एन ई एफ टी	
आई एफ एस सी कोड	
एम आई सी आर कोड	

हस्ताक्षर ------------------------------------
नाम --
संगठन का नाम----------------------------

**संगठन के मामले में संकल्प के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे

खाता नम्बर व आई एफ एस सी/एम आई सी आर कोड मेरे, प्रबंधक' द्वारा सत्यापित किए गए हैं। '

(खाता धारक बैंक शाखा)

*(बैंक के प्रबंधक द्वारा नीली स्याही में हस्ताक्षर किए जाएंगे) (मोहर)

अनुबंध – IV

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) भागीदारी पर परामर्शी टिप्पणी

1. सिविल सोसायटी संगठनों ने सरकार से अनुदान प्राप्त करने में कठिनाइयों की शिकायत की है। इसलिए ऐसी पारदर्शी व जवाबदेह प्रणाली विकसित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता थी जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, अनुदान प्राप्त करने संबंधी पद्धति तथा आवेदन किए जाने पर उनके अनुरोध की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने में सहायक हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरकार को भी आवेदनों पर निगरानी रखने व युक्तिसंगत ढांचे के भीतर उनके शीघ्र निपटान में सहायता मिलेगी।

2. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच और अधिक भागीदारी करने व बेहतर पारदर्शिता, दक्षता व जवाबदेही पैदा करने के लिए एनजीओ भागीदारी प्रणाली की अवधारणा शुरू की है।

3. स्वैच्छिक संगठनों (वी ओ)/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से यह अपेक्षा है कि वे अनिवार्यतः http://ngo.india.gov.in. पर एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम (एनजीओ–पीएस) पर हस्ताक्षर करें।

   ख) ऐसा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एनएसीओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपार्ट (सीएपीएआरटी) से अनुदान का आवेदन करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए अनिवार्य है। इन मंत्रालयों को भी अनिवार्यतः अनुदान हेतु आवेदन स्वीकार करने के लिए एनआईसी द्वारा सृजित वेब प्रचालित इन्टरफेस (इस समय यह सुविद्या उपलब्ध नहीं है) प्रदान करना है।

   ग) फिलहाल कागजों से आवेदन का मौजूदा माध्यम भी निरन्तर उपलब्ध होगा।

   घ) भविष्य में किए जाने वाले सभी आवेदनों, पत्राचार आदि में पोर्टल डाटा आधार में पंजीकृत विवरण के आधार पर एनआईसी सॉफ्टवेयर द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान नम्बर (आईडी नम्बर) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

4. इस सुविधा से गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित में सहायता मिलेगी :

   i समूचे भारत में मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा प्राप्त करना।

   ii मुख्य मंत्रालयों/विभागों की अनुदान स्कीमों का ब्यौरा प्राप्त करना।

एनजीओ अनुदानों के लिए ऑन लाइन आवेदन करें तथा अनुदान हेतु आवेदनों की स्थिति पर निगरानी रखें (इस समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं है)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि संस्कृति मंत्रालय की वेवसाइट अत्यधिक सक्रिय है।

(www.indiaculture.nic.in)

(www.indiaculture.gov.in)

हम आवेदकों को प्रोत्साहन देते हैं कि वे योजनाओं, आवेदनपत्र, प्रक्रिया तथा प्रपत्रों से सम्बद्ध किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु हमारी वेवसाइट देखे।